भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

संख्या-2

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

शुद्धि पत्र

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन, संख्या 2, राजस्व प्राप्तियां, उत्तर प्रदेश सरकार

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
VII	नीचे से 6	परिणास्वरूप	परिणामस्वरूप
VIII	नीचे से 7	मामननीय	माननीय
"	नीचे से 6	प्रस्तर 2.2.2(IV)(क)	प्रस्तर 2.2.11(III)(क)
19	नीचे से 12	2257	2257× ×अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके ।
22	ऊपर से 2	1989-9	1989-90
31	प्रस्तर 2.2.4(IV)	निम्नवत् पढ़ा जाय:- वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान सहायक आयुक्त (न्याय), उपायुक्त (अपील) तथा आयुक्त के यहां कुल 2,06,393 अपील के मामले दायर हुए । इसी अवधि में निपटाए गए मामलों की संख्या 1,68,981 थी जो बढ़े हुए मामलों की संख्या का 82 प्रतिशत थी । फलस्वरूप, इन अधिकारियों के पास कुल लम्बित मामलों की संख्या लगभग दो गुनी हो गई । इसी अवधि में बिक्री कर अधिकरण द्वारा निस्तारण नए वादों से थोड़ा ही अधिक था ।	
	प्रस्तर 2.2.4(V)	उप प्रस्तर संख्या (IV) को उप प्रस्तर (V) पढ़ा जाय तथा मुद्रित उप प्रस्तर (V) को निकाल दिया जाय ।	
"	नीचे से 7	1 21 लाख	1.21 लाख
35	ऊपर से 4	57,656	51,656
43	ऊपर से 4	मान	माल
63	नीचे से 16	61 19 लाख	61.19 लाख
70	ऊपर से 7	56,532	56,552
76	ऊपर से 10	1984	1948
77	ऊपर से 13	62,586	62,585
86	ऊपर से 11	की की दर	कर की दर
91	नीचे से 12	2 प्रतिशत	2 प्रतिशत प्रतिमाह
102	ऊपर से 10	917	9.17
108	नीचे से 12	रुपए से	रूप से
112	ऊपर से 7	धुआं	अधिक धुआँ
125	नीचे से 12	टैक्स टोकन नहीं	टैक्स टोकन नहीं अभ्यर्पित
131	नीचे से 2	1.78	1.78 लाख
144	ऊपर से 7	उपल	उपज
146	तालिका का अन्तिम स्तम्भ	वास्तविक उपज	वास्तविक उपज प्रति सौ स्रोत
151	ऊपर से 13	(जनवरी 1990)	(जनवरी 1991)
155	ऊपर से प्रथम	1990-91	1989-90
156	ऊपर से 2	2 जून 1982	2 जून 1987
168	ऊपर से 13	हो	को
"	ऊपर से 8	अनुदोशों	अनुदेशों
170	ऊपर से 6	निष्पादन	निष्पादित
172	नीचे से 11	19 रूपए	10 रुपए

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	...	v
विहंगावलोकन	...	vii
अध्याय 1 सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	1.2	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	1.3	10
संग्रह की लागत	1.4	11
कर निर्धारण के बकाए मामले	1.5	12
राजस्व का बकाया	1.6	20
राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना तथा छूट प्रदान करना	1.7	22
अनिस्तारित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	1.8	22
अध्याय 2 बिक्री कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	2.1	26
विभिन्न स्तरों पर अपीलों का लम्बित रहना और राजस्व वसूली पर उसका प्रभाव	2.2	26
बिक्री कर विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन की कार्य प्रणाली	2.3	47
बिक्री कर के अधीन प्रतिप्रेषित वादों का निस्तारण	2.4	54
त्वरित कार्यवाही के अभाव में राजस्व की हानि	2.5	64
निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना	2.6	65
कच्चे माल की खरीद हेतु निर्माताओं को छूट स्वीकृत करने में अनियमितताएं	2.7	66
अर्थदण्ड न लगाया जाना	2.8	74
माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण	2.9	80
अनियमित छूट दिया जाना	2.10	81
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.11	85
कर का गलत दर से आरोपण	2.12	89

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ब्याज का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	2.13	92
क्रय कर का आरोपित न किया जाना	2.14	94
अतिरिक्त कर का न लगाया जाना	2.15	95
आवर्तन का कर निर्धारण से छूट जाना	2.16	95
गणना की त्रुटि	2.17	96
अध्याय 3 राज्य आबकारी		
लेखा परीक्षा के परिणाम	3.1	97
भारत में बनी विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण	3.2	97
निर्यात शुल्क की गलत दर लगाने से राजस्व की हानि	3.3	99
अर्थदण्ड का न लगाया जाना	3.4	99
मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना	3.5	100
विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना	3.6	101
अध्याय 4 वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
लेखा परीक्षा के परिणाम	4.1	104
परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली	4.2	104
यात्री-कर का न आरोपित किया जाना/कम आरोपित किया जाना	4.3	115
वाहनों पर मार्ग कर तथा माल कर निर्धारण न किया जाना	4.4	124
सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों पर करों का निर्धारण न किया जाना	4.5	125
ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए परमिट जारी न करने से हानि	4.6	125
परिवहन गाड़ियों को अनुज्ञा पत्र निर्गत न करने से हानि	4.7	126
अध्याय 5 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
लेखा परीक्षा के परिणाम	5.1	127
सम्पन्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	5.2	127
अध्याय 6 भू-राजस्व		
लेखा परीक्षा के परिणाम	6.1	133
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	6.2	133
सेवा प्रभारों का जमा न किया जाना	6.3	134
बांटी गई जोत बहियों की फीस की वसूली न करना	6.4	135

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय 7 अन्य कर प्राप्तियां		
क-विद्युत शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.1	137
ख-गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क		
लेखा परीक्षा के परिणाम	7.2	137
क्रय कर के भुगतान के बिना चीनी की निकासी	7.3	138
कर के भुगतान के बिना चीनी के बोरों की निकासी	7.4	140
शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान न किया जाना	7.5	141
अध्याय 8 वन प्राप्तियां		
लेखा परीक्षा के परिणाम	8.1	142
गौण वन उत्पादों का दोहन	8.2	142
खैर वृक्षों की वन प्राप्तियों का गलत आकलन	8.3	158
स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	8.4	159
नीलामी में देरी के फलस्वरूप राजस्व की हानि	8.5	159
समय से समुयोजन(एक्सप्लायटेशन) न करने के कारण वृक्षों के सड़ने से राजस्व हानि	8.6	160
आवंटन में देरी के कारण राजस्व की हानि	8.7	161
समुयोजन (एक्सप्लायटेशन) में विलम्ब के फलस्वरूप राजस्व की हानि	8.8	162
निर्धारित नियमों का पालन न करने से राजस्व की हानि	8.9	163
अवधि विस्तार शुल्क का न वसूल किया जाना	8.10	163
वृक्षों का अवैध रुप से काट गिराया जाना	8.11	164
अध्याय 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां		
क-सिंचाई विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.1	166
नहर जल के अनधिकृत उपयोग हेतु दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना	9.2	166

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9.3	167
मछली का शिकार करने से पूर्व सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि	9.4	168
ख- लोक निर्माण विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.5	169
पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	9.6	169
सरकारी आवासीय भवनों के आवासियों से जलकर की कम वसूली/वसूली न करना	9.7	170
सरकारी आदेशों के प्रसारित करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	9.8	171
विभागीय प्राप्तियों का दुरूपयोग	9.9	171
अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	9.10	172
ग-कृषि विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.11	173
घ-सहकारिता विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.12	173
सरकारी खाते में संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना	9.13	174
ड-खाद्य एवं रसद विभाग		
लेखा परीक्षा के परिणाम	9.14	175
राशन कार्डो का मूल्य वसूल न किया जाना	9.15	175
प्रतिभूति धनराशि को जब्त न करना	9.16	176
परिशिष्ट		
शासकीय अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण शमन शुल्क की हानि का विवरण		179

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1990-91 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक खण्ड संख्या 2 में प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गई है:

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दर्शाया गया है । इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षो से सम्बन्धित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति, आदि की भी विवेचना की गई है ।

(ii) अध्याय 2 से 9 में कुछ ऐसे रोचक मामलों तथा प्रसंगों का समावेश किया गया है जो बिक्री-कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल और यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस, भू-राजस्व, गन्ने के क्रय पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा के दौरान देखने में आई ।

1. सामान्य

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1990-91 की कुल राजस्व प्राप्तियां 8310.10 करोड़ रुपए थीं । कुल प्राप्तियों में से 3162.12 करोड़ रुपए (38 प्रतिशत) कर राजस्व तथा 777.47 करोड़ रुपए (9 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व से सम्बन्धित थे । भारत सरकार से अनुदान के रुप में प्राप्तियां तथा संघीय करों के भाग की धनराशि 4370.51 करोड़ रुपए (53 प्रतिशत) थी । गतवर्ष के 17 प्रतिशत वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में कुल राजस्व प्राप्तियों में 25 प्रतिशत की बृद्धि हुई । राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान प्रमुख वृद्धियां मोटर स्पिरिट एवं स्नेहनों के विक्रय पर कर (230 प्रतिशत), राज्य आबकारी (72 प्रतिशत), गन्ना के क्रय पर कर (40 प्रतिशत), स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (16 प्रतिशत) एवं बिक्री कर (15 प्रतिशत) के मदों में हुई, जबकि प्राप्ति शीर्ष बिक्री कर के अन्तर्गत संग्रहण की वृद्धि दर 1989-90 में 30 प्रतिशत से 1990-91 में 15 प्रतिशत गिर गई तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के अन्तर्गत 1989-90 में 23 प्रतिशत से 1990-91 में 16 प्रतिशत की गिरावट हुई । भू-राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि वर्ष 1990-91 में यह 25 प्रतिशत घट गई । वर्ष 1989-90 की 17 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 1990-91 में कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में 6 प्रतिशत की कमी हो गई ।

(प्रस्तर 1.1 तथा 1.2)

(ख) बिक्री कर से सम्बन्धित असंग्रहीत राजस्व का बकाया गत तीन वर्षो से निरन्तर बढ़ता रहा है (वर्ष 1988-89में951.46 करोड़ रुपए, वर्ष 1989-90में1160.60 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1990-91में1267.49 करोड़ रुपए) ।

(प्रस्तर 1.6)

(ग) बिक्री कर निर्धारणों को उनके कालातीत होने के ठीक पहले अन्तिम रुप देने की सुस्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई । इस प्रकार वर्ष 1990-91 में अन्तिम रुप दिए गए 5.28 लाख बिक्री कर निर्धारणों में से 41 प्रतिशत वे मामले थे जो अगामी वर्ष में कालातीत हो गये होते ।

(प्रस्तर 1.5(ख) तथा (ग))

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए नमूना जांच के परिणास्वरुप कुल 71.36 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि के मामले देखे गए । ये बिक्री कर (9.18 करोड़ रुपए), राज्य आबकारी (1.59 करोड़ रुपए), वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर (1.63 करोड़ रुपए), स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस (1.76 करोड़ रुपए), भू-राजस्व (1.48 करोड़ रुपए), वन प्राप्तियां (45.83 करोड़ रुपए) तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न राजस्व (9.89 करोड़ रुपए) से सम्बन्धित थे ।

(प्रस्तर 2.1,3.1,4.1,5.1,6.1,7.1,8.1,9.1)

18 महा०

(ड.) इस प्रतिवेदन में 20.86 करोड़ रुपए धनराशि के अवनिर्धारण/राजस्व की हानि के प्रमुख मामले सम्मिलित हैं जो वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गये थे । इसमें से 3.24 करोड़ रुपए का अवनिर्धारण विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसमें से जनवरी 1992 तक 0.09 करोड़ रुपए वसूल किए गए । 1.78 करोड़ रुपए के विषय में विभागों ने लेखा परीक्षा निष्कर्षों को नहीं माना जिन्हें कर-विधि पर आधारित समुचित टिप्पणी सहित सम्बन्धित प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया । 15.84 करोड़ रुपए से सम्बद्ध लेखा परीक्षा आपत्तियों का अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अप्रैल 1992) ।

(च) 71.56 करोड़ रुपए की धनराशि से सम्बद्ध दिसम्बर 1990 तक निर्गत 2330 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जून 1991 तक समाधान हेतु लम्बित थे । 553 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम उत्तर तक प्राप्त नहीं हुआ ।

(प्रस्तर 1.8)

2. बिक्री कर

(क) "विभिन्न स्तरों पर अपीलों का लम्बन तथा राजस्व संग्रह पर उनका प्रभाव" पर की गई एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

(i) वर्ष 1990-91 तक अपीलों में कुल 210.90 करोड़ रुपए सन्निहित था, जो वर्ष 1990-91 के कुल राजस्व का 15 प्रतिशत तथा उस वर्ष के अन्त तक के कुल बकाया का 17 प्रतिशत था ।

(प्रस्तर 2.2.5)

(ii) विभागीय अपील प्राधिकारियों (सहायक आयुक्त (न्यायिक), उपायुक्त (अपील) एवं आयुक्त) द्वारा गत चार वर्षों(1987-88 से 1990-91) के दौरान किए गए अपीलों का निस्तारण उक्त वर्षों में सम्मिलित नए मामलों का 82 प्रतिशत था । परिणामस्वरूप अपीलों का लम्बन तीव्रता से बढ़ता रहा ।

(प्रस्तर 2.2.7(क))

(iii) विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपीलों को आगे बढ़ाने में असफल होने के कारण 13.86 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.2.2(iv)(क))

(ख) "बिक्री कर विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन" पर की गई समीक्षा से निम्न बिन्दुओं का पता चला:

(i) यद्यपि वर्ष 1989-90 तक समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के 66 प्रतिशत कर्मचारी काम पर लगाए गए थे फिर भी इकाइयों के आन्तरिक लेखा परीक्षण में 68 से 74 प्रतिशत के मध्य कमी थी ।

(प्रस्तर 2.3.4(ii))

(ii) आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों की 50 प्रतिशत आपत्तियां (5049 मामले) जिनमें 20.07 करोड़ रुपए निहित थे (सम्पूर्ण निहित राजस्व का 79 प्रतिशत) समाधान एवं निस्तारण के लिए प्रतीक्षित थीं ।

(प्रस्तर 2.3.6(घ)(i))

(iii) अवनिर्धारण, अर्थदण्ड का न लगाना, तथा राजस्व की हानि से सम्बन्धित 37 मामलों का, जिससे कुल 49.53 लाख रुपए सम्बद्ध थे, उनका पता लगाने में आन्तरिक लेखा परीक्षा असफल रही । बाद में वर्ष 1990-91 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षा ने उनका पता लगाया ।

(प्रस्तर 2.3.6(घ)(iii))

(ग) "बिक्री कर के अन्तर्गत प्रतिप्रेषण के मामलों का निस्तारण" पर समीक्षा में निम्न तथ्यों का पता चला:

(i) प्रतिप्रेषण प्राधिकरण से निर्धारण प्राधिकरण के मध्य मामलों के संचलन पर विभाग का नियंत्रण न होने के फलस्वरूप उनके प्रेषण में एक माह से 6 माह से भी अधिक समय का विलम्ब हुआ । (प्रस्तर 2.4.4(i))

(ii) प्रतिप्रेषित किए गए मामलों की संख्या वर्ष 1987-88 में 4475 से बढ़ कर वर्ष 1990-91 में 5590 हो गई । एक व्यापारी का कर-निर्धारण का मामला अन्तिम समाधान हेतु 15 वर्षों के ऊपर के समय से लम्बित था ।

(प्रस्तर 2.4.4(ii),(v))

(iii) पुनः कर-निर्धारण में अनियमितता के कारण चार मामलों में 3.93 लाख रुपए का कर/अर्थदण्ड कम लगा ।

(प्रस्तर 2.4.4(iv))

(घ) इस प्रतिवेदन में, अन्य विषयों के अतिरिक्त, निम्न प्रकार के मामले सम्मिलित हैं:

(i) कानपुर के चांदी के आभूषण के एक व्यापारी के मामले में पंजीयन प्राप्त न करने तथा सकल बिक्रय धन को छिपाने के कारण 10.05 लाख रुपए अर्थदण्ड कम लगाया गया ।

(प्रस्तर 2.5)

(ii) वनस्पति के दो व्यापारियों को निर्गत मान्यता प्रमाण पत्र में पैकिंग सामग्री के कर-मुक्त क्रय हेतु प्राधिकृत करने में अनियमितता के फलस्वरूप वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान 23.21 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.7.घ(क)(i)(ii))

(iii) 9 जनपदों के 15 मामलों में सकल विक्रयधन को छिपाने के कारण 38.06 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपणीय था परन्तु कर निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय इसे आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.8क)

(iv) स्टील टयूब के एक व्यापारी को बिक्री कर से छूट प्रदान की गई थी जबकि स्टील टयूब को उसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पश्चात बेचा था । इस अनियमित छूट के कारण वर्ष 1986-87 में 3.10 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 2.10(i))

(v) कानपुर के एक व्यापारी द्वारा बिना घोषणा प्रपत्र के बबूल की छाल के क्रय पर 4.38 लाख रुपए क्रय कर आरोप्य था परन्तु उसे आरोपित नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 2.14)

3. राज्य आबकारी

(क) हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक (प्रत्यक्ष) क्षमता के आधार के बजाय बोतलों पर चिपके लेबिलों पर लिखित न्यूनतम निर्धारित क्षमता के आधार पर शुल्क लगाने के कारण रामपुर तथा लखनऊ स्थित दो आसवनियों के सम्बन्ध में अप्रैल 1988 से मार्च 1990 की अवधि में 17.07 लाख रुपए शुल्क का अवनिर्धारण हुआ ।

(प्रस्तर 3.2)

(ख) 19 मार्च 1990 से 10 सितम्बर 1990 के दौरान गाज़ियाबाद की एक आसवनी द्वारा 1,67,728.80 अल्कोहलिक लीटर माल्ट सादा स्पिरिट के निर्यात पर शुल्क की गलत दर लगाए जाने के कारण 7.55 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 3.3)

(ग) वाराणसी, नैनीताल, रायबरेली, गोरखपुर तथा लखीमपुर खीरी के विभिन्न अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा शुल्क के भुगतान में विलम्ब के कारण देय 13.05 लाख रुपए ब्याज आरोपित कर वसूल नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 3.6)

4. वाहन, माल तथा यात्रियों पर कर

(क)(i) "परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली" पर की गई एक समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि (i) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान एक वर्ष में निर्धारित 252 दिवसों की जांच-अवधि के विरुद्ध प्रवर्तन शाखा द्वारा मात्र 7 से 206 दिवसों की अवधि में जांच करने से निरीक्षण में कमी हुई तथा (ii) जांच की प्रतिशतता में वर्ष 1987-88 में 17.03 प्रतिशत से वर्ष 1989-90 में 14.92 प्रतिशत की गिरावट हुई ।

समीक्षा ने यह भी दर्शाया कि शासकीय अधिसूचना दिनांक 8 नवम्बर 1990 के प्रचार में विलम्ब के फलस्वरूप 8 नवम्बर 1990 तथा 19 जनवरी 1991 के मध्य घटित अपराधों के मामलों में प्रशमन शुल्क पुराने दर पर लगाने के कारण 6.72 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 4.2.4,4.2.5(क),4.2.9)

(ख) निर्धारित न्यूनतम किराया लागू न करने के कारण एक उप-सम्भागीय तथा तीन सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में 6.39 लाख रुपए यात्री-कर की हानि हुई ।

(प्रस्तर 4.3क)

5. स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस

(क) सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप 12 मामलों में 17.29 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया ।

(प्रस्तर 5.2(क)एवं(ख))

6. वन प्राप्तियां

(क) "लघु वन उत्पाद का समुपयोजन" पर की गई एक समीक्षा ने निम्नलिखित तथ्य उद्घटित किया :

(I) 30.98 लाख लीसा नाली के निकासी न करने के परिणामस्वरूप 599.08 लाख रुपए मूल्य के 64,906 कुन्तल लीसा का उत्पादन कम हुआ ।

(प्रस्तर 8.2.6.1)

(II) एक वन से लीसा को कम दर पर बेचने के कारण कुल 57.87 लाख रुपए की राजस्व तथा प्रशासनिक प्रभार की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.6.2)

(III) 208.13 लाख रुपए विलम्ब शुल्क की वसूली उत्तर प्रदेश वन निगम तथा तराई अनुसूचित जनजाति निगम से नहीं की गई ।

(प्रस्तर 8.2.7.1)

(IV) वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक गत पांच वर्षों के दौरान बांस के कटान के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारण 46.24 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.8.1)

(घ) साल बीजों के संग्रह के लिए संविदा को अंतिम रुप देने में विलम्ब के फलस्वरूप 19.04 लाख रुपए की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.2.10.1एवं 10.2)

(ख) वृक्षों के अवैधानिक कटान का पता लगाने में वन कर्मचारियों की असफलता के कारण 10.79 लाख रुपए मूल्य के वृक्षों की हानि हुई ।

(प्रस्तर 8.11)

7. **अन्य विभागीय प्राप्तियां**

(क) सिंचाई विभाग के पांच सिंचाई प्रखण्डों में 24,775 एकड़ अवैधानिक रुप से सिंचित नहर के पानी के दुरूपयोग के 1874 मामले में जो भूमि को आवृत्त किए हुए थे तथा जिसमें 12.98 लाख रुपए का दण्ड प्रभार सन्निहित था, जांच कर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

(प्रस्तर 9.2)

(ख) पांच सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों में पथ कर संग्रह के लिए 14 पट्टा अनुबन्ध पत्र पर 29.27 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क ठीकेदारों पर न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया ।

(प्रस्तर 9.6)

(ग) सरकारी भवनों में निवास कर रहे सरकारी कर्मचारियों की ओर से लोक निर्माण विभाग द्वारा नगरपालिका प्रभार के रुप में स्थानीय निकायों को भुगतान किए गए 21.38 लाख रुपए की वसूली भवन में निवास करने वालों से वसूल नहीं की गई ।

(प्रस्तर 9.7)

अध्याय ।

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि

उत्तर प्रदेश शासन की वर्ष 1990-91 हेतु 7881.79 करोड़ रुपए की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियां 8310.10 करोड़ रुपए थीं । गत वर्ष की प्राप्तियों में 17 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1989-90 की प्राप्तियों (6623.17 करोड़ रुपए) की अपेक्षा 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 8310.10 करोड़ रुपए की कुल प्रापितयों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 3939.59 करोड़ रुपए था जिसमें से 3162.12 करोड़ रुपए कर-राजस्व तथा शेष 777.47 करोड़ रुपए कर-भिन्न राजस्व निरूपित करते थे । भारत सरकार से प्राप्तियां 4370.51 करोड़ रुपए रहीं ।

1.2 राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1990-91 के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण, इससे पूर्व के दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है :

	1988-89	1989-90 (करोड़ रुपए में)	1990-91
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर-राजस्व	2065.74	2448.58	3162.12
(ख) कर-भिन्न राजस्व	704.65	823.56	777.47
योग	**2770.39**	**3272.14**	**3939.59**
II. भारत सरकार से प्राप्तियां-			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	1766.09	2301.01	2305.65
(ख) सहायक अनुदान	1115.72	1050.02	2064.86
योग	**2881.81**	**3351.03**	**4370.51**
III. राज्य की कुल प्राप्तियां(I+II)	5652.20	6623.17	8310.10×
IV. I से III की प्रतिशतता	49	49	47

× विवरण के लिए कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1990-91 में "विवरण संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का ब्योरेवार लेखा" देखें

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से जुटाया गया कर-राजस्व

वर्ष 1990-91 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियां (3162.12 करोड़ रुपए) राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (3939.59 करोड़ रुपए) की 80 प्रतिशत थीं तथा गत वर्ष 1989-90 की प्राप्तियों अर्थात् 2448.58 करोड़ रुपए की अपेक्षा 29 प्रतिशत अधिक थीं

वर्ष 1990-91 तथा उससे पूर्व के दो वर्षो के कर-राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है:

राजस्व शीर्ष	1988-89	1989-90	1990-91	1989-90 के सन्दर्भ में 1990-91 में वृद्धि(+) या कमी(-)	वर्ष 1989-90 के सन्दर्भ में वृद्धि या कमी(-)की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपए में)			
1. बिक्री कर	947.00	1235.30	1415.36	(+)180.06	15
2. राज्य आबकारी	338.24	422.13	724.79	(+)302.66	72
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	251.77	310.17	359.73	(+) 49.56	16
4. मोटर स्पिरिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	116.03	64.17	211.97	(+)147.80	230
5. माल एवं यात्रियों पर कर	125.07	135.27	151.69	(+) 16.42	12
6. वाहनों पर कर	89.84	79.30	85.42	(+) 6.12	8
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	72.76	60.11	67.34	(+) 7.23	12
8. विद्युत पर कर और शुल्क	62.00	50.98	53.07	(+) 2.09	4
9. गन्ने के क्रय पर कर	27.18	37.93	53.04	(+) 15.11	40
10. भू-राजस्व	35.77	53.16	39.65	(-) 13.51	(-)25
11 आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.01	0.05	0.05	-	-
12. कृषीय भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर	0.07	0.01	0.01	-	-
	2065.74	**2448.58**	**3162.12**	**(+)713.54**	**29**

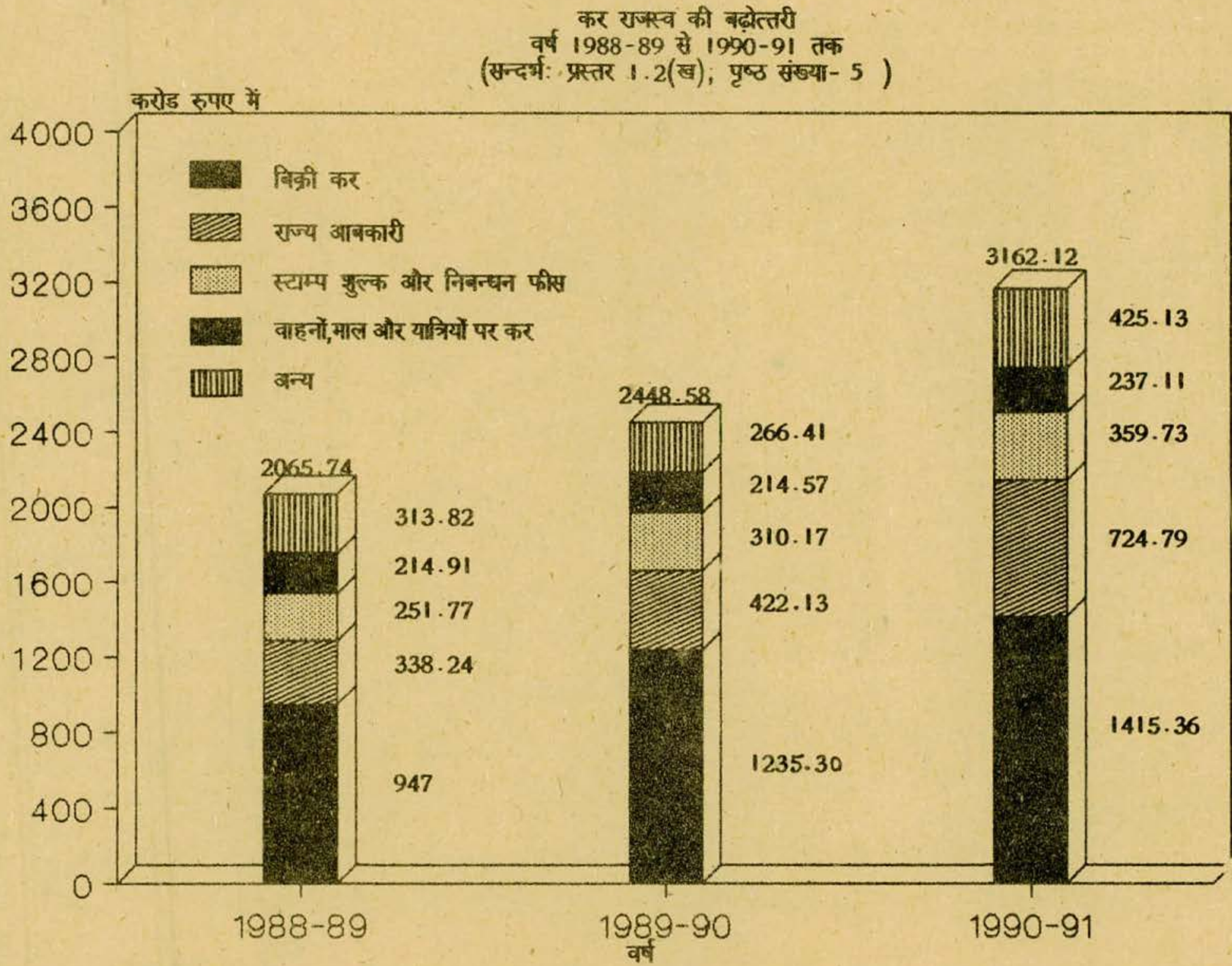

कर राजस्व की बढ़ोत्तरी
वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2(ख); पृष्ठ संख्या- 5)
करोड रुपए में
बिक्री कर
राज्य आबकारी
स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस
वाहनों,माल और यात्रियों पर कर
अन्य
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
2065.74
313.82
214.91
251.77
338.24
947
2448.58
266.41
214.57
310.17
422.13
1235.30
3162.12
425.13
237.11
359.73
724.79
1415.36
1988-89
1989-90
1990-91
वर्ष

रेखा चित्र - 1

स्टाम्प एवं पंजीयन (16 प्रतिशत), बिक्री कर (15 प्रतिशत) एवं विद्युत शुल्क (2.09 प्रतिशत) में वृद्धि हुई परन्तु मोटर स्पिरिट एवं स्नेहनों की बिक्री पर कर (230 प्रतिशत), राज्य आबकारी (72 प्रतिशत) एवं गन्ने के क्रय पर कर (40 प्रतिशत) में वृद्धि असामान्य थी । गत वर्ष की वृद्धि की तुलना में बिक्री कर के संग्रह में 30 प्रतिशत से (1989-90) 15 प्रतिशत (1990-91),तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के संग्रह में 23 प्रतिशत (1989-90) से 16 प्रतिशत (1990-91) की गिरावट हुई । भू-राजस्व के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इस वर्ष (1990-91) 25 प्रतिशत की कमी हो गई ।

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए निवेदन किया गया है (जनवरी 1992) । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

गत तीन वर्षो अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान कर राजस्व की बढ़ोत्तरी रेखा चित्र-1 द्वारा दर्शाई गई है ।

(ग) राज्य का कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 1990-91 के दौरान कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियां (777.47 करोड़ रुपए) राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों (3939.59 करोड़ रुपए) की 20 प्रतिशत थीं तथा गत वर्ष 1989-90 की प्राप्तियों (823.56 करोड़ रुपए) में 17 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध इस वर्ष 6 प्रतिशत की कमी हुई ।

वर्ष 1990-91 तथा उससे पूर्व दो वर्षो का उन विभागों के कर-भिन्न राजस्व का विश्लेषण जिनकी प्राप्तियां 10 करोड़ रुपए से अधिक थीं, नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	1988-89	1989-90	1990-91	1989-90 के सन्दर्भ में 1990-91 में वृद्धि(+) या कमी (-)	वर्ष 1989-90 के सन्दर्भ में वृद्धि या कमी(-) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपए में)			
1. ब्याज प्राप्तियां	234.54	281.68	302.08	(+)20.40	7
2. विभिन्न सामान्य सेवाएं	106.67	138.37	161.94	(+)23.57	17

1	2	3	4	5	6
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	78.18	92.14	88.09	(-) 4.05	(-) 4
4. बृहत् और मध्यम सिंचाई	30.39	36.62	35.03	(-) 1.59	(-) 4
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	16.33	44.95	33.90	(-)11.05	(-)25
6. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	9.16	21.18	15.74	(-) 5.44	(-)26
7. पुलिस	16.39	11.76	15.17	(+) 3.41	29
8. अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	27.05	16.56	14.59	(-) 1.97	(-)12
9. अन्य प्रशासनिक सेवांए	15.38	20.85	12.89	(-) 7.96	(-)38
10. सड़क एवं सेतु	10.21	10.79	11.79	(+) 1.00	9
11. लोक निर्माण	13.01	13.73	10.43	(-) 3.30	(-)24
12. अन्य	147.34	134.93	75.82	(-)59.11	(-)44
योग	**704.65**	**823.56**	**777.47**	**(-)46.09**	**(-) 6**

यद्यपि ब्याज प्राप्तियों तथा विभिन्न सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथापि गतवर्ष (1989-90) की 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में यह बढ़ोत्तरी कम थी । शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के अन्तर्गत गतवर्ष (1989-90) के 175 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 25 प्रतिशत कमी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत गतवर्ष (1989-90) के 131 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 26 प्रतिशत कमी, अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत गतवर्ष (1989-90) के 36 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 38 प्रतिशत कमी, बृहत् एवं मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत गतवर्ष (1989-90) के 20 प्रतिशत की वृद्धि की तुलनामें 4 प्रतिशत कमी, तथा वानिकी एवं वन्य जीवन के अन्तर्गत गतवर्ष (1989-90) के 17 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 4 प्रतिशत कमी असाधारण थी ।

कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी
वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2(ग); पृष्ठ संख्या-9)

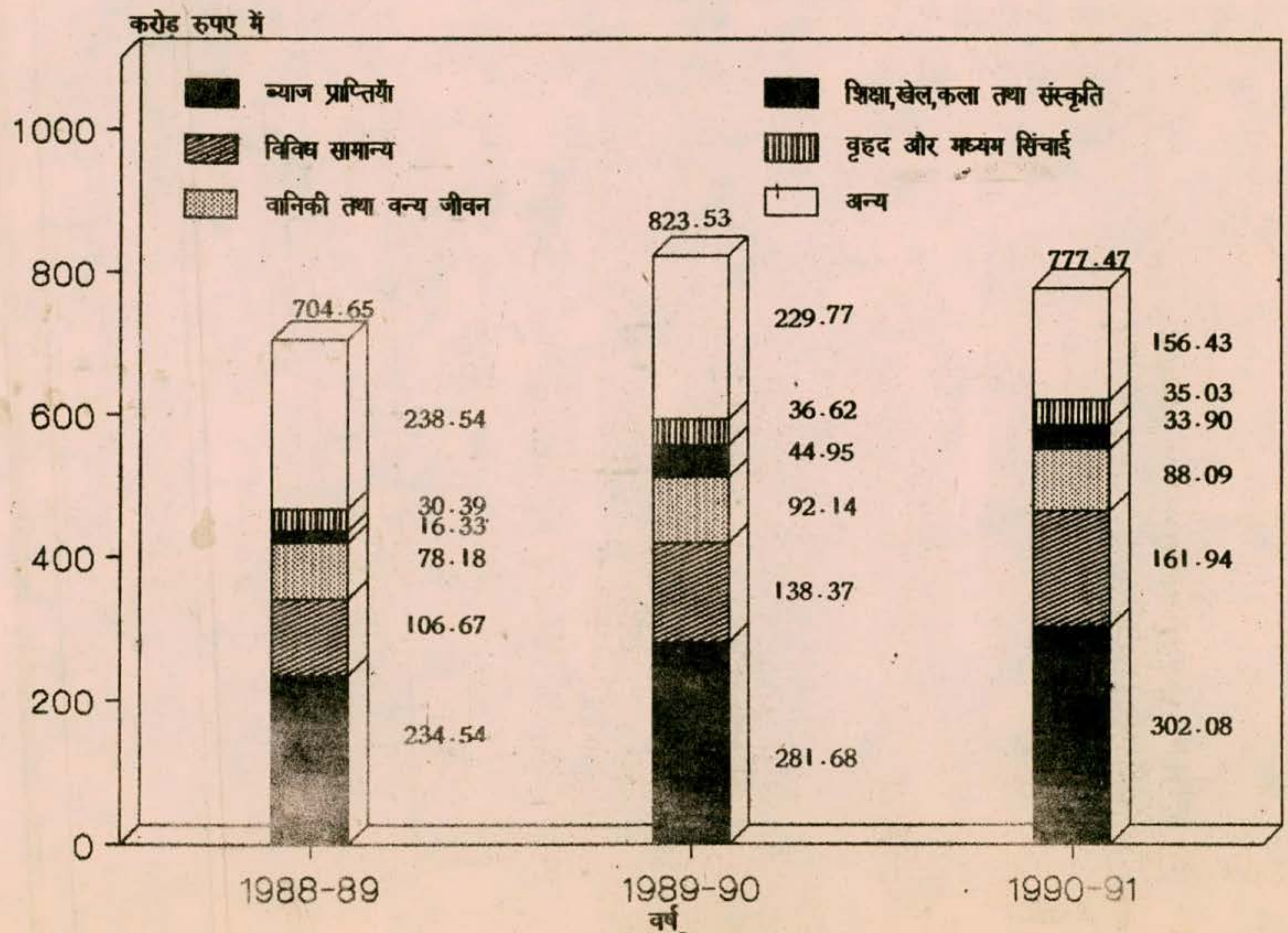

रेखा चित्र - 11

राज्य सरकार से 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए निवेदन किया गया है (जनवरी 1992)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

गत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान हुई कर-भिन्न राजस्व की बढ़ोत्तरी रेखा चित्र - 11 में दर्शाई गई है।

कतिपय विभागों द्वारा प्रस्तुत संग्रह का विश्लेषण तथा प्रत्यर्पणों का विवरण निम्नलिखित है :

संग्रह	बिक्री कर	गन्ने के क्रय पर कर (खांडसारी इकाइयां)
	(करोड़ रुपए में)	
1. कर निर्धारण के पूर्व स्तर पर संग्रहीत धन	1265.93	1.39
2. नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रहीत धन	76.33	9.30
3. अन्य प्राप्तियां	32.54	-
4. लौटाया गया धन	(-)5.14	(-)0.02
5. शुद्ध संग्रह	1369.66	10.67

प्रत्यर्पण

प्राप्ति शीर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे		वर्ष के दौरान प्राप्त दावे		वर्ष के दौरान लौटाया गया धन		वर्ष के अन्त में अवशेष	
	संख्या	धन	संख्या	धन	संख्या	धन	संख्या	धन
			(लाख रुपए में)					
1. विद्युत शुल्क								
1988-89	-	-	2	0.92	2	0.92	-	-
1989-90	-	-	1	0.16	1	0.16	-	-
1990-91	-	-	4	4.57	4	4.57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. गन्नें के क्रय पर कर (खांडसारी इकाइयां)								
1988-89	7	0.98	17	0.70	15	0.67	9	1.01
1989-90	24	1.45	22	1.10	19	1.03	27	1.52
1990-91	1	0.08	38	1.63	19	0.79	20	0.92

1.3 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कर-राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर नीचे दिए गए हैं:

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर-राजस्व	2569.68	3162.12	(+)592.44	23
ख. कर-भिन्न राजस्व	803.06	777.47	(-) 25.59	(-) 3

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अन्तर्गत अन्तर का विभाजन निम्नवत् है:

राजस्व शीर्ष (1)	बजट अनुमान (2)	वास्तविक प्राप्तियां (3)	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-) (4)	भिन्नता की प्रतिशतता (5)
	(करोड़ रुपए में)			
क. कर-राजस्व				
1. बिक्री कर	1159.40	1415.36	(+)255.96	22
2. राज्य आबकारी	498.39	724.79	(+)226.40	45
3. स्टाम्प एवं पंजीयन	335.21	359.73	(+) 24.52	7
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहनों के विक्रय पर कर	160.03	211.97	(+) 51.94	32
5. माल एवं यात्रियों पर कर	145.13	151.69	(+) 6.56	5
6. वाहनों पर कर	85.34	85.41	(+) 0.07	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-मनोरंजन कर	64.14	67.34	(+) 3.20	5
8. विद्युत पर कर और शुल्क	50.23	53.07	(+) 2.84	6
9. गन्ने के क्रय पर कर	41.75	53.04	(+)11.29	27
10. भू-राजस्व	30.00	39.65	(+) 9.65	32
ख. कर-भिन्न राजस्व				
11. ब्याज प्राप्तियां	325.86	302.08	(-)23.78	(-)7
12. विविध सामान्य सेवाएं	139.84	161.94	(+)22.10	16
13. वानिकी एवं वन्य जीवन	83.59	88.09	(+) 4.50	5
14. वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	71.82	35.03	(-)36.79	(-)51
15. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	31.32	33.90	(+) 2.58	8

स्पष्ट है कि उपलब्ध कर संसाधनों का अनुमान, वास्तविक प्राप्तियों से अत्यन्त कम था जो राज्य आबकारी के विषय में 45 प्रतिशत, बिक्री कर के विषय में 22 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, बृहत् एवं मध्यम सिंचाई शीर्ष के अन्तर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध राजस्व की वास्तविक वसूली में 51 प्रतिशत की गिरावट हुई। राज्य सरकार से बजट अनुमान के विरुद्ध राजस्व की वास्तविक वसूली में तेज गिरावट के कारणों को सूचित करने के लिए दिसम्बर 1991 में निवेदन किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नही हुए हैं (अप्रैल 1992)। सम्बन्धित समस्त शीर्षों के विषय में वास्तविक तथा बजट अनुमान के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता के कारणों को सूचित करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है (जनवरी 1992)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.4 संग्रह की लागत

वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 के तीन वर्षों के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों

के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1989-90 का अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपए में)			
1. भू-राजस्व	1988-89	35.77	40.24	112	
	1989-90	53.16	52.74	99	
	1990-91	39.65	67.24	170	
2. बिक्री कर	1988-89	947.00	24.97	3	
	1989-90	1235.30	31.81	3	
	1990-91	1415.36	60.46	4	
3. वाहनों पर कर	1988-89	89.84	2.21	2	1.5
	1989-90	79.30	2.99	4	3
	1990-91	85.42	5.73	7	
4. माल तथा यात्रियों पर कर	1988-89	125.07	0.29	-	
	1989-90	135.27	0.39	-	
	1990-91	151.69	1.91	1	
5. विद्युत कर	1988-89	62.00	1.22	2	
	1989-90	50.98	1.67	3	
	1990-91	53.07	1.80	3	
6. मनोरंजन कर	1988-89	72.76	7.07	10	
	1989-90	60.12	9.68	16	
	1990-91	67.34	14.56	22	

भू-राजस्व से सम्बन्धित 39.65 करोड़ रुपए के सकल संग्रह के विरुद्ध व्यय (67.24 करोड़ रुपए) में असामान्य वृद्धि हुई । इसके कारणों के साथ-साथ मनोरंजन कर के सम्बन्ध में भी व्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारणों को सूचित करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है (जनवरी 1992) । उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं ।

1.5 कर-निर्धारण के बकाया मामले

बिक्री - कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान बिक्री कर विभाग द्वारा निपटाए जाने हेतु अपेक्षित तथा निपटाए गए कर-निर्धारण के मामलों की संख्या के साथ-साथ

मार्च के अन्त में निपटाए जाने हेतु कर-निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्नवत् है:

		1989-90	1990-91
(I)	**वर्ष के दौरान निपटाए जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या**		
	बकाया मामले	8,15,564	8,12,978×
	चालू मामले	3,26,876	3,49,408
	रिमाण्ड के मामले	9,984	10,722
	योग	**11,52,424**	**11,73,108**
(II)	**वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या**		
	बकाया मामले	3,87,448	4,20,014
	चालू मामले	15,762	1,00,737
	रिमाण्ड के मामले	6,572	7,211
	योग	**4,09,782**	**5,27,962**
(III)	**31 मार्च को निपटाए जाने हेतु लम्बित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या**		
	बकाया मामले	4,28,116	3,92,964
	चालू मामले	3,11,114	2,48,671
	रिमाण्ड के मामले	3,412	3,511
	योग	**7,42,642**	**6,45,146**
(IV)	निपटाए गए मामलों की निपटाए जाने हेतु अपेक्षित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या से प्रतिशतता	36	45

(उपर्युक्त सूचनाओं को रेखा-चित्र-III में प्रस्तुत किया गया है)

×वर्ष 1990-91 का आदि शेष 7,42,642 मामले (1989-90 का अंत शेष) विभाग द्वारा परिशोधित करके 8,12,978 मामले कर दिया गया है । 70,336 मामले विभाग द्वारा मामलों की छान-बीन के फलस्वरुप शामिल किए गए बताए गए ।

वर्ष 1990-91 में बिक्री कर विभाग में कर-निर्धारण का निष्पादन

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.5; पृष्ठ संख्या 13)

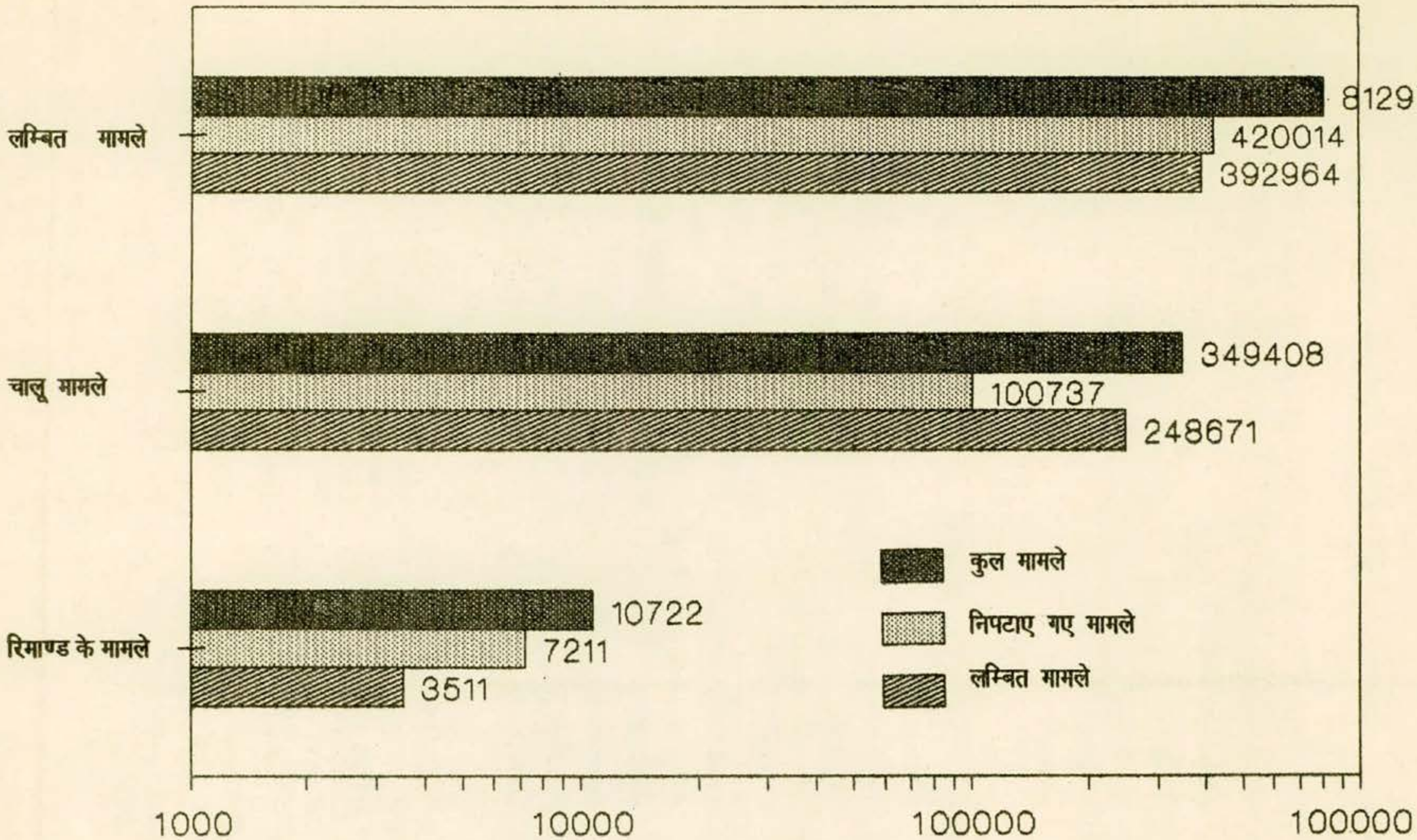

रेखा चित्र - III

अवलोकनीय है कि कर-निर्धारण के अपेक्षित मामलों में से 69 प्रतिशत से अधिक मामले पुराने या लम्बित थे । गतवर्ष के 36 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 1990-91 के दौरान किया गया कर-निर्धारण अपेक्षित कर-निर्धारण का 45 प्रतिशत था परन्तु लम्बित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या को पर्याप्त रूप से घटाने के लिए कर-निर्धारण वादों की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना अभी भी अपेक्षित है ।

31 मार्च को लम्बित कर-निर्धारण का वर्षवार विभाजन निम्न तालिकानुसार था:

कर निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या
1985-86 तक	903
1986-87	22,923
1987-88	1,52,556
1988-89	2,16,582
1989-90	2,48,671
पुनर्कर निर्धारण के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित मामले	3,511
योग	6,45,146

(उपर्युक्त सूचना रेखा चित्र- IV में प्रस्तुत की गई है)

(ख) वर्ष के अन्त में कर-निर्धारण कार्य की हड़बड़ी

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान निष्पादित कर-निर्धारण मामलों का विवरण निम्नवत् है:

अवधि	1989-90		1990-91	
	निष्पादित कर-निर्धारण के मामलों की सं0	उठाई गई मांगें (करोड़ रुपए में)	निष्पादित कर-निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गई मांगें (करोड़ रुपए में)
अप्रैल से दिसम्बर	2,68,440	188.32	3,65,499	233.74
जनवरी से मार्च	1,41,342	353.72	1,62,463	315.68
योग	**4,09,782**	**542.04** (अन्तिम)	**5,27,962**	**549.42**

स्पष्ट है कि अप्रैल से दिसम्बर के दौरान मामलों के निस्तारण की दर (औसतन 40,611 मामले प्रति माह) वर्ष के अन्तिम त्रैमास (औसतन 54,154 मामले प्रतिमाह) की अपेक्षा

31 मार्च 1991 को बिक्री कर विभाग में लम्बित कर-निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.5; पृष्ठ संख्या 15)

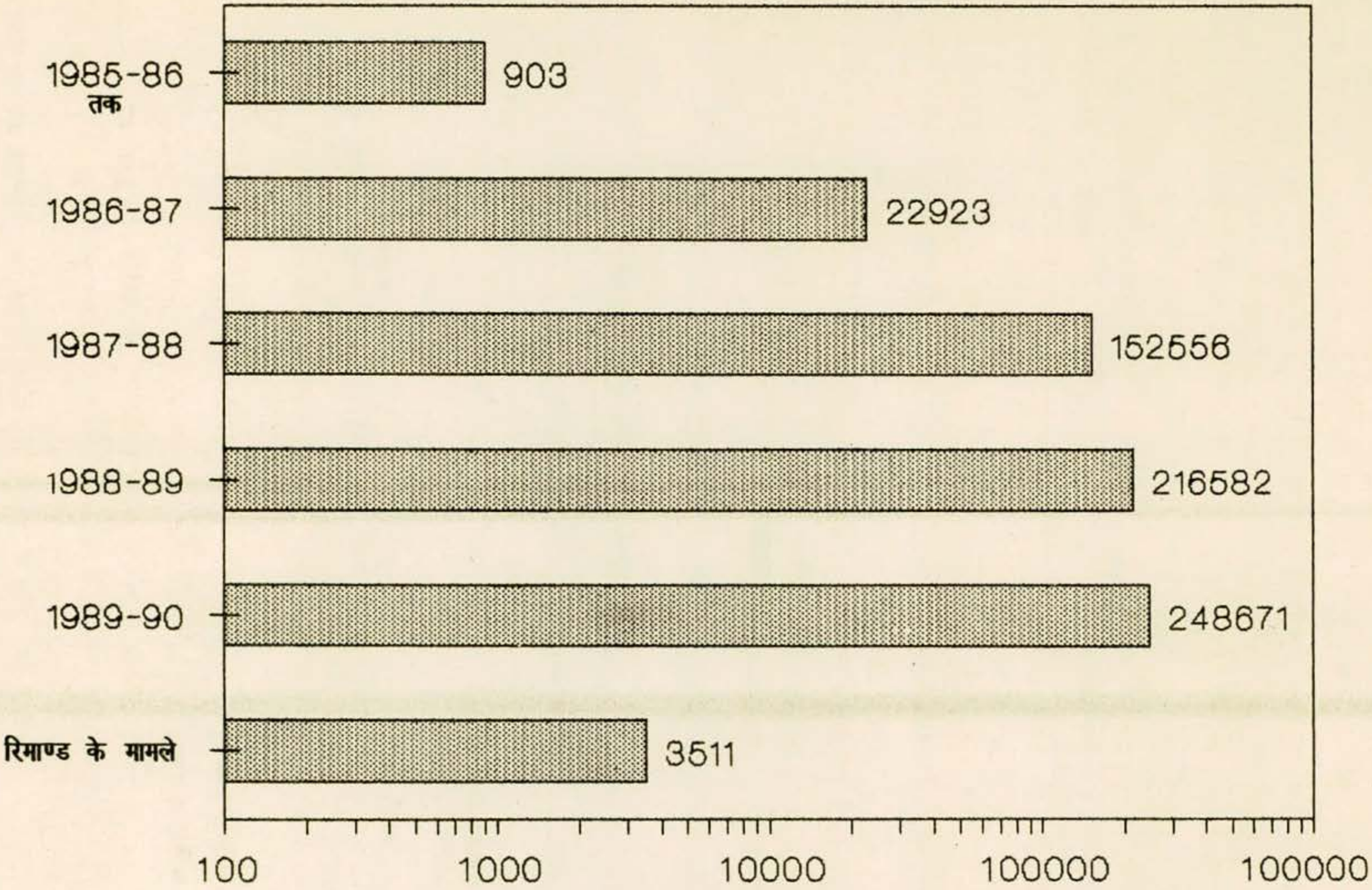

रेखा चित्र - IV

अत्यन्त कम थीं । प्रथम तीन त्रैमासों में अतिरिक्त मांग (233.74 करोड़ रुपए) भी वर्ष के अन्तिम त्रैमास में सृजित की गई मांग (315.68 करोड़ रुपए) से अत्यन्त कम थी ।

(ग) प्रतिबन्धित अवधि के अन्त में भारी संख्या में मामलों का निष्पादन किया जाना

मामलों के निस्तारण का विभाजन, जिस वर्ष से सम्बन्धित हें उन वर्षों के सन्दर्भ में, निम्नानुसार प्रदर्शित करता है कि निष्पादित मामलों के 41 प्रतिशत मामले तीन वर्षों से अधिक पुराने थे तथा यदि उनका उसी वर्ष निस्तारण न किया गया होता तो वे कालातीत हो गए होते ।

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष	जिस वर्ष से सम्बन्धित हैं उन वर्षों के अनुसार, निस्तारित मामलों का विभाजन		
	वर्ष	मामलों की संख्या	प्रतिशतता
1990	1985-86 तक	2,20,949	54
	1986-87	1,05,383	26
	1987-88	61,116	15
	1988-89	15,762	4
	रिमाण्ड मामले	6,572	1
	योग	4,09,782	
1991	1986-87 तक	2,14,481	41
	1987-88	99,023	19
	1988-89	1,06,510	20
	1989-90	1,00,737	19
	रिमाण्ड मामले	7,211	1
	योग	5,27,962	

(घ) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

कर-निर्धारण के मामलों की तरह अपील तथा पुनरीक्षण (द्वितीय अपील) के मामलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है । मामलों का निस्तारण प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत चालू मामलों से भी कम है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(I) निर्णीत किये जाने वाले मामलों की संख्या

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
लम्बित मामले	78,325	84,046	53,547	51,656
चालू मामले	50,979	44,282	16,089	21,369
योग	1,29,304	1,28,328	69,636	73,025

(II) निर्णीत मामलों की संख्या

लम्बित मामले	32,387	32,346	15,906	13,626
चालू मामले	12,871	16,860	2,074	5,222
योग	45,258	49,206	17,980	18,848

(III) लम्बित मामलों की संख्या

लम्बित मामले	45,938	51,700	37,641	38,030
चालू मामले	38,108	27,422	14,015	16,147
योग	84,046	79,122	51,656	54,177

31 मार्च 1991 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन

वर्ष	31 मार्च 1991 को लम्बित अपील के मामले	31 मार्च 1991 को लम्बित पुनरीक्षण के मामले
1985 तक	151	4,421
1986	98	3,566
1987	971	5,122
1988	10,718	8,655
1989	22,694	9,533
1990	31,411	18,191
1991 (जनवरी से मार्च 91)	13,079	4,689
योग	79,122	54,177

प्रतिबन्धित अवधि के अन्तिम क्षणों में भारी संख्या में मामलों को निपटाने की प्रवृत्ति से, हड़बड़ी में किए गए कर-निर्धारण, अभिलेखों की अपर्याप्त जांच तथा समय व्ययगम के साथ व्यापारियों के दिवालिया या गुम हो जाने के कारण, राजस्व की हानि हो जाने की

सम्भावना रहती है । दूसरी ओर, कर-निर्धारण तथा अपील में पड़े हुए मामलों को अंतिम रुप दिये जाने में विलम्ब के फलस्वरूप एक से चार वर्ष के लिए राजस्व अवरुद्ध हो जाता है जो सरकार के साधनों की स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता अपितु ब्याज के माध्यम से व्यपारियों को दैवकृत लाभ उपलब्ध कराने का कारण भी बनता है ।

(ड़.) धोखाधड़ी तथा कर अपवंचन

जानकारी में आए, निस्तारित किए गए तथा 31 मार्च 1991 को लम्बित धोखाधड़ी एवं अपवंचन के मामलों की स्थिति निम्नवत् थी:

	बिक्री कर		मनोरंजन कर	
	मामलों की संख्या	निहित धनराशि	मामलों की संख्या	निहित धनराशि
		(धनराशि करोड़ रुपए में)		
(क)(1) 1 अप्रैल 1990 को लम्बित मामले	6,841	(अनुपलब्ध)	16	(अनुपलब्ध)
(11)वर्ष 1990-91 के दौरान जानकारी में आए मामले	1,819	(तदैव)	198	(तदैव)
(ख)मामले जिनमें वर्षके दौरान जांच/कर-निर्धारण पूर्ण किया गया				
(1)क(1)पर दर्शाए गए मामलों में से		4520	7	(तदैव)
(11)क(11)पर दर्शाए गए मामलों में से	2,257		168	(तदैव)
(ग) वर्ष के अन्त में लम्बित मामले				
(1) क(1)पर दर्शाए गए मामलों से		(तदैव)	9	(तदैव)
(11)क(11)पर दर्शाए गए मामलों से	6,403		30	(तदैव)
अतिरिक्त मांग/अर्थदण्ड की धनराशि	(अनुपलब्ध)	(तदैव)	0.10 (करोड़ रुपए)	(तदैव)

अपेक्षित सूचनाएं बिक्री कर विभाग से दिसम्बर 1991 में मांगी गई थीं । विभाग ने उक्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की ।

1.6 राजस्व का बकाया

वर्ष 1990-91 के अन्त में संग्रह के लिए लम्बित राजस्व का विवरण, जैसा कि कतिपय प्राप्ति शीर्षों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया निम्न तालिका में दिया गया है:

	वर्ष	बिक्रीकर	गन्ना के क्रय पर कर चीनी मिल	गन्ना के क्रय पर कर खाण्डसारी इकाई	वानिकी एवं वन्य जीवन	मनोरंजन कर	विद्युत शुल्क
		(धनराशि करोड़ रुपए में)					
1. वर्षवार विभाजन के साथ कुल बकाया	1985-86 तक	195.61	7.12	0.85	3.53	0.01	0.82
	1986-87	122.61	0.31	0.04	0.11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	1987-88	107.72	0.47	0.02	2.22	0.03	तदैव
	1988-89	143.10	0.54	0.04	2.85	अनुपलब्ध	24.16
	1989-90	237.46	0.63	0.79	0.04	0.03	0.02
	1990-91	460.99	0.46	0.06	0.23	0.38	0.02
	योग	**1267.49**	**9.53**	**1.80**	**8.98**	**0.45**	**25.02**
2. लम्बित बकाया (वर्षवार विभाजन के साथ जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं	1980-81 तक	56.41	6.25	--	अनुपलब्ध	0.42	--
	1981-82	15.53	0.19	0.65	--	0.06	--
	1982-83	22.21	0.13	0.07	--	0.14	--
	1983-84	23.43.	0.16	0.05	--	--	--
	1984-85	31.22	0.07	0.04	--	0.05	0.37
	1985-86	46.81	0.32	0.04	--	अनुपलब्ध	0.45
	योग	**195.61**	**7.12**	**0.85**	**अनुपलब्ध**	**0.67**	**0.82**
3. कार्यवाई की स्थिति (क) वसूली प्रमाण-पत्र द्वारा आवृत्त मांगें		482.51	2.46	0.54	6.04	0.13	0.13
(ख) स्थगित की गई वसूली (I) उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा		210.90	0.42	1.15	0.67	0.28	24.88
(II) सरकार द्वारा		16.03	5.33	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
(ग)अवरूद्ध वसूली (।)संशोधन प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के कारण	36.38	--	--	--	--	--
(।।)व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण	3.03	--	--	--	--	--
(घ)बट्टे खाते में डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	66.45	--	--	0.12	--	--
(ड.)अन्य स्थितियां	452.19	1.32	0.11	0.17	0.04	0.01
(च)प्रतिभूति या विभाग के पास सामग्री के विरूद्ध समायोजित की जानें वाली धनराशि	--	--	--	1.98	--	--
योग	1267.49	9.53	1.80	8.98	0.45	25.02

बिक्री कर एवं गन्ना के क्रय पर कर से सम्बन्धित अन्य स्थितियों का विवरण

विवरण	**बिक्री कर**	**गन्ना के क्रय पर कर (चीनी मिलें)**
	(करोड़ रूपए में)	
1. अपरिपक्व मांगें	341.51	--
2. खो गए/अनुपलब्ध ट्रेजरी चालान	30.80	--
3. अन्य	15.32	--
4. धनराशियों जहां विभिन्न कारणों से वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सके	0.79	--
5. सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया	17.11	--
6. अर्ध-सरकारी फर्म/सरकार द्वारा नियंत्रित फर्म	31.73	--
7. परिवहन कर्त्ताओं के विरूद्ध बकाया	14.93	--
8. धनराशि जिसकी वसूली किश्तों में स्वीकार की गई	(नगण्य)	1.32
योग	452.19	1.32

बिक्री कर के सम्बन्ध में राजस्व का बकाया गत तीन वर्षो से निरन्तर बढ़ता रहा है । वर्ष 1988-89, 1989-9 तथा 1990-91 में राजस्व का बकाया क्रमशः 951.46 करोड़ रुपए, 1160.60 करोड़ रुपए (अन्तिम) तथा 1267.49 करोड़ रुपए था । गन्ना के क्रय पर कर (चीनी मिलों) से सम्बन्धित राजस्व का बकाया भी वर्ष 1989-90 में 9.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 9.53 करोड़ रुपए हो गया ।

1.7 राजस्व का बट्टे खाते में डाला जाना तथा छूट प्रदान करना

1990-91 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई तथा छोड़ दी गई मागों का विवरण जैसा कि बिक्री कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया निम्नवत् है:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. बट्टे खातें में डालने का कारण बाकीदार जिनका पता ज्ञात नहीं	7	0.68
2. बाकीदार जिनकी मृत्यु हो गई	2	0.24
योग	9	**0.92**

1.8 अनिस्तारित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

दिसम्बर 1990 तक जारी उन निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों को दर्शाया गया है जो 30 जून 1991 तक निस्तारण हेतु पड़े रहे:

	जून माह के अन्त में		
	1989	1990	1991
(1) अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1855	2256	2330
(2) अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियां	5050	5771	5375
(3) निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपए में)	82.03	108.11	71.56

दिसम्बर 1990 तक जारी परन्तु 30 जून 1991 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का प्राप्तिवार विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :

प्राप्ति का प्रकार	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों की संख्या		निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपए में)	सबसे पुराने प्रतिवेदन से सम्बन्धित वर्ष
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	310	586	22.65	1979-80
2. बिक्री कर	684	1,416	14.91	1982-83
3. सिंचाई	98	337	8.87	1984-85
4. गन्ना के क्रय पर कर	124	126	8.40	1981-82
5. राज्य आबकारी	187	254	4.41	1982-83
(1) शीरा के बिक्रय पर प्रशासनिक प्रभार	32	39	0.01	1989-90
6. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	110	764	4.65	1983-84
7. लोक निर्माण	71	267	2.44	1984-85
8. भू-राजस्व	169	384	1.93	1982-83
9. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	399	957	2.15	1982-83
10. कृषि कार्य	32	77	0.63	1985-86
11. विद्युत शुल्क	34	38	0.24	1982-83
12. खाद्य और रसद	31	71	0.16	1985-86
13. सहकारिता	29	35	0.08	1984-85
14. मनोरंजन कर	20	24	0.03	1986-87
योग	2,330	5,375	71.56	

निम्नलिखित प्राप्ति शीर्ष से सम्बन्धित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे:

	अनिस्तारित लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जो:-			
	तीन वर्ष या उससे अधिक पुराने थे (मार्च 1988 तक) जारी किए गए	दो वर्ष या उससे अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम थे, (1988-89 के दौरान जारी)	दो वर्ष से कम थे (1989-90 तथा 1990-91 में दिसम्बर 1990 तक जारी	योग
1. गन्ना के क्रय पर कर	50	12	65	127
2. बिक्री कर	3	5	89	97

1	2	3	4	5
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	7	3	66	76
4. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	35	35
5. राज्य आबकारी	-	-	28	28
(1) शीरा के बिक्रय पर प्रशासनिक प्रभार	-	-	34	34
6. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस	-	-	32	32
7. सिंचाई	3	10	15	28
8. भू-राजस्व	-	-	25	25
9. खाद्य एवं रसद	2	5	14	21
10. लोक निर्माण	-	5	11	16
11. विद्युत शुल्क	-	-	12	12
12. कृषि कार्य	-	-	11	11
13. सहकारिता	1	1	9	11
योग	**66**	**41**	**446**	**553**

कुछ महत्वपूर्ण विभागों से सम्बन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों का वर्ष-वार विश्लेषण निम्नवत् है :

वर्ष	प्रतिवेदनों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या	निहित धनराशि (करोड़ रुपए में)
बिक्री कर			
1987-88 तक	116	370	2.11
1988-89	123	231	1.98
1989-90	279	423	7.26
1990-91	166	392	3.56
राज्य आबकारी			
1987-88 तक	62	101	1.06
1988-89	37	38	0.50
1989-90	40	56	1.70
1990-91	48	59	1.15
भू-राजस्व			
1987-88 तक	46	96	0.62
1988-89	28	92	0.20
1989-90	43	102	0.31
1990-91	52	94	0.80

1	2	3	4
स्टाम्प एवं पंजीयन			
1987-88 तक	211	512	1.01
1988-89	59	159	0.21
1989-90	92	219	0.55
1990-91	37	67	0.38
परिवहन विभाग			
1987-88 तक	23	228	1.07
1988-89	25	188	1.16
1989-90	41	222	1.25
1990-91	21	126	1.17
सिंचाई विभाग			
1987-88 तक	52	159	2.87
1988-89	23	89	2.07
1989-90	20	80	3.80
1990-91	3	9	0.13
लोक निर्माण विभाग			
1987-88 तक	36	139	0.84
1988-89	20	84	0.82
1989-90	13	38	0.74
1990-91	2	6	0.04
वन विभाग			
1987-88 तक	123	181	2.79
1988-89	45	93	5.31
1989-90	70	129	5.65
1990-91	72	183	8.90

अध्याय - 2
बिक्री कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए बिक्री-कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 1,174 मामलों में 917.89 लाख रुपए के कर कम लगाए जाने तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1. ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	362	327.64
2. अतिरिक्त कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	76	137.38
3. छूटों की अनियमित स्वीकृति	180	127.52
4. कर की गलत दरों का लगाया जाना	198	65.31
5. माल का गलत वर्गीकरण	27	35.41
6. टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना तथा टर्नओवर का गलत निर्धारण	36	19.57
7. गणनात्मक त्रुटियां	35	9.08
8. अन्य अनियमितताएं	260	195.98
योग	1174	917.89

"विभिन्न स्तरों पर अपीलों का लम्बित रहना और राजस्व वसूली पर उसका प्रभाव", "बिक्री कर विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन की कार्य प्रणाली" तथा "बिक्री कर के अधीन प्रतिप्रेषित वादों का निस्तारण" पर तीन समीक्षाओं तथा वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान देखे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

2.2 विभिन्न स्तरों पर अपीलों का लम्बित रहना और राजस्व वसूली पर उसका प्रभाव

2.2.1 प्रस्तावना

बिक्री कर राज्य के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है जो राज्य के कर राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत है । यह उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम) तथा

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आरोपित एवं वसूल किया जाता है ।

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों से उत्पन्न विवादों को निपटाने के लिए अधिनियम में अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर करने एवं उनके द्वारा अपीलों के पुनरीक्षिण का प्रावधान है । अपीलों का निस्तारण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है । अपील के मामलों के कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर से अपीलीय/न्यायिक अधिकारियों तक भेजने तथा वापसी पर दृष्टि तथा अनुश्रवण रखने की प्रक्रिया अपील के विभागीय मैनुअल (मैनुअल) में निर्धारित की गई है ।

(क) अपीलों के दायर करने की प्रक्रिया

(I) अगर कोई व्यापारी किसी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध है तो वह आदेश की तामीली के 30 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त (न्याय) (स.आ.(न्याय) या उपायुक्त (अपील) (उ.आ.(अपील) जैसी भी स्थिति हो, को अपील दायर कर सकता है, बशर्ते उसने इस बात का सन्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है कि उसने वर्ष में प्रस्तुत सभी विवरण पत्रों में देय सम्पूर्ण स्वीकृत कर अथवा अगर वर्ष में कुछ ही विवरण पत्र प्रस्तुत किए हों अथवा विवरण पत्र बिल्कुल ही न प्रस्तुत किए हों तो स्वीकृत कर अथवा बढ़ाए गए कर का 20 प्रतिशत् जो भी अधिक हो, को पहले ही जमा कर दिया है । अपीलीय अधिकारी ऐसे विशेष तथा पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए विवादित कर के 20 प्रतिशत् की राशि को जमा करने को शिथिल या समाप्त कर सकता है ।

(II) कोई भी व्यक्ति, यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अथवा आयुक्त बिक्री कर (आयुक्त) द्वारा धारा -35 के अन्तर्गत किए गए निर्णय से क्षुब्ध हैं तो वह ऐसे आदेश/निर्णय की तामीली की तिथि से 6 माह के अन्दर बिक्री कर अधिकरण (अधिकरण) में अपील दायर कर सकता है ।

(ख) अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारियों के अधिकार

अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारी सुसंगत अभिलेखों को मंगाने तथा जांच करने और पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् :-

(I) अपील को खारिज कर सकते हैं,

(II) आदेश को पुष्ट, निरस्त या परिवर्तित कर सकते हैं,

(III) वाद को निर्दिष्ट तरीके से जांच कर नया आदेश पारित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रतिप्रेषित कर सकते हैं,

(IV) आदेश के क्रियान्वयनको, व्यापारी द्वारा जहां सभी विवरण पत्र दाखिल किए गए हैं स्वीकृत कर अथवा जहां कुछ हीं विवरण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं अथवा विवरण पत्र बिल्कुल ही न प्रस्तुत किए गए हों, स्वीकृत कर या बढ़ाए गए कर के 20 प्रतिशत् जो भी अधिक हो के अतिरिक्त विवादित कर, शुल्क या अर्थदण्ड के कम से कम एक तिहाई भाग के जमा करने के सन्तोषप्रद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद, स्थगित कर सकते हैं;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी स्थगन आदेश 30 दिन से अधिक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील कर्ता ने उक्त अवधि की समाप्ति के पहले स्थगित धनराशि के भुगतान के लिए जमानत नहीं प्रस्तुत कर दिया है ।

(V) विवादित कर के एक तिहाई भाग को जमा करने की अपेक्षा को छोड़ सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं ।

(VI) अधिक वसूली गयी धनराशि की वापसी के आदेश दे सकते हैं ।

(घ) विशेष अपीलीय अधिकरण की स्थापना

भारतीय संविधान की धारा 323-ख के अन्तर्गत केवल बिक्री कर से सम्बन्धित उन मामलों की सुनवाई के लिए, जिनकी वर्तमान में उच्च न्यायालयों में समीक्षा की जाती है, विशेष अपीलीय अधिकरण के स्थापित किए जाने का प्रावधान है । विशेष अपीलीय अधिकरणों के अधिकार तथा विशेषाधिकार उच्च न्यायालयों के समान है और उनके स्तर पर न सुलझाए गए वादों के विरुद्ध अपीलें केवल उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती हैं । तथापि राज्य में ऐसे किसी अधिकरण की स्थापना नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय के स्तर पर लम्बित अपीलें काफी अधिक हैं (मार्च 1991 के अन्त तक 8611 वाद जिनमें 50.12 करोड़ रुपए निहित था ।

इस अधिकरण की स्थापना से उच्च न्यायालय के स्तर पर लम्बित अपीलों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकती थी तथा अपीलों की संख्या में पर्याप्त कमी की जा सकती थी ।

2.2.2 लेखा परीक्षा का कार्य-क्षेत्र

राजस्व की वसूली पर लम्बित अपीलों के प्रभाव की समीक्षा करने तथा अपीलों के कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर से अपीलीय अधिकारियों को भेजने तथा वापसी पर अनुश्रवण एवं दृष्टि रखने की प्रक्रिया का पड़ताल करने के लिए अप्रैल 1991 से सितम्बर 1991 की अवधि में एक पुनरीक्षण किया गया ।

पूरे राज्य के वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक अपीलों के समस्त सांख्यिकी सूचनाओं/आंकड़ों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच आयुक्त के कार्यालय में की गई । उक्त अवधि के अपीलों, उनके उपर दृष्टि/अनुश्रवण रखने से सम्बन्धित रजिस्टरों तथा अभिलेखों के रख -रखाव तथा अपीलों के निस्तारण के पश्चात् राजस्व वसूली की अनुवर्ती कार्यवाही की, राज्य के औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से अधिक समृद्ध चार जिलों (लखनऊ, कानपुर, बरेली और नोएडा को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद) में नमूना जांच की गई । नमूना जांच में 38 स.आ.(न्याय) में से 8, 11 उ.आ.(अपील) में से चार तथा अधिकरण की 31 पीठों में से 9 कार्यालय आच्छादित रहे और संबंधित बिक्री कर अधिकारियों (बि.क.अ.) तथा सहायक आयुक्तों (कर निर्धारण) (स.आ.(क.नि.) के कार्यालयों में अपील से सम्बन्धित रखे गए अभिलेखों की भी जांच की गई ।

2.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

(क) प्रथम अपीलीय अधिकारी

(I) स.आ.(न्याय), बिक्री कर अधिकारियों श्रेणी प्रथम व द्वितीय द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों से उत्पन्न विवादों को सुनने एवं निश्चिय करने के लिए प्राधिकृत है ।

(II) उ.आ.(अपील), स.आ.(क.नि.) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों से उत्पन्न विवादों को सुलझाने एवं विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत है ।

(III) अगर कोई प्रश्न उठता है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति, संघ, क्लब, सोसाइटी, फर्म, कम्पनी, निगम सरकारी विभाग का उपक्रम व्यापारी है, कोई कार्य विशेष निर्माण है, कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और उसका मूल्य क्या है या किसी व्यापारी को पंजीकरण कराना अपेक्षित है या किसी विशेष विक्रय/क्रय के सम्बन्ध में कर देय है और उसकी दर क्या है? अधिनियम की धारा - 35 के अन्तर्गत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आयुक्त, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चित करेगा ।

(ख) द्वितीय अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारी बिक्री कर अधिकरण

अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत सरकार को अधिकरण जिसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होगें, स्थापित करने का अधिकार है । अधिकरण को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत आयुक्त के आदेशों/निर्णयों के विरुद्ध दायर अपीलों को सुनने एवं विनिश्चित करने का अधिकार है । अधिकरण की स्थापना 3 अक्टूबर 1980 को की गई और 31 मार्च 1990 तक राज्य में अधिकरण की 31 पीठें स्थापित की गईं थीं ।

(ग) उच्च न्यायालय

अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत विशेष मामलों में अधिकरण के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, इस आधार पर कि मामले में विधिप्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण हेतु उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है ।

कर निर्धारण और अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारियों की श्रृंखला निम्नलिखित चार्ट में दी गयी है:

कर निर्धारण प्राधिकारी	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
बि.क.अ. श्रेणी-1 व 2	स.आ.(न्याय)	बिक्री कर अधिकरण	उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय
स.आ.(क.नि.)	उ.आ.(अपील)	---तदैव---	---तदैव---

2.2.4 मुख्य अंश

(i) इस हेतु संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद विशेष बिक्रीकर अधिकरण स्थापित किये जाने का अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया है।

(ii) वर्ष 1990-91 तक अपीलों में अन्तर्ग्रस्त कुल धनराशि 210.90 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 1990-91 की सम्पूर्ण राजस्व की 15 प्रतिशत तथा उस वर्ष के अन्त तक कुल बकाये की 17 प्रतिशत थी ।

(iii) अपीलीय अधिकारियों द्वारा औसत निस्तारण 34 प्रतिशत् तथा लम्बित अपीलों का लगभग 66 प्रतिशत् था ।

(IV) अपीलीय अधिकारियों की संख्या में औसतन 42 प्रतिशत् की वृद्धि हुई जबकि अपीलों के निस्तारण में औसत वृद्धि लगभग 26 प्रतिशत् थी ।

(V) अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारियों के समक्ष विभाग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है ।

(VI) अपीलों के अन्तिम रुप से निस्तारण के पश्चात् सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अधिनियम में कोई बिशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि बैंक गारण्टियाँ अपील के निस्तारण की तिथि को ही समाप्त हो गयीं ।

(VII) निर्धारित रजिस्टरों एवं अन्य अभिलेखों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया गया था और प्रविष्टियाँ प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं की गयी थीं । कुछ मामलों में स्वीकार किए गए जमानती बन्ध-पत्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था ।

(VIII) एक वाद में जहां स्वीकृत टर्नओवर पर सम्पूर्ण कर न जमा करने के बावजूद भी कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध व्यापारी की अपील स्वीकार की गई, विभाग द्वारा स्वीकृत कर न जमा करने का तथ्य अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया ।

(IX) विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में एक अपील की पैरवी करने में असफल होने के फलस्वरूप 13.80 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

(X) उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी के अपील को अस्वीकृत किए जाने के बारे में विभाग द्वारा अपीलीय अधिकारी को अवगत न कराने के फलस्वरूप 1.21 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

2.2.5 **अपीलों के कारण राजस्व बकाए के लम्बित वसूली की स्थिति**

वर्ष 1990-91 तक चार वर्षों में अपीलों के कारण लम्बित राजस्व के बकाए, लम्बित राजस्व के कुल बकाए और कुल प्राप्तियों का वर्षवार तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	कुल बकाया	कुल प्राप्तियां	अपीलों में निहित राजस्व	स्तम्भ संख्या 4 की 3 से प्रतिशतता	स्तम्भ संख्या 4 की 2 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
		(करोड़ रुपए में)			
1987-88 तक	783.69	799.42	98.99	12	13

1	2	3	4	5	6
1988-89	951.74	947.00	207.12	22	22
1989-90	1151.37	1235.30	188.83	15	16
1990-91	1267.49	1415.36	210.90	15	17

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक अपीलों में निहित राजस्व की धनराशि सकल वसूली योग्य लम्बित बकाए की धनराशि की 13 से 22 प्रतिशत् तक तथा सकल बिक्री कर प्राप्तियों की 12 से 22 प्रतिशत् तक थी ।

यद्यपि अपीलों में निहित बकाए की समस्त धनराशि बहुत अधिक थी, यह वर्ष 1990-91 में सर्वाधिक थी ।

2.2.6 अपीलों के निस्तारण के लिए मानदण्ड/कोटा

विभाग ने अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलों के निस्तारण के लिए निम्नलिखित कोटा निर्धारित किया है:

(i) स.आ.(न्याय) 8 वाद प्रतिदिन

(ii) उ.आ.(अपील) 1.5 वाद प्रतिदिन

यह कोटा 30 सितम्बर 1990 तक प्रवृत्त था । 1अक्टूबर 1990 से कोटे को बढ़ा कर 10 वाद प्रतिदिन प्रति स.आ.(न्याय) तथा 2 वाद प्रतिदिन प्रति उ.आ.(अपील) कर दिया गया । वर्ष 1989-90 तक विगत तीन वर्षो में अपीलों के निस्तारण के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसकी उपलब्धि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	प्रतिदिन वादों के निस्तारण के लक्ष्य और उपलब्धियां			
	स.आ.(न्याय)		उ.आ.(अपील)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1987-88	8	8.2	1.5	1.71
1988-89	8	8.5	1.5	1.54
1989-90	8	8.5	1.5	1.71

स.आ.(न्याय) द्वारा अपीलों के निस्तारण के लिए निम्नवत् तोलन (वेटेज) का भी प्रावधान है :

निहित कर की राशि के अनुसार वाद:

1. 10,000.00 रुपए तक - एक वाद
2. 10,000.00 रुपए व उससे अधिक - एक वाद बराबर दो वाद
3. 25,000.00 रुपए व उससे अधिक - एक वाद बराबर तीन वाद
4. 1.00 लाख रुपए व उससे अधिक - एक वाद बराबर चार वाद
5. 2.00 लाख रुपए व उससे अधिक - एक वाद बराबर पांच वाद

उ.आ.(अपील) को इस तरह का तोलन (वेटेज) नहीं दिया जाता क्योंकि 20 लाख रुपए से अधिक निहित राशि के बाद ही उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं ।

स.आ.(न्याय) द्वारा विगत तीन वर्षो में निस्तारित अपीलों और उस पर दिए गए तोलन को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

वर्ष	निस्तारित वादों की संख्या	दिया गया वेटेज	सकल निस्तारित वादों की संख्या	अधिकारियों की संख्या स.आ.(न्याय)	कार्य दिवसों की संख्या	प्रतिदिन निस्तारण का औसत
1987-88	36,652	13,965	50,617	26	6168.0	8.2
1988-89	32,190	15,470	47,660	27	5612.5	8.5
1989-90	41,903	19,403	61,306	38	7201.5	8.5
योग	**1,10,745**	**48,838**	**1,59,583**		**18982.0**	**8.4**

दिए गए तोलन (वेटेज) से वादों के निस्तारण की सही स्थिति का पता नहीं चलता । जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है विगत तीन वर्षो में 18982 कार्य दिवसों में 1,59,583 वादों का निस्तारण दर्शाया गया है जो कि औसतन प्रति अधिकारी प्रति दिन 8 वादों के कोटा के विरुद्ध 8.4 वाद होता है जबकि उसी अवधि में तथा उतने ही कार्य दिवसों में वास्तविक निस्तारण 1,10,745 वादों का था । अगर 48,838 वादों का तोलन (वेटेज) अलग कर दिया तो प्रति स.आ.(न्याय) का प्रतिदिन का औसत निस्तारण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 8.4 वादों के स्थान पर मात्र 5.8 वादों का आता है ।

2.2.7 कार्यविधि

(क) अपीलों का निस्तारण

वर्ष 1990-91 तक चार वर्षो में अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्राप्त,

निस्तारित तथा लम्बित अपीलों का विवरण निम्नवत् है:

अपीलीय अधिकारी	वर्ष	अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	योग	वर्ष के दौरान निस्तारण	इतिशेष (लम्बित)	स्तम्भ 6 का 5 से प्रतिशतता	कार्यरत अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. सहायक आयुक्त (न्याय)	1987-88तक	39,309	53,289	92,598	36,652	55,946	40	26
	1988-89	55,946	51,188	1,07,134	32,190* + 574	74,370	31	27
	1989-90	74,370	46,812	1,21,182	41,903	79,279	35	38
	1990-91	79,279	38,870	1,18,149	44,901	73,248	38	38
			1,90,159		**1,56,220**			
2. उपायुक्त (अपील)	1987-88 तक	2,438	2,899	5,337	2,387	2,950	45	7
	1988-89	2,950	3,467	6,417	2,462	3,955	38	7
	1989-90	3,955	4,167	8,122	3,355	4,767	41	11
	1990-91	4,767	5,418	10,185	4,311	5,874	42	11
			15,951		**12,515**			
3. बिक्रीकर आयुक्त	1987-88 तक	135	45	180	86	94	48	1
	1988-89	94	59	153	24	129	16	1
	1989-90	129	85	214	58	156	28	1
	1990-91	156	94	250	78	172	31	1
			283		246			
योग			2,06,393		1,68,981 (81.87%)			

* वास्तविक निस्तारण 32,190 विभागीय छानबीन के बाद 574 वाद लम्बित वादों में कम हुए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. बिक्रीकर अधिकरण	1987-88 तक	57,114	18,253	75,367	18,476	56,891	25	23
	1988-89	56,891	17,302	74,193	20,646	53,547	28	30
	1989-90	53,547	16,089	69,636	17,980	57,656	26	29
	1990-91	51,656	21,369	73,025	18,848	54,177	26	31
			73,013		**75,950**			

5. 31 मार्च 1991 को उच्च न्यायालय में लम्बित वाद 8611
1,42,082

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक चार वर्षो में औसत निस्तारण, स.आ. (न्याय), उ.आ. (अपील), आयुक्त तथा अधिकरण के समक्ष लम्बित कुल अपीलों का 34 प्रतिशत था ।

ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि तीन वर्षो 1987-88 से 1989-90 तक के दौरान अधिकरण को छोड़कर, औसत वार्षिक निस्तारण, नई अपीलों की औसत वार्षिक वृद्धि से काफी कम रहा जिसके परिणामस्वरूप वर्षानुवर्ष बकायों में वृद्धि हो रही है ।

वर्ष 1989-90 के दौरान स.आ. (न्याय) और उ.आ. (अपील) की संख्या में 11 व 4 की बढ़ोत्तरी हुई जो क्रमशः 40 प्रतिशत व 57 प्रतिशत थी लेकिन वादों के निस्तारण में वृद्धि मात्र 30 प्रतिशत व 36 प्रतिशत रही ।

इसी प्रकार वर्ष 1988-89 में अधिकरण के सदस्यों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई जो 30 प्रतिशत वृद्धि थी लेकिन निस्तारण में मात्र 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

बकाए के कारणों का विश्लेषण करने के बारे में कृत कार्यवाही तथा प्रत्येक वर्ष बकाए में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को सूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया था (सितम्बर 1991) लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1992) ।

(ख) स.आ. (न्याय) और उ.आ.(अपील) द्वारा अपीलों के निस्तारण का विवरण

वर्ष	निस्तारित अपीलों की कुल संख्या	अस्वीकृत अपीलों की संख्या	संशोधित अपीलों की संख्या	स्वीकृत अपीलों की संख्या	प्रतिप्रेषित अपीलों की संख्या	कर में हुई कमी की धनराशि	कर में हुई वृद्धि की धन-राशि	सकल विवादित कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(लाख रुपए में)		
स.आ.(न्याय)								
1987-88	36,652	13,420 (36)	9,774 (27)	9,448 (26)	4,010 (11)	1,478	01	5,567
1988-89	32,190	11,042 (34)	9,016 (28)	7,641 (24)	4,491 (14)	1,558	4	5,827
1989-90	41,903	15,120 (36)	11,306 (27)	10,414 (25)	5,063 (12)	2,487	6	8,872
1990-91	44,895	17,509 (39)	4,961 (27)	10,342 (23)	5,083 (11)	3,340	4	12,911
औसत प्रतिशतता		36	27	25	12			
उ.आ.(अपील)								
1987-88	2,387	843 (35)	584 (25)	495 (21)	465 (19)	998	01	17,373
1988-89	2,462	837 (34)	661 (27)	454 (18)	510 (21)	847	10	20,371
1989-90	3,355	1,188 (35)	774 (23)	840 (25)	553 (17)	1,217	4	19,918
1990-91	4,311	1,709 (40)	1,095 (25)	940 (22)	567 (13)	1,897	3	24,897
औसत प्रतिशतता		36	25	22	17			

नोट:- (1) स्तम्भ 3,4,5 व 6 की धनराशि अलग से उपलब्ध नहीं थी ।

(2)कोष्ठक के अन्तर्गत आंकड़े प्रतिशतता इंगित करते हैं जो निस्तारित वादों की कुल संख्या से संबंधित हैं ।

उपरोक्त सारणी में दिए गए निस्तारण के ब्यौरे की छानबीन से स्पष्ट है कि औसतन 36 प्रतिशत अपीलें रद्द कर दी गई और 15 प्रतिशत से अधिक प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रतिप्रेषित की गईं ।

बकाए को समाप्त करने और वादों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए क्योंकि अधिनियम में वादों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

2.2.8 लम्बित अपीलें

(क) मार्च 1991 के अन्त में स.आ.(न्याय) के स्तर पर लम्बित कुल 73,248 अपीलों का वर्षवार ब्यौरा निम्नवत् था:

वर्ष	अपीलों की संख्या
(1)	(2)
1986-87 तक	1,139
1987-88	10,524
1988-89	21,924
1989-90	28,336
1990-91	11,325
योग	73,248

उ.आ.(अपील) बिक्री कर आयुक्त, अधिकरण तथा उच्च न्यायालय के स्तर पर मार्च 1991 के अन्त में लम्बित अपीलों का वर्षवार ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं था । तथापि यह देखा गया कि मार्च 1991 के अन्त में लम्बित अपीलों में 50 प्रतिशत से अधिक स.आ.(न्याय) के स्तर पर थीं ।

(ख) वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक स.आ.(न्याय) के स्तर पर वर्ष के प्रारंभ में लम्बित अपीलों वर्ष के दौरान दायर अपीलें, वर्ष में निस्तारित तथा वर्ष के अन्त में शेष का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित अपीलें	वर्ष में दायर अपीलें	योग	वर्ष में निस्तारण	वर्ष के अन्त में लम्बित अपीलें	लम्बित अपीलों का वर्षवार ब्यौरा 1989-90	1988-89	1987-88	1986-87 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1987-88	39,309	53,289	92,598	36,652	55,946	-	-	16,819	39,127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1988-89	55,946	51,188	107134	32,190 +574	*74,370	-	14,379	39234	20757
1989-90	74,370	46,812	121182	41,903	79,279	15591	34,398	22393	6897

विभागीय अभिलेखों में प्रदर्शित लम्बित अपीलों के ब्यौरे की संवीक्षा से स्पष्ट है कि वर्ष 1986-87 तक लम्बित मामले अनुवर्त्ती वर्षो में कम होते गए जबकि वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के अन्त में लम्बित दिखाए गए मामले अनुवर्ती वर्षो में बढ़ते गए । विभाग से बढ़ोत्तरी के कारणों को स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था. (सितम्बर 1991) जो अभी तक अप्राप्त है (जनवरी 1992) ।

लम्बित अपीलों की संख्या जो मार्च 1988 के अन्त में 16,819 थी, मार्च 1989 के अन्त में 39,234 हो गई । उसी प्रकार मार्च 1989 के अन्त में लम्बित 14,379 मामले मार्च 1990 के अन्त में बढ़कर 34,398 हो गए । वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में लम्बित मामलों में हुई अनुगामी वृद्धि हेतु कोई कारण नहीं बताया गया (अप्रैल 1992) ।

यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा अपीलों के दायर करने, उनके निस्तारण एवं लम्बित होने के सम्बन्ध में संकलित सांख्यिकीय/आंकड़े सही स्थिति को वास्तविक रुप में नहीं प्रकट करते ।

2.2.9 अपीलों के निर्णय के पश्चात् राजस्व की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जमानत प्राप्त करने संबंधी अनुदेशों का क्रियान्वयन न किया जाना

अपीलीय अधिकारियों को अपीलों के निस्तारण होने तक कर, शुल्क या अर्थदण्ड की वसूली स्थगित करने का अधिकार है । इस उद्देश्य से व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के लिए स्थगन आदेश के दिनांक से 30 दिन के अन्दर जमानत देनी पड़ती है अन्यथा स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो जाता है । यदि निर्णय व्यापारी के विरुद्ध होता है तो अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि दी गई जमानत न केवल अपील के लम्बित रहने की अवधि बल्कि शुल्क या अर्थदण्ड के भुगतान होने की अवधि को भी आच्छादित करेगी ।

---

* (1) विभागीय छानबीन में निस्तारित (2) स्तम्भ 1 से 6 तक आंकड़ों के आडिट रिपोर्ट से समाधान हो चुका है (3) स्तम्भ 7 से 10 में दिए गए आंकड़े विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन से लिए गए हैं ।

यद्यपि आयुक्त ने यह निर्देश दिए थे (अगस्त 1988) कि जमानत अपीलों में निर्णय होने की तिथि के बाद की अवधि में भी वैध रहना चाहिए फिर भी व्यापारी केवल अपीलों के निर्णय होने तक की अवधि के लिए ही जमानत दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के अवशेष धनराशि की वसूली सुरक्षित नहीं रहती ।

2.2.10 अपीलों पर चौकसी/अनुश्रवण करने के लिए अभिलेखों का रख-रखाव

कर निर्धारण अधिकारियों अर्थात बि.क.अ./स.आ.(क.नि.) के कार्यालयों में अपील/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में रखे जाने वाले प्रमुख अभिलेख निम्नवत् हैं:

(I) अभिलेखों के बाहर भेजे जाने का रजिस्टर

यह रजिस्टर विभागीय बिक्री कर मैनुअल (मैनुअल) में निर्धारित प्रपत्र आर-25 में रखा जाता है । इसे प्रत्येक त्रैमास में प्रभारी-अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अपीलीय अधिकारी को भेजी गई पत्रावलियों के तीन माह के बाद न वापस होने पर संबंधित अधिकारी को पत्र लिखे जाने चाहिए ।

80 कार्यालयों (18 स.आ.(क.नि.) तथा 62 बि.क.अ.) में जांच के दौरान प्रपत्र आर-25 में रखा गया रजिस्टर त्रैमास में प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था लेखा परीक्षा में देखे गए सभी मामलों में तीन माह के बाद भी पत्रावलियों की वापसी हेतु पत्र नहीं निर्गत किए गए थे ।

बाहर प्रेषित दिखाई गई 6,470 पत्रावलियों में से, 762 मामलों में उनकी वापसी के सम्बन्ध में कोई सन्दर्भ नहीं दिया गया था । अतः यह पता लगाना सम्भव नहीं हो सका कि अपीलीय/पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजी गई पत्रावलियां वापस प्राप्त हुई या नहीं ।

(II) स्थगन तथा किश्तों का रजिस्टर

यह रजिस्टर स्थगन/किश्तों के आदेश की शर्तो को पूर्ण न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही के शुरुआत को सुनिश्चित करने हेतु मैनुअल में निर्धारित प्रपत्र आर-6 में रखा जाता है । इस रजिस्टर में प्रत्येक माह के अन्त में व्यापारियों द्वारा देय धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु स्थगन आदेश से आच्छादित राशि को दर्शाते हुए एक उद्धरण

(आब्सट्रैक्ट) तैयार किया जाना चाहिए ।

लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच किए गए किसी भी कार्यालय (18 स.आ.(न्याय) तथा 62 बि.क.अ.) में माह के अन्त में स्थगन आदेश से आच्छादित धनराशियों को दर्शाते हुए कोई उद्धरण नहीं तैयार किया गया था ।

(III) जमानत का रजिस्टर

(क) इस रजिस्टर का रख-रखाव कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालय में निर्धारित प्रारुप में किया जाना अपेक्षित है । प्रत्येक पखवारे में इसकी जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा जमानतों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी भौतिक जांच भी करनी चाहिए ।

नमूने की जांच में किसी भी कार्यालय में रजिस्टर का रख-रखाव निर्धारित प्रारुप में नहीं किया गया था संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी आवधिक जांच नहीं की गयी थी और की गयी प्रविष्टियां अधिप्रमाणित नहीं थीं । प्रतिभूति बाण्डों के भौतिक सत्यापन के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र अभिलिखित नहीं था ।

(ख) अधिनियम की धारा 8(ग) के अन्तर्गत सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए जमानत मांगने का प्रावधान किया गया है ।

व्यापारी को स्वयं संबंधित तहसीलदार द्वारा सत्यापित प्रतिभूति बाण्डों को देना चाहिए। अगर इसका सत्यापन नहीं किया गया है तो इसे संबंधित व्यापारी को 15 दिनों के अन्दर सत्यापित कराए जाने हेतु वापस करना चाहिए और अग्रेषण पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित तहसीलदार को दी जानी चाहिए । अगर व्यापारी ऐसा करने में असफल रहता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसने स्थगन आदेश की शर्तों का उल्लघंन किया है और संग्रह अधिकारियों के माध्यम से राजस्व की वसूली किए जाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए ।

सभी प्रतिभूति बाण्डों को जब कभी प्राप्त हो एक रजिस्टर (निर्धारित प्रारुप में) में प्रविष्ट करना आवश्यक है ।

सत्यापित प्रतिभूतियों को स्वीकार करने का मुख्य अभिप्राय सरकारी राजस्व की वसूली को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करना है । अगर प्रतिभूति बाण्ड तहसीलदार द्वारा सत्यापित

नहीं है और व्यापारी के राजस्व की अदायगी में असफल रहने की दशा में जामिन द्वारा प्रतिबद्धता से विमुख होने की संभावना रहती है जिससे सरकारी राजस्व की वसूली संदिग्ध हो जाती है ।

लेखा परीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि 126 मामलों मेंसे 16 मामलों (2.70 लाख रुपए) प्रतिभूति बाण्ड तहसीलदार द्वारा सत्यापित नहीं थे ।

2.2.11 अन्य रुचि कर बातें

(i) व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर न जमा करने पर भी अपील का स्वीकार किया जाना

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अपील तब तक स्वीकार नही की जा सकती जब तक कि व्यापारी सम्पूर्ण स्वीकृत कर न जमा कर दे । आगे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत घोषणाओं (प्रपत्र 'सी' या 'डी') से समर्थित माल की विक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है लेकिन यदि बिक्रीयाँ घोषणा से समर्थित नही है कर 10 प्रतिशत की दर से या माल पर राज्य में लागू कर की दर से, जो भी अधिक हो, आरोपणीय है ।

गाजियाबाद में पिस्टन एवम् रिंग्स के एक निर्माता ने वर्ष 1982-83 में क्रमशः रु0 1.31 करोड़ तथा रु0 8.56 करोड़ की प्रान्तीय एवम् केन्द्रीय बिक्री घोषित की तथा अपने स्वीकृत टर्नओवर पर क्रमशः रु0 8.25 लाख तथा रु0 41.63 लाख का कर जमा किया । कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी द्वारा घोषित टर्नओवर को न स्वीकार करके सर्वोत्तम न्याय व विवेक के आधार पर क्रमशः रु0 1.5 करोड़ तथा रु0 9.00 करोड़ की प्रान्तीय तथा केन्द्रीय बिक्री निश्चित करते हुए रु0 11.00 लाख तथा रु0 54.10 लाख का कर आरोपित किया और रु0 2.75 लाख तथा रु0 12.47 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की । तथापि व्यापारी का टर्नओवर निर्धारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि व्यापारी ने मोटर के पुर्जो की बिक्री पर राज्य में 6 प्रतिशत की दर से तथा बिना प्रपत्र 'सी' से समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर जमा किया था जब कि दोनो स्थितियों में सही कर का दर 10 प्रतिशत था । इस प्रकार व्यापारी द्वारा स्वीकृत टर्नओवर पर राज्य में तथा अन्तर्राज्यीय विक्री पर क्रमशः रु0 8.99 लाख तथा रु0 49.71 लाख के कर का भुगतान करना चाहिए था जिसके विरूद्ध उसने केवल रु0 8.25 लाख तथा रु0 41.63 लाख जमा किए । इस प्रकार उसके द्वारा रु0 8.83 लाख का स्वीकृत कर कम जमा किया गया ।

कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध व्यापारी ने उपायुक्त (अपील) को अपील किया और उसे विवादित कर का 10 प्रतिशत जमा करने को कहा गया जिसे वसूली के स्थगन आदेश

किए जाने के पहले जमा किया गया । उसकी अपील अन्तिम रूप से सितम्बर 1990 में अस्वीकृत कर दी गई और कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि कर दी गयी ।

व्यापारी द्वितीय अपील में अधिकरण में गया जिसने अपील पर निर्णय होने तक कर के 90 प्रतिशत की वसूली स्थगित कर दिया । व्यापारी ने दिसम्बर 1990 में 2.49 लाख रुपए तथा 11.41 लाख रुपए की बैंक गारण्टियां प्रस्तुत की और अपील अभी भी लम्बित थी (जून 1991) ।

यद्यपि व्यापारी ने सम्पूर्ण स्वीकृत कर नहीं जमा किया था फिर भी उसे स्थगन दिया गया जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी को अनुचित लाभ मिल गया क्योंकि बढ़े हुए कर के साथ-साथ 8.83 लाख रुपए के स्वीकृत कर की वसूली भी स्थगित हो गई । स्थगन स्वीकार किए जाने के बाद भी विभाग स्वीकृत करके न जमा किए जाने का तथ्य अधिकरण की जानकारी में नहीं ला सका । स्थगनं आदेश को समाप्त किए जाने अथवा अपीलों को यथा शीघ्र निर्णय कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप राजस्व अपील में अवरुद्ध है।

(11) उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने से राजस्व की क्षति

कोई व्यापारी जब राज्य के बाहर से कोई मालं जिसपर राज्य के भीतर कर की देयता है, बिना वैध घोषणा (प्रपत्र 31) के आयात करता है, या आयात करने का प्रयास करता है या अन्यथा प्राप्त करता है तो ऐसे माल की प्राप्ति के बाद कर निर्धारण अधिकारी को अगले कार्य दिवस तक घोषणा की एक प्रति प्रेषित करना आवश्यक है । ऐसा न करने पर और अधिनियम की धारा 28-क का उल्लंघन करने पर वह अधिनियम की धारा 15-क(1)(ण)के अन्तर्गत आयातित माल की कीमत के 40 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का दायी होता है । न्यायिक तौर पर यह प्रतिपादित* किया गया है (नवम्बर 1986) कि धारा 28-क का उल्लघंन ही पर्याप्त (मैटेरियल) है और आपराधिक मनः स्थिति (मेन्सरिया) को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने भी इसी मत* की पुष्टि की है । आयुक्त

---

*इलाहाबाद उच्च न्यायालय - आयुक्त बिक्री कर बनाम बुलाकीदास, विनोद कुमार (1987 यू.पी.टी.सी.-154) के बाद में

*उच्चतम न्यायालय-गुजरात त्रावणकोर एजेंसी बनाम आयुक्त आयकर केरल (1989-एस.सी.-67 दिनांक 2 मई 1989) के बाद में

द्वारा न्यायालयों के उक्त निर्णय का अनुपालन करने हेतु 9 नवम्बर 1989 कोएक परिपत्र जारी किया गया था ।

(क) न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट एथारिटी (नोएडा) के एक व्यापारी ने अप्रैल 1983 में बिना घोषणा (प्रपत्र-31) के 2.46 लाख रुपए मूल्य का मान लिया और बिक्री कर अधिकारियों के समक्ष अगले कार्य दिवस तक इसे घोषित भी नहीं किया । कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 98,408 रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित किया, जिसने आदेश के विरुद्ध अपील किया ।

विभाग ने इस संबंध में उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विषय वस्तु पर बल नहीं दिया जिससे स.आ.(न्याय) को यह मत व्यक्त करना पड़ा कि व्यापारी का कोई दुराशय नहीं था और तदनुसार अर्थदण्ड को घटाकर 5,000 रुपए कर दिया । इसके परिणामस्वरूप 93,408 रुपए के राजस्व की क्षति हुई ।

(ख) कानपुर के एक व्यापारी ने अपने कमीशन एजेंन्सी में परेषण (कन्साइनमेण्ट) आधार पर बिक्री के लिए अन्य राज्य (ग्वालियर-मध्यप्रदेश) के एक व्यापारी से कत्था (कैटेचू) प्राप्त किया । उसने जनवरी 1991 में निर्धारित घोषणा पत्र (प्रपत्र-31) पर कत्था के 97 बक्से रेल द्वारा आयात किया । जांच चौकी अधिकारियों ने पाया कि कत्थे की प्रतिकिलोग्राम 150 से 300 रुपए की बाजार दर के विरुद्ध घोषित दर प्रतिकिलोग्राम 75 से 85 रुपए के बीच रहा । जांच चौकी अधिकारियों ने आयातित माल को 300 रुपए प्रतिकिलोग्राम के बाजार दर पर निश्चित किया और 5.82 लाख रुपए कीमत निर्धारित किया । 1.54 लाख रुपए के घोषित कीमत का लाभ देने के पश्चात् माल की अघोषित कीमत 4.28 लाख रुपए निश्चित की गई और प्रपत्र-31 के बिना आयात किए जाने वाले माल की अधिक धनराशि के लिए 2.14 लाख रुपए की प्रतिभूति मांगी गई ।

व्यापारी ने बिक्री कर आयुक्त उत्तर प्रदेश को अपील किया जिसने संबंधित कर निर्धारण अधिकारी (बि.क.अ.) को बाजार से कत्थे की गुणता (क्वालिटी) का पड़ताल करने ओर तत्पश्चात कीमत निर्धारित करने का निर्देश दिया । उसने जांच चौकी अधिकारियों को भी नमूना लेकर बिना प्रतिभूति के माल को अवमुक्त करने का निर्देश दिया (फरवरी 1991) ।

जांच चौकी से प्राप्त कत्थे की गुणता एवं दर का बाजार में प्रचलित दर से सत्यापन करने के बाद, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित कत्थे की कुल कीमत 3.20

लाख रुपए निर्धारित की गई और माल की घोषित कीमत (1.54 लाख रुपए) का लाभ अनुमन्य करते हुए, 1.66 लाख रुपए के अघोषित कीमत का माल बिना निर्धारित घोषणा प्रपत्र के आयातित माना गया । अतः अधिनियम की धारा 28-क के प्रावधानों का उल्लघंन करने के लिए, कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 15-क(1)(ण) के अन्तर्गत 40 प्रतिशत 66,280 रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित किया (मार्च 1991) ।

व्यापारी ने अर्थदण्ड के विरुद्ध स.आ.(न्याय) के समक्ष एक अपील दायर किया (मई 1991) जिसने अपील के निर्णय होने तक अर्थदण्ड का 95 प्रतिशत (62,966 रुपए) स्थगित कर दिया (मई 1991) ।

(111) विभाग द्वारा अपीलों के प्रतिनिधित्व न करने से राजस्व क्षति

(क) बरेली का एक सरकारी कारखाना वनस्पति तारपीन तेल का निर्माण करता है । इस तेल की थोक (बल्क) खरीद बरेली का एक गैर सरकारी कारखाना करता है जो इसका प्रयोग कपूर (कैम्फर) के निर्माण में करता है ।

7 सितम्बर 1981 के पहले वनस्पति तारपीन तेल पर "सभी प्रकार के तेल" की तरह 4 प्रतिशत की दर से कर देय था । 7 सितम्बर 1981 से 5 जून 1985 तक वनस्पति तारपीन तेल पर 10 प्रतिशत तथा उसके बाद 12 प्रतिशत की दर से "पेण्ट्स एण्ड वार्निसेस आदि" की प्रविष्टि के अन्तर्गत इस पर कर देयता निश्चित की गई ।

7 सितम्बर 1981 के बाद तारपीन तेल पर कर देयता निश्चित कर देने से संबंधित क्रेता व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत आयुक्त ने मत व्यक्त किया कि यह 10 प्रतिशत की दर से करयोग्य था । क्रेता व्यापारी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अधिकरण में अपील किया और अधिकरण ने निर्णय दिया कि व्यापारी को बेचें गए तारपीन तेल पर सभी प्रकार के तेलों की तरह 4 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

विभाग ने अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर किया । उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 15 जनवरी 1986 में विचार व्यक्त किया, "मामले के गुण (मेरिट) पर आने के पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस पुनरीक्षण पर जोर देने के लिए आयुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संबंध में न्यायालय को कोई सहायता नहीं दी गई है" ।

तदनुसार न्यायालय ने विभाग के पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया और मत व्यक्त किया कि इस विशेष क्रेता को बेचा गया वनस्पति तारपीन तेल सभी प्रकार के तेलों की तरह 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगा । फिरभी यह देखा गया कि इस व्यापारी को छोड़कर अन्य व्यापारियों पर विभाग द्वारा 10 या 12 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जा रहा है ।

उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा मामले को प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप वर्ष 1984-85 से 1986-87 की अवधि में 13.86 लाख रुपए की राजस्व की क्षति हुई । भविष्य की बिक्रियों पर राजस्व क्षति और अधिक होगी । विभाग ने अब तक (जनवरी 1992) उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ।

(ख) नोएडा का एक व्यापारी जांच चौकी अधिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1988 को बिना वैध घोषणा (प्रपत्र-31) के पी.वी.सी. पाइप का आयात करते हुए पाया गया । यह भी देखा गया कि माल का कम मूल्यांकन किया गया था । तदनुसार माल का विक्रय मूल्य 60,000 रुपए निर्धारित किया गया और कम मूल्यांकन के लिए व्यापारी पर 7,920 रुपए का (13 प्रतिशत) अर्थदण्ड आरोपित किया गया । बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने आयातित माल का खरीद मूल्य 55,000 रुपए निर्धारित किया और बिना निर्धारित घोषणा प्रपत्रों के माल के आयात करने पर 40 प्रतिशत 22,000 रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित किया ।

व्यापारी ने स. आ. (न्याय) को अपील किया जिन्होंनें मई 1989 में वाद को व्यापारी के पक्ष में निर्णीत किया और चूँकि किसी ने स. आ. (न्याय) के समक्ष विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं किया, अतः आरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि को वापस करने का आदेश दिया गया ।

(IV) अपीलीय अधिकारियों द्वारा बैंक गारण्टियों के विरूद्ध बिक्रीकर राजस्व की माँगों का स्थगन

बैंक गारण्टियाँ स्वीकार कर स्थगन आदेश पारित करने के मामलों में उच्चतम न्यायालय* ने 1985 में मत व्यक्त किया था "सरकारें सार्वजनिक निधियों (पब्लिक फन्ड्स) से चलाई जाती हैं और यदि मुकदमों के लम्बित रहने की अवधि में सम्पूर्ण देश में भारी मात्रा में राजस्व की वसूली रोक दी जाती है तो सरकार के लिए चलना कठिन हो जाता है । सरकारी

---

*1. एम्पायर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन आफ इण्डिया (1985) 20-ई.एल.टी.-179 (एस.सी.)

*2. असिस्टैण्ट कलेक्टर आफ सेन्ट्रल एक्साइज, प.बंगाल बनाम डनलप इण्डिया लिमिटेड (1985) आई.एस.सी.सी.-260 (एस.सी.)

व्यय बैंक गारण्टियों या जमानतों से पूरा नहीं किया जा सकता । इस न्यायालय को अन्तरिम आदेशों जिनसे अप्रत्यक्ष करों की वसूली स्थगित कर दी जाती है अथवा अप्रत्यक्ष करों की वसूली पर असर पड़ता है, को पारित करने से बचना चाहिए" ।

नमूने की जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्न वादों में जिनमें भारी राजस्व निहित था बैंक गारण्टियां ली गईं । विभाग द्वारा स्थगन आदेश को शीघ्र समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई:

व्यापारी का नाम	वर्ष	देय धनराशि रु0	अपीलीय अधिकारी	स्थगन की तिथि	बैंक गारण्टियों के समक्ष स्थगित धनराशि (लाख रुपए में)
फर्म "क"	1980-81	60,653	बि.क.अधिकरण गाजियाबाद	28.8.86	0.2
	1981-82	86,079	--तदैव--	23.1.89	0.31
	1982-83 (यू.पी)	2,75,810	--तदैव--	27.11.90	2.49
	1982-83 (केन्द्रीय)	12,68,263	--तदैव--	---तदैव---	11.40
फर्म "ख"	1979-80	97,608	--तदैव--	27.6.88	0.88
	1980-81	89,890	--तदैव--	20.7.88	0.81
	1981-82	1,59,054	--तदैव--	26.8.88	1.59
	1983-84	2,10,783	--तदैव--	26.8.88	1.40
	1984-85	3,02,933	--तदैव--	26.8.88	1.79
	1985-86	2,42,845	--तदैव--	11.10.90	1.80
फर्म "ग"	1986-87	1,28,000	स.आ.(न्याय)	13.9.89	1.28
फर्म "घ"	1984-85	5,88,837	उ.आ.(अपील)	3.6.89	3.42
फर्म "ड"	1984-85	6,55,640	--तदैव--	--तदैव--	4.92
फर्म "च"	1977-78	3,87,255	--तदैव--	22.1.90	2.58
फर्म "छ"	1985-86	2,14,195	--तदैव--	29.7.91	1.71

गाजियाबाद की फर्म "ख" बी.आई.एफ.आर द्वारा अक्टूबर 1990 में बीमार घोषित कर दी गई ।

(v) अपील की अनियमित स्वीकृति से राजस्व की क्षति

उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियमावली, 1948 के नियम 65 के अनुसार बि.क.अ. श्रेणी-1 व 2 के आदेश के विरुद्ध अपील स.आ.(न्याय) को तथा स.आ.(क.नि.) के आदेश

के विरुद्ध अपील उ.आ.(अपील) को की जाएगी ।

बिक्री कर अधिकारी, सचल दल गाजियाबाद नें 10 फरवरी 1987 को पाया कि कानपुर के एक सर्राफा व्यापारी कार द्वारा बिना उपयुक्त घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र-31) के 3.85 लाख रुपए कीमत के चाँदी के गहनें आयात कर रहा था । यह भी पाया गया कि व्यापारी ने राज्य की सीमा के अन्दर प्रवेश करते समय इसे जांच चौकी पर घोषित नहीं किया था ।

तदनुसार माल को जब्त कर लिया गया और 13 फरवरी 1987 को व्यापारी द्वारा 1.54 लाख रुपए की नकद प्रतिभूति देने के बाद ही अवमुक्त किया गया । सूचना प्राप्त होने पर स बंधित कर निर्धारण अधिकारी (वि.क.अ. कानपुर) ने अधिनियम की धारा 15क(1)(ण) के अन्तर्गत माल की कीमत का 40 प्रतिशत 1.54 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित किया और 7 मार्च 1987 को नकद प्रतिभूति को अर्थदण्ड में परिवर्तित कर दिया । व्यापारी ने अर्थदण्ड आदेश के विरूद्ध 1987 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील दायर किया जो 9 अक्टूबर 1990 को अस्वीकृत कर दी गयी । इसके बाद उसनें स.आ.(न्याय) के स्थान पर उ. आ. (अपील) के समक्ष एक अपील (सं. 130/91) दायर किया । अपीलीय अधिकारी को उच्च न्यायालय द्वारा व्यापारी की अपील को अस्वीकृत किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा अवगत न कराये जाने के कारण उ.आ.(अपील) द्वारा व्यापारी को अपील स्वीकार कर ली गई और अर्थदण्ड की धनराशि कम करके (मार्च 1991) 32,900 रुपए कर दी गई ।

विभाग अधिकरण में द्वितीय अपील दायर करने का विचार कर रहा है (अगस्त 1991) ।

उपरोक्त लेखा परीक्षा संवीक्षाएं सरकार को सितम्बर 1991 में प्रतिवेदित की गई; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

2.3 बिक्री कर विभाग में आंतरिक लेखा-परीक्षा संगठन की कार्य प्रणाली

2.3.1 प्रस्तावना

बिक्री कर राज्य सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है (वर्ष 1989-90 में राज्य के राजस्व का 50 प्रतिशत कर निर्धारण के स्तर में सुधार, बिक्री कर संविधियों, कार्यकारी आदेशों तथा अनुदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, राजस्व की वसूली तथा विभिन्न त्रुटियों के निवारण की दृष्टि से बिक्री कर विभाग में 1965 में एक आंतरिक लेखा-परीक्षा संगठन (आ.ले.प.सं.) की स्थापना की गई थी ।

आंतरिक लेखा-परीक्षा-दलों के उनके मुख्यालय पर लौटने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी किया जाता है तथा उनका अनुपालन भी उन्हीं दलों द्वारा देखा जाता है । उठाई गई आपत्तियों का त्रैमासिक विवरण संभागीय उपायुक्त (शासकीय) द्वारा आयुक्त, बिक्री कर को भेजना पड़ता है ।

2.3.2 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की कार्य पद्धति, निष्पत्ति तथा प्रभाव शीलता के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा की गई थी । यह समीक्षा मार्च, अप्रैल तथा जुलाई 1991 की अवधि में की गई थी जिसमें आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश का कार्यालय एवं 12 परिक्षेत्रों (वर्ष 1991-92 से 14 परिक्षेत्र) में से 6 परिक्षेत्र आच्छादित किए गए ।

2.3.3 संगठनात्मक ढाँचा

आं.ले.प.सं. एक अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) के सहयोग से आयुक्त, बिक्री कर के नियंत्रण में स्वतंत्र रुप से वर्ष 1978 से कार्य कर रहा है । 1 अप्रैल 1991 को 13 लेखा परीक्षा अधिकारियों, 43 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा 60 लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पदों के विपरीत 15 लेखा-परीक्षा-दलों में 3 लेखा परीक्षा अधिकारी, 36 वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा 33 लेखा परीक्षक कार्यरत थे, जिसमें से 3 लेखा परीक्षा दल आयुक्त, बिक्रीकर के कार्यालय तथा शेष 12 लेखा-परीक्षा-दल सम्भागीय उपायुक्त (शासकीय) के नियंत्रण में कार्यरत थे ।

2.3.4 मुख्य अंश

(i) यद्यपि 1989-90 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा के स्वीकृत पदों का 66 प्रतिशत कार्यरत था तथापि इकाइयों की लेखा परीक्षा में 68 से 74 प्रतिशत तक की कमी रही ।

(ii) 1989-90 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान आ.ले.प.सं. द्वारा कुल उठाई गई आपत्तियों के 50 प्रतिशत मामलों में जिनमें समस्त राजस्व का 79 प्रतिशत निहित था, उसके अनुपालन तथा समायोजन की प्रतीक्षा थी । जांच के दौरान पाया गया कि कुछ मामले कालबाधित हो गए थे ।

(iii) 1990-91 के दौरान, ऐसे कर निर्धारण जो आं.ले.प.सं. द्वारा पहले ही जांच किए गए थे, संविधायी लेखा परीक्षा में अवनिर्धारण/अर्थदण्ड के अनारोपण के 37 मामले पाए गए जिनमें राजस्व की कुल क्षति 49.53 लाख रुपए निहित थी ।

(iv) आयुक्त, बिक्री कर के कार्यालय में ऐसी कोई आपत्ति पुस्तिका नहीं थी, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण/सामान्य लेखा-परीक्षा आपत्तियों पर नियंत्रण तथा मानिटरिंग की जा सके ।

(v) स्वीकृत पदों के अनुसार अथवा आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई।आं.ले.प.सं. में स्टाफ (कर्मचारियों) की कमी होने के बावजूद उनकी सेवाएँ ऐसे कार्यों के लिए ली गईं जो कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे ।

(vi) लेखा-परीक्षा-दलों का पर्यवेक्षण अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) द्वारा नहीं किया गया था ।

(vii) कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन तथा निपुणता हेतु प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ।

2.3.5 आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन के क्रियाकलाप तथा मान दण्ड

लेखा परीक्षा की आवर्तिता की जाने वाली जांचों की प्रमात्रा इत्यादि के संबंध में 1978 में निर्देश जारी किए गए थे । आंतरिक लेखा परीक्षा का मैनुअल विभाग द्वारा नहीं तैयार किया गया था, फिर भी प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

(i) समस्त सहायक आयुक्त/बिक्री कर अधिकारियों द्वारा अंतिम रुप से निस्तारित कर निर्धारण वादों की लेखा परीक्षा, वरीयता से संवैधानिक लेखा परीक्षा के पूर्व निम्नलिखित सीमा तक प्रतिवर्ष की जानी चाहिए थी:

(क)	दो लाख रुपए से अधिक के आवर्त वाले वाद	100 प्रतिशत
(ख)	एक लाख रुपए से अधिक किन्तु दो लाख रुपए तक आवर्त वाले वाद	50 प्रतिशत
(ग)	एक लाख रुपए तथा उससे कम आवर्त वाले वाद	25 प्रतिशत

(ii) लेखा परीक्षक तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों से यह आशा की गई थी कि वे प्रतिदिन निश्चित कोटा को पूरा करेंगे (संख्या आवेष्ठित आवर्त पर निर्भर करेगी) ।

(iii) आंतरिक लेखा परीक्षा दलों द्वारा पता लगाई गई अनियमितताओं से समाविष्ट लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त के कार्यालय/संभागीय उपायुक्त द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों

को 15 दिनों के अन्दर जारी करने होते हैं । करनिर्धारण अधिकारी से अपेक्षित है कि वह इसकी प्राप्ति के एक माह के अंदर अनुपालन आख्या आसन्न उंच्चतर अधिकारी को प्रस्तुत करे, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उसे अपनी टिप्पणियों के साथ संभागीय उपायुक्त को प्रस्तुत कर दे । 10 हजार तथा उससे अधिक धनराशियों से संबंधित अनियमितताओं अथवा गबन या कमियों की रिपोर्ट भी आयुक्त, बिक्री कर को देना अपेक्षित है ।

(IV) अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) से अपेक्षित है कि वह वर्ष में दो बार लेखा परीक्षा के दौरान इकाइयों में जा कर प्रत्येक आंतरिक लेखा परीक्षा दल के कार्यों की समीक्षा करें ।

2.3.6 कार्य सम्पादन

(क) 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 के दौरान ऐसी इकाइयों की संख्या जो लेखा-परीक्षा के लिए अपेक्षित थीं और जिनकी वस्तुतः लेखा परीक्षा की गई थी, निम्नवत् रहीं:

वर्ष	ऐसी इकाइयों की सं. जो वर्ष के प्रारम्भ में बकाया थीं	लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित इकाइयों की संख्या	योग	लेखा परीक्षा द्वारानिरीक्षित इकाइयों की संख्या	बकाया इकाइयों की संख्या	गिरावट की प्रतिशतता
1987-88	अप्राप्त*	331	331	86	245	74
1988-89	245	347	592	190	402	68
1989-90	402	354	756	216	540	71

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बकाया में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो रही है । वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान 74 से 68 प्रतिशत तक गिरावट हुई । विगत वर्षों में जिन इकाइयों का लेखा-परीक्षण नहीं किया गया था, उपायुक्तों द्वारा वर्तमान वर्ष में उनकी लेखा परीक्षा हेतु बकाया में प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था फलस्वरूप ऐसी बहुत सी इकाइयाँ प्रोग्राम में लेखा परीक्षा हेतु सम्मिलित नहीं की गई थीं और इस प्रकार दो वर्षों से अधिक समय तक ऐसी इकाइयाँ आं.ले.प.सं. द्वारा जांच के लिए छूट गईं । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में निर्धारित इकाइयों का लक्ष्य किसी भी वर्ष में प्राप्त नहीं हो पाया था ।

(ख) लोक-लेखा-समिति ने वर्ष 1986-87 के अपने प्रतिवेदन संख्या 1 के प्रस्तर-26 में यह संस्तुति किया था कि आं.ले.प.सं. द्वारा शत-प्रतिशत जांच होनी चाहिए । फिर भी

---

* ये आंकड़े मार्च 1991 में मांगे गए थे, परन्तु प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 1992)

1989-90 में समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षो में ऐसा नहीं हो पाया था । कुल ऐसे कर निर्धारण वादों की संख्या जों लेखा परीक्षा हेतु अपेक्षित थे तथा आं.ले.प.सं. द्वारा जिनकी लेखा परीक्षा की गई थी, उसकी स्थिति निम्नवत् थी:

वर्ष	कर निर्धारण किए गए कुल वादों की संख्या	शत प्रतिशत लेखापरीक्षा के आधार पर निरीक्षण के लिए अपेक्षित वादों की संख्या	लेखा परीक्षा किए गए वास्तविक वादों की संख्या	गिरावट का प्रतिशत
1987-88	3,22,589	2,64,058	20,097	93
1988-89	3,44,140	3,22,589	13,372	96
1989-90	4,09,782	3,44,140	51,390	85
योग	10,76,511	9,30,787	84,859 औसत	91 प्रतिशत

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जहां आं.ले.प.सं. द्वारा शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा होनी चाहिए थी वहां सभी तीन वर्षों के दौरान अनिरीक्षित वादों की संख्या का प्रतिशत बहुत अधिक रहा (85 से 96 के मध्य) ।

(ग) ऐसे बड़े व्यापारी जिनका बिक्रय धन (टर्नओवर) 25 लाख रुपए एवं उससे अधिक होता है (जो बिक्री कर राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत है, सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) द्वारा निस्तारित किए जाते हैं । ऐसे अधिक राजस्व देने वाली इकाइयों की आंतरिक लेखा-परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए थी । ऐसी इकाइयां जो लेखा-परीक्षा के लिए अपेक्षित थी तथा जिनकी लेखा-परीक्षा की गई थी एवं जिनकी लेखा परीक्षा बकाया थी, उनका विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	आदि शेष	लेखा परीक्षा हेतु अपेक्षित इकाइयां	योग	लेखा परीक्षित इकाई	अनिरीक्षित इकाइयों का अवशेष	गिरावट का प्रतिशत
1987-88		50	50	49	1	2
1988-89	1	63	64	49	15	24
1989-90	15	59	74	46	28	47

1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित क्रमश: 50,63 तथा 59 इकाइयों के विपरीत केवल 49, 49 तथा 46 इकाइयों की ही लेखा

परीक्षा की गई थी । विभाग ने आंतरिक लेखा-परीक्षा में बकाए के पुनरीक्षण के लिए भी कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया और न ही प्रतिकारक उपायों का सूत्रपात ही किया ।

लेखा-परीक्षा में उपर्युक्त कमियों को इंगित किए जाने पर (मार्च 1991) विभाग ने बताया (अप्रैल 1991) कि लेखा परीक्षा दल, लेखा परीक्षा के अलावा (I) नई इकाइयों के पात्रता प्रमाण पत्र की जांच करने तथा (II) विभागीय अधिकारियों द्वारा सन्दर्भित वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए भी लगाया जाता है । विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आं.ले.प.सं. को प्रथम दृष्टया लेखा परीक्षा का सम्पादन करना चाहिए जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है तथा कोई अतिरिक्त अथवा अन्य आवश्यक कार्य इसके मूल्य पर नहीं होना चाहिए था । आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्य के बकाया रहते हुए आं.ले.प.सं. के कर्मचारियों की सेवाएं अन्य कार्यो के लिए लेना उचित नहीं था ।

(घ)(I)अनियमितताओं का पता लगाना

1989-90 को समाप्त होने वाले तीन वर्षो के दौरान आं.ले.प.सं. द्वारा आपत्ति में पाए गए 10,231 वादों में (विगत तीन वर्षो में उनके द्वारा कुल 84,859 वादों की जांच में से अवनिर्धारण, टर्नओवर का छूट जाना, ब्याज का न लगाया जाना, अर्थदण्ड का अनारोपण इत्यादि मामलों में 25.28 करोड़ रुपए का राजस्व निहित था जिसमें से 2,558 मामलों में 3.92 करोड़ रुपए बिना कोई मांग सृजित किए निस्तारित कर दिए गए, जबकि 2,624 मामलों में 1.29 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित की गई । आंतरिक लेखा परीक्षा के सुझाव पर 1,163 मामलों में सृजित 1.13 करोड़ रुपए की मांग वसूल कर ली गई (मई 1991)। 5,049 मामले (आपत्ति में पाए गए कुल मामलों का लगभग 50 प्रतिशत) जिनमें 20.07 करोड़ रुपए का राजस्व निहित था, उस समय तक अनुपालन तथा निस्तारण हेतु प्रतीक्षित थे । इन मामलों के कालबाधित होने की सम्भावनासेइंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वे मामले जिनमें उनसे संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के अन्दर व्यापारी से अपेक्षित कर की धनराशि के पुनर्निधारण अथवा देयकर की धनराशि के संशोधन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं कर दी जाती, कालबाधित हो जाते हैं ।

आं.ले.प.सं. द्वारा 6 परिक्षेत्रों में उठाई गई लगभग 60 अनिस्तारित आपत्तियों की नमूना जांच में पाया गया कि वाराणसी एवं इलाहाबाद परिक्षेत्रों में 12 ऐसे मामले जिनमें कर की 0.12 लाख रुपए की धनराशि निहित थी, समय से विभागीय कार्रवाई न किए जाने के कारण कालबाधित हो गए ।

(ii)आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताएं

राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा निस्तारित वादों की जांच आं.ले.प.सं. द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा के पूर्व ही करनी होती है । वर्ष 1990-91 के दौरान आं.ले.प.सं. के द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् 35 इकाइयों की जांच में अवनिर्धारण/अर्थदण्ड का अनारोपण/राजस्व की हानि इत्यादि के 37 मामले जिनमें 49.53 लाख रुपए का राजस्व निहित था, लेखा परीक्षा द्वारा प्रकाश में लाए गए ।

(ड) अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना तथा अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई का करना

आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त त्रैमासिक विवरणों को न तो समेकित किया जाता है और नहीं उसका विश्लेषण किया जाता है जिससे कि विशेषत: पुरानी आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति की जांच की जा सके तथा कालवाधित होने वाले वादों के संबंध में समय से प्रतिकारक उपाय किए जा सकें । आयुक्त के कार्यालय में ऐसी कोई समेकित नियंत्रण पंजिका (आपत्ति पुस्तिका) नहीं रखी गई थी जिससे कि विभिन्न परिक्षेत्रों तथा आयुक्त कार्यालय के सभी वाह्य लेखा परीक्षा दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अद्यतन स्थिति का पता लगाया जा सके । विभागीय मुख्यालय पर अलग से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थीं जिससे कि निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रभावशाली सम्पादन एवं अनुसरण करने के साथ ही साथ अनिस्तारित आपत्तियों का संकलन तथा अनुश्रवण किया जा सके ।

(च) कर्मचारियों की कमी

(i) लोक-लेखा-समिति ने वर्ष 1986-87 के अपने प्रतिवेदन संख्या-1 के प्रस्तर-26 में यह संस्तुति की थी कि आं.ले.प.सं. द्वारा शत-प्रतिशत लेखा-परीक्षा की जाय तथा यदि विभाग को अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो वित्त-विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाय। फिर भी, लोक-लेखा-समिति की संस्तुतियों को लागू नहीं किया गया तथा विभाग वर्ष 1978 में बनाए गए मानदण्ड का ही अनवरत अनुकरण करता रहा ।

(ii) शासन ने यह निर्णय लिया था (1984) कि सहायक आयुक्त (करनिर्धारण) द्वारा निस्तारित किए जाने वाले 25 लाख तथा उससे अधिक के कर निर्धारण वादों की लेखा परीक्षा वरिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा की जाय जिसके लिए 90 और वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के पद अगले तीन वर्षो में उपलब्ध कराए जाएंगें । वर्ष 1986-87 तक वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के केवल 30

पद ही उपलब्ध किए जा सके । तदन्तर विभाग को और अधिक पद उपलब्ध नहीं कराए गए। एक अप्रैल 1991 को 13 लेखा परीक्षा अधिकारियों, 43 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों तथा 60 लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पदों के विपरीत केवल 3 लेखा परीक्षा अधिकारियों, 36 वरिष्ठ लेखापरीक्षकों तथा 33 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई ।

2.3.7 आंतरिक लेखा परीक्षा दलों के कार्य की समीक्षा

आं.ले.प.सं. की प्रणाली के अनुसार लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) द्वारा इकाइयों में जा कर सभी लेखा-परीक्षा दलों के कार्यो की वर्ष में दो बार समीक्षा करनी अपेक्षित थी । फिर भी, जांच में यह देखा गया कि 15 क्षेत्रीय दलों की समीक्षा अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) के स्थान पर संगठन के लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा (1987-88 में 12 दलों का दो बार, 3 दलों का एक बार तथा 1988-89 में 13 दलों का दो बार तथा 2 दलों का एक बार, 1989-90 में 13 दलों का दो बार तथा 2 दलों का दो बार) की गई थी । अपर आयुक्त/उपायुक्त (लेखा) द्वारा समीक्षा न किए जाने का कारण यद्यपि लेखा परीक्षा द्वारा पूछा गया था (मार्च 1991)परन्तु विभाग द्वारा कारण स्पष्ट नहीं किया गया (अप्रैल 1992) ।

2.3.8 प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण

आं.ले.प.सं. की कार्य कुशलता में सुधार के लिए तथा इसके कर्मचारीगणों को विधि में परिवर्तनों तथा शासन द्वारा निर्मित अधिनियम की व्याख्या अथवा न्यायालयों द्वारा दिए गए न्यायियक निर्णयों से भिज्ञ कराने हेतु यह आवश्यक है कि ये कर्मचारीगण समय-समय पर प्रशिक्षित किए जांय । पुनश्च, महत्वपूर्ण इकाइयों यथा सहायक आयुक्त (करनिर्धारण) की लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का पर्यवेक्षण लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के अतिरिक्त आवश्यक पथप्रदर्शन भी कर सकता है । फिर भी आं.ले.प.सं. के कर्मचारीगण के प्रशिक्षण का प्राविधान नहीं किया गया है ।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियां सरकार को जुलाई 1991 में प्रतिवेदित की गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

2.4 बिक्री कर के अधीन प्रतिप्रेषित वादों का निस्तारण

2.4.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित

कर निर्धारण आदेश से क्षुब्ध होने पर उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपीलीय अधिकारी (अपील को सुनने वाला अधिकारी) सुसंगत अभिलेखों को मंगाने तथा उनका परीक्षण करने के पश्चात् ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकता है अथवा उसे निरस्त या उसमें घटोत्तरी/बढ़ोत्तरी करते हुए उसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा मूल आदेश को निरस्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को अपने निर्देशों के साथ ऐसी जांच करने के पश्चात्,जैसा निर्दिष्ट किया जाय, पुनः कर निर्धारण करने हेतु वाद को प्रतिप्रेषित कर सकता है ।

कोई भी प्रार्थना पत्र तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि अपीलकर्त्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत क्रय धन/विक्रयधन जैसी भी स्थिति हो, पर देय स्वीकृतकर या निर्धारित कर अथवा शुल्क की धनराशि, जहाँ कोई रूप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा नहीं किया जाता ।

2.4.2 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

राज्य के कुल 12 मण्डलों के 366 इकाईयों में से 5 मण्डल आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ तथा वाराणसी के 58 कर निर्धारण इकाइयों के 3 वर्षो 1988-89 से 1990-91 तक संबंधित प्रतिप्रेषित वादों का जांच परीक्षण अप्रैल से जून 1991 के बीच किया गया । समीक्षा यह जांच करने की दृष्टि से की गई थी कि प्रतिप्रेषित वादों का पुनः कर निर्धारण अपीलीय प्राधिकारियों के निर्देशों तथा अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के अनुरुप किया जा रहा है ।

2.4.3 संगठनात्मक ढाँचा

सम्पूर्ण राज्य में न्यायधिकरण की 31 पीठें फैले होने के अतिरिक्त विभाग में 11 उपायुक्त (अपील) और 38 सहायक आयुक्त (न्याय) कार्यरत हैं । यह अदालतें अपने कार्य क्षेत्र में उत्पन्न अपील के मामलों में न्यायिक प्राधिकारियों के रुप में कार्य करती हैं ।

सहायक आयुक्त (करनिर्धारण) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (अपील) तथा बिक्री कर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सहायक आयुक्त (न्याय) के समक्ष अपील की जा सकती है, फिर भी यदि कोई व्यापारी प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होता है तो वह बिक्री कर न्यायधिकरण (न्यायधिकरण) में जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रुप में कार्य करता है, अपील प्रस्तुत कर सकता है । न्यायधिकरण भी निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी के पास वादों को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर सकता है ।

2.4.4 मुख्य अंश

(I) प्रतिप्रेषण अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी तक प्रतिप्रेषित वादों के प्रेषण पर विभाग का कोई नियंत्रण न होने के फलस्वरूप वादों के पारेषण में एक माह से लेकर छः माह से अधिक का विलम्ब हुआ ।

(II) प्रतिप्रेषित वादों की संख्या 1987-88 में 4,475 से बढ़कर 1988-89 में 5,001, 1989-90 में 5,616 तथा 1990-91 में 5,590 तक हो गई ।

(III) 5 व्यापारियों के मामले में पारित एक पक्षीय आदेश दोषपूर्ण पाए जाने के कारण प्रेतिप्रेषित कर दिए गए क्योंकि न्यायिक निर्णयों के अनुरूप कारण बताओं नोटिस जारी नहीं की गई थी । परिणामतः 11.59 लाख रुपए कर की वसूली स्थगित हो गई ।

(IV) पुनः कर निर्धारण में अनियमितताओं के फलस्वरूप 4 मामलों में 3.93 लाख रुपए कम कर/अर्थदण्ड आरोपित किया गया ।

(V) बार-बार प्रतिप्रेषित करने के बावजूद एक व्यापारी का कर निर्धारण वाद 15 वर्षो से अधिक समय तक लम्बित है ।

2.4.5 प्रतिप्रेषित वादों के नियंत्रण अभिलेख

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब कोई कर निर्धारण आदेश रद्द करके अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी के पास प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की प्राप्ति के एक वर्ष के अन्दर पुनः करनिर्धारण की कार्रवाई पूर्ण हो जाना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित वादों की प्राप्ति व उसके निस्तारण को देखने के लिए विभाग ने एक अपील तथा पुनरीक्षण रजिस्टर (र-12) तथा एक लम्बित वादों का रजिस्टर (र-5क) निर्धारित किया है ।

क(I) समीक्षा के समय यह देखा गया कि उक्त रजिस्टरों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रतिप्रेषित वाद की प्राप्ति की वास्तविक तिथि अंकित करने के लिए कोई कालम निर्धारित नहीं किया गया है । इस प्रकार कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा प्रतिप्रेषित वाद की प्राप्ति की वास्तविक तारीख अंकित करने में कोई एकरूपता नहीं पाई गई । जब कि कुछ कार्यालयों में

प्रतिप्रेषित वाद के प्राप्ति का माह अंकित पाया गया तथा कुछ कार्यालयों में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए वादों के प्रेषण की पत्र संख्या व दिनांक अंकित था ।

(II) नियमों में विशिष्ट प्रावधानों एवं विभागीय निर्देशों के अभाव में यह सुनिश्चित करने के लिए कभी भी कोई सामयिक समीक्षा नहीं की गई कि अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा प्रतिप्रेषित वादों की अपील रजिस्टर में सही ढंग से प्रविष्टि कर दी गई है । इस प्रकार प्रतिप्रेषित वादों के अनिश्चित समय तक कर निर्धारण अधिकारियों के संज्ञान में न आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

ख(I) बिक्री कर मण्डल, लखनऊ में यह देखा गया कि न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ द्वारा दो मामलों में दिनांक 5 मई 1989 को पुन: कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित आदेश पारित किया गया किन्तु उक्त वाद सम्बन्धित प्राधिकारी के कार्यालय में रखे गए अपील रजिस्टर में अंकित नहीं पाए गए जिसके परिणामस्वरूप पुन: कर निर्धारण का निस्तारण नहीं हो सका (जून 1991) ।

(II) एक अन्य मामले में प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 1987 को पारित किया गया किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी को उक्त प्रतिप्रेषित आदेश 2 नवम्बर 1989 को (23 माह बाद) प्राप्त हुआ ।

2.4.6 प्रतिप्रेषित वादों के प्रेषण पर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव

यह देखा गया कि पुन: कर निर्धारण हेतु अपीलीय अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी तक प्रतिप्रेषित वादों के पारेषण में अत्यधिक विलम्ब हुआ । पांच मण्डलों के जांच परीक्षण में यह पाया गया कि 1988-89 से 1990-91 की अवधि में उनके प्रेषण में एक माह से लेकर छ: माह से अधिक का बिलम्ब हुआ जैसा कि नीचे प्रदर्शित है:

मण्डल	कर निर्धारण अधिकारी तक पहुंचने में लगा समय			
	एक माह के अन्दर	1-3 माह	4-6 माह	6 माह से अधिक
आगरा	323	181	27	5
गाजियाबाद	293	253	97	7
मेरठ	242	130	3	2
लखनऊ	163	355	13	32
वाराणसी	195	86	17	6
योग	1216	1005	157	52

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि वादों के प्रेषण पर विभाग की कोई प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए समस्त प्रतिप्रेषित वाद सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को समय से प्राप्त हो जाए और उनके रजिस्टरों में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारणहेतु अंकित हो जाए ।

52 वादों के पारेषण में छः माह से अधिक के विलम्ब जैसा कि ऊपर की तालिका में दिखाया गया है, के फलस्वरूप पुनः कर निर्धारण में विलम्ब हुआ जिसके कारण 1.36 करोड़ रुपए का सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ जहां पुनः कर निर्धारण केबाद मांग सृजित होनी थी, जैसा कि नीचे की तालिका में प्रदर्शित है:

प्रतिप्रेषित आदेश के दिनांक से 6 माह बाद प्रेषित वादों की संख्या	मूल कर निर्धारण के समय कर की धनराशि	मूल कर निर्धारण के विरुद्ध जमा कर की राशि	पुनः कर निर्धारण में आरोपित कर	पुनः कर निर्धारण के बाद जमा कर की राशि	विलम्ब से सृजित मांग
1	2	3	4	5	6
	(करोड़ रुपए में)				
52	3.64	1.97	3.57	0.24	1.36

2.4.7 प्रतिप्रेषित एवं अपील वादों का तुलनात्मक विवरण

वर्ष के प्रारम्भ में अपीलीय प्राधिकारियों के पास अनिस्तारित अपील वादों की संख्या, प्राप्त किए गये अपील वादों की संख्या, निस्तारित वादों की संख्या, पुनः कर निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित वादों की संख्या एवं 4 वर्षो 1987-88 से 1990-91 तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में लम्बित वादों की संख्या नीचे दी गई है:

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
I. विगत वर्ष से अग्रेषित अपील वादों की संख्या	41,747	58,896	78,325	84,046
II. वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए वादों की संख्या	56,188	54,655	50,979	44,282
III. वादों की संख्या जिनका निस्तारण किया जाना था	97,935	1,13,551	1,29,304	1,28,328

	1	2	3	4
IV. निस्तारित अपील वादों की संख्या	39,039	34,652	45,258	49,206
V. पुनः कर निर्धारण/ निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित वादों की संख्या (कालम(4) में सम्मलित है)	4,475	5,001	5,616	5,590
VI. वर्ष के अन्त में लम्बित वादों की संख्या	58,896	78,325	84,046	79,122
VII. प्रतिप्रेषित वादों की प्रतिशतता	11.5	14.4	12.4	11.4

उपर्युक्त आंकड़ों में न्यायधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित वाद सम्मिलित नहीं है ।

2.4.8(क) त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण के कारण प्रतिप्रेषण

न्यायिक* रुप से यह माना गया है कि एकपक्षीय आधार पर कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण कार्रवाई करते समय व्यापारी को कारण बताओं नोटिस जारी करना आवश्यक है । आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ के 5 मामलों में वर्ष 1988-89 से 1989-90 की अवधि में एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किए गए जिसमें 42.48 लाख रुपए के करारोपण के विरुद्ध व्यापारियों ने केवल 22.01 लाख रुपए जमा किया । चूंकि "कारण बताओ" नोटिसें जारी नहीं की गई थीं अतः समस्त वाद वर्ष 1989-90 में पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को प्रतिप्रेषित कर दिए गए थे । वर्ष 1989-90 से 1990-91 के दौरान पुनः कर निर्धारण किए गए तथा 33.60 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । यद्यपि कर 42.48 लाख रुपए से घटाकर 33.60 लाख रुपए कर दिया गया फिर भी व्यापारियों के विरुद्ध 11.59 लाख रुपए की सृजित मांग की वसूली स्थगित हो गई ।

(ख) प्रतिप्रेषित वादों का पुनः कर निर्धारण करते समय गलत कर मुक्ति

अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत यदि व्यापारी द्वारा कोई रुपपत्र दाखिल नहीं किया जाता या उसके द्वारा दाखिल रुपपत्र कर निर्धारण अधिकारी को गलत या अपूर्ण

---

* सर्वश्री मुंशी सिंह अशोक कुमार बनाम आयुक्त बिक्री कर के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय (1988) यू.पी.टी.सी.-942

प्रतीत होता है तो कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक जांच जैसा आवश्यक समझे करने के पश्चात् अपने सर्वोत्तम न्याय एवं विवेक से व्यापारी का बिक्रय धन निर्धारित करता है तथा करारोपण करता है । ऐसा करते समय व्यापार में विनियोजित कुल धन, नीलामी की धनराशि, क्रय मूल्य, व्यवसाय में किए गए खर्च तथा लाभ की एक उचित धनराशि को करयोग्य विक्रयधन निर्धारित करते समय विचार करना चाहिए । यही मत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने श्रीमती धमदिवी उमाशंकर बनाम आयुक्त बिक्री कर के वाद में दिया था (1982 यू.पी.टी.सी.-434) ।

(I) आगरा जनपद के भांग के एक व्यापारी के कर निर्धारण वाद वर्ष 1984-85 में व्यापारी के स्वीकृत विक्रयधन 40,250 रुपए के विरुद्ध न्याय एवं विवेक के आधार पर अगस्त 1987 में 13 लाख रुपए बिक्रयधन पर मूल कर निर्धारण के समय 1.97 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । क्षुब्ध होकर व्यापारी ने मई 1989 में अपील दाखिल किया तथा अपीलीय प्राधिकारी ने अक्टूबर 1989 में वाद को प्रतिप्रेषित कर दिया । पुनः कर निर्धारण करते समय (सितम्बर 1990) कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी की घोषित बिक्री को करयोग्य सीमा से कम देखते हुए उसे करमुक्त कर दिया । 2.11 लाख रुपए की नीलामी की धनराशि जिसे व्यापारी ने नीलामी के समय भुगतान किया था जो विक्रयधन का एक भाग है को पुनः कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण हेतु विचार नहीं किया गया। इस प्रकार 2.51 लाख रुपए सकल विक्रयधन पर 14 प्रतिशत की दर से आरोपणीय 35,175 रुपए का कर आरोपित होने से रह गया ।

(II) भांग के एक अन्य वाद में उसी व्यापारी का वर्ष 1984-85 का मूल कर निर्धारण अगस्त 1987 में किया गया जिसमें व्यापारी की स्वीकृत बिक्री 40,250 रुपए के विरुद्ध न्याय एवं विवेक के आधार पर 5.25 लाख रुपए बिक्रयधन पर 80,850 रुपए कर आरोपित किया गया । क्षुब्ध होकर व्यापारी ने अपील दाखिल किया तथा अपीलीय प्राधिकारी ने जून 1988 में वाद को प्रतिप्रेषित कर दिया । पुनः कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने व्यापारी की घोषित बिक्री को करयोग्य सीमा से कम देखते हुए उसे करमुक्त कर दिया जबकि व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया 3 लाख रुपए की नीलामी की धनराशि बिक्रयधन का हिस्सा था । इस प्रकार इस वाद में भी 47,635 रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

अप्रैल 1991 में इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री मुकुटबिहारी लाल बनाम आयुक्त बिक्री कर (यू.पी.टी.सी. 1979 पेज.7) के वाद में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय कार्रवाई को उचित बताया है जो इस वाद में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उक्त संदर्भित वाद में बाहर से भांग की खरीद को स्वीकार नहीं किया गया है जबकि उपरोक्त दोनों मामलों में व्यापारी द्वारा दिया गया नीलामी की धनराशि को जोड़ने का प्रश्न है ।

(ग) पुनः कर निर्धारण में अनियमितताएं

(।) सर्वेक्षण में पाए गए प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर वाराणसी के निर्माण सामग्री के एक व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के मामलों में अक्टूबर 1985 में न्याय एवं विवेक के आधार पर 1.43 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । पुनः उपरोक्त वर्षो में विक्रयधन छिपाए जाने के कारण मार्च 1987 में 67,590 रुपए अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिया गया । अक्टूबर 1985 में पारित कर निर्धारण आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी अपील में गया और उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई । व्यापारी ने पुनः अपील दाखिल किया (मई 1988) । द्वितीय अपीलीय अधिकारी ने छिपाए गए तथ्यों की पुष्टि करते हुए व्यापारी के अभिलेखों की उचित जांच करके पुनः कर निर्धारण हेतु सितम्बर 1988 में वाद प्रतिप्रेषित कर दिया । इसी बीच मार्च 1987 में पारित अर्थदण्ड आदेश के विरुद्ध अगस्त 1987 में व्यापारी ने अपील किया था और अपीलीय प्राधिकारी ने अर्थदण्ड के उपरोक्त आदेश को दिसम्बर 1988 में रद्द कर दिया, क्योंकि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सितम्बर 1988 में वाद प्रतिप्रेषित कर देने के कारण मूल कर निर्धारण आदेश प्रभावी नहीं था ।

प्रति प्रेषित वाद का पुनः कर निर्धारण फरवरी 1990 में निस्तारित किया गया तथा छिपाए गए विक्रय धन पर 24,068 रुपए कर आरोपित किया गया, किन्तु विक्रय धन छिपाने हेतु 36,100 रुपए अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया ।

(।।) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद में तेल इंजिन एवं उसके पुर्जो के निर्माण हेतु कच्चे माल के रियायती दर पर क्रय करने हेतु एक व्यापारी को मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया था । कर निर्धारण वर्ष 1982-83 व 1983-84 के मूल कर निर्धारण के समय व्यापारी को अक्टूबर/नवम्बर 1986 में चार अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया (नवम्बर 1986) । व्यापारी ने अपील दाखिल किया (1987) और अपीलीय प्राधिकारी ने पुनः कर निर्धारण हेतु सितम्बर 1988 में वाद को इस आधार पर प्रतिप्रेषित कर दिया कि व्यापारी को अपने वाद के पैरवी करने का समुचित अवसर दिया जाय । सितम्बर 1989 में वाद का पुनः कर निर्धारण किया गया ।

दोनो वर्षो 1982-83 व 1983-84 के प्रतिप्रेषित वादों में सितम्बर 1989 में पारित पुनः कर निर्धारण आदेश की जांच में यह पाया गया कि व्यापारी द्वारा क्रमशः वर्ष 1982-83 व 1983-84 में प्रपत्र 3ख के आधार पर 5.34 लाख व 5.64 लाख रुपए मूल्य के लोहा एवं इस्पात, पेन्ट्स तथा बार्निश (मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित नहीं था) की खरीद कर मुक्त की गई थी ।

इन अनधिकृत खरीदों पर कर के बराबर 47,676 रुपए की धनराशि व्यापारी पर आरोपणीय थी, जो न तो मूल कर निर्धारण आदेश और न ही पुनः कर निर्धारण आदेश में आरोपित की गई । पुनश्च अधिनियम की धारा 15ए(1)(एल) के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग पर कर की बचाई गई धनराशि के ड़ेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपणीय था । अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर एवं अर्थदण्ड आरोपण की वाँच्छित कार्रवाई जांच की तिथि तक (अप्रैल 1991) प्रारम्भ नहीं की गई ।

(111) लखनऊ के एक व्यापारी के कर निर्धारण वर्ष 1981-82 में 12 लाख रुपए मूल्य के विदेशी मदिरा के विक्रय धन पर एक पक्षीय रूप से दिसम्बर 1983 में 3.12 लाख रुपए कर आरोपित कर दिया गया । अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनः वाद खोलने हेतु व्यापारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार कर लिया गया । व्यापारी पर पुनः कर की वही धनराशि आरोपित की गई जो कि दिसम्बर 1983 में आरोपित की गई थी । उक्त आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा दाखिल की गई अपील पर अपीलीय प्राधिकारी ने पुनः कर निर्धारण हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया और वाद का निस्तारण पुनः एकपक्षीय रूप से किया गया, क्योंकि 15 अवसर देने के बाद भी पुनः कर निर्धारण की कार्रवाई में सहयोग देने में व्यापारी असफल रहा । व्यापारी द्वारा पुनः दाखिल की गई अपील पर यह वाद पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । पुनः कर निर्धारण के समय नवम्बर 1988 में 15 लाख रुपए के निर्धारित विक्रयधन पर 3.90 लाख रुपए कर आरोपित कर दिया गयां । लेखा परीक्षा द्वारा की गई गणना के अनुसार नियत शुल्क, विदेशी मदिरा का आयातित मूल्य, आयात शुल्क, निर्धारित शुल्क, परिवहन व्यय तथा लाभ आदि को सम्मिलित करने पर वास्तविक चिक्रयधन की धनराशि 24.36 लाख रुपए थी, जिसके परिणामस्वरूप 2.50 लाख रुपए का कर कम आरोपित किया गया । लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1991) विभाग ने बताया कि राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर से खरीदे गए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के अनुपातिक क्रय मुल्य के आधार पर नीलामी की कुल धनराशि 10.93 लाख रुपए में से 1.52 लाख रुपए कर योग्य बिक्रयधन माना जायेगा ।

विभाग का उत्तर इस दृष्टि से मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत वाद में 10.93 लाख रुपए की सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि को न्यायिक निर्णय* के आधार पर कर योग्य विक्रयधन माना जाएगा जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि विक्रयधन की राशि की गणना करते समय नीलामी की धनराशि के रूप में किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाएगा ।

---

* श्रीमती धर्मा देवी उमाशंकर बनाम आयुक्त बिक्री कर के वाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्णय (सी.एस.टी.-1982 यू.पी.टी.सी. 434)

(IV) गाजियाबाद के एक व्यापारी के वर्ष 1980-81 के वाद में (राज्यीय एवं अन्तरराज्यीय बिक्रय पर) एकपक्षीय रूप से कुल कर 1.40 लाख रुपए निर्धारितं किया गया (दिसम्बर 1983)। अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत व्यापारी ने दिसम्बर 1983 में वाद पुनः खोलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, किन्तु अक्टूबर 1984 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वह अस्वीकृत कर दिया गया। उसी समय व्यापारी ने मूल कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया तथा अपीलीय प्राधिकारी ने जुलाई 1984 में पूर्व में आरोपित कर की पुष्टि कर दिया। सन्तुष्ट न होने पर व्यापारी द्वारा धारा 30 के अन्तर्गत अस्वीकृत आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील दाखिल की गई (1985) और उसी अपीलीय प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत वाद को पुनः खोलने का निर्देश दिया। धारा 30 के अन्तर्गत की जा रही कार्रवाई के समय कर निर्धारण अधिकारी यह तथ्य अपीलीय प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाए कि करदाता द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के जांचोंपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल कर निर्धारण की पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहले ही की जा चुकी थी। पुनः कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर 1.40 लाख रुपए को कम करके 80,636 रुपए कर दिया, जबकि मूलकर निर्धारण आदेश में निर्धारित कर की धनराशि को उसी अपीलीय प्राधिकारी ने पुष्टि किया था।

(घ) कर निर्धारण वाद के निस्तारण में अत्यधिक विलम्ब

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1971-72 में 61.19 लाख रुपए मूल्य के अन्तरराज्यीय बिक्रय पर मार्च 1976 में 5.25 लाख रुपए कर आरोपित किया गया था जिसके विरुद्ध व्यापारी अपील में गया (मई 1976)। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मांग की वसूली स्थगित कर दी गई (मई 1976)। अप्रैल 1978 में जब पुनः कर निर्धारण हेतु वाद प्रतिप्रेषित किया गया तो कर निर्धारण प्राधिकारी (मई 1978) ने उसी विक्रय धन पर पुनः कर आरोपित कर दिया जैसा कि मार्च 1976 में निर्धारित किया गया था। व्यापारी ने सहायक आयुक्त (न्याय) के समक्ष दूसरी अपील दाखिल किया, जिन्होंने 61.29 लाख रुपए करयोग्य विक्रयधन निर्धारित करते हुए अगस्त 1978 में वाद का निस्तारण कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर व्यापारी ने न्यायाधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल किया जिसने सितम्बर 1985 में विक्रयधन में 1.29 लाख रुपए की कमी कर दिया। न्यायाधिकरण के इस निर्णय से भी सन्तुष्ट न होने पर व्यापारी ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पुनरीक्षण अपील दाखिल किया जिसमें अगस्त 1986 में पुनः सुनवाई हेतु वाद न्यायधिकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया किन्तु न्यायाधिकरण ने वाद को मई 1989 में कर निर्धारण प्राधिकारी को स्टाक स्थानान्तरण के अन्तर्गत विवादित धनराशि के जांचोपरान्त पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित आदेश की प्राप्ति कर निर्धारण प्राधिकारी को अगस्त 1989 में हुई। चूंकि यह वाद शीघ्र ही अगस्त 1990 तक कालबाधित होने वाला था, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक माह के अन्दर 3 नोटिसें जारी करके एकपक्षीय रूप से वाद का निस्तारण जुलाई 1990 में कर

दिया तथा 3.71 लाख रुपए कर आरोपित कर दिया । इस पुनः कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध व्यापारी ने उपायुक्त (अपील) के समक्ष दूसरी अपील दाखिल कर दिया जिन्होंने पुनः कर निर्धारण हेतु वाद अप्रैल 1991 में प्रतिप्रेषित कर दिया । इस प्रकार लगातार प्रतिप्रेषित किए जाने के बावजूद 15 वर्ष के उपरान्त भी यह वाद अनिर्णीत रहा ।

लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ विभाग एवं शासन को अगस्त 1991 में प्रतिवेदित की गई थी; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1992) ।

2.5 त्वरित कार्यवाही के अभाव में राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 की धारा 15ए(1)(सी) तथा (जी) के अन्तर्गत, यदि कोई व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन योग्य है और बिना पंजीयन व्यापार चालू रखता है तथा विक्रय धन को छिपाता है तो वह प्रथम तीन माह तक एक सौ रुपए प्रतिमाह और उसके बाद पांच सौ रुपए प्रति माह की दर से पंजीयन न प्राप्त करने के लिए तथा बचाए गए कर के कम से कम 50 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक डेढ़ गुना तक विक्रय धन छिपाने के लिए अर्थदण्ड के भुगतान का दायी होगा ।

बिक्रीकर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1990) कि एक व्यापारी बिना पंजीयन प्राप्त किए चांदी के आभूषणों की खरीद-बिक्री का व्यापार करता था । विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा को फरवरी 1986 में पता चला कि व्यापारी ने 1985-86 में राज्य के बाहर से 29 किलोग्राम चांदी के आभूषण वायु मार्ग द्वारा और 4514.26 किलोग्राम डाक द्वारा मंगाए हैं । पूछ-तांछ के दौरान व्यापारी ने बताया कि वह मई 1985 से व्यापार कर रहा है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को 28 जुलाई 1989 को नोटिस जारी की गई । व्यापारी के उपस्थित न होने पर जनवरी 1990 में कर निर्धारण सम्पन्न किया गया तथा छिपाया गया विक्रय धन 2.80 करोड़ रुपए निश्चित किया गया तथा 13.70 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । व्यापारी पंजीयन न प्राप्त करने के लिए अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था । इसके अतिरिक्त वह विक्रय धन छिपाने के लिए 20.55 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के रूप में भुगतान का दायी था । अर्थदण्ड आरोपित किए जाने से रह गया।

लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अगस्त 1990) विभाग ने नवम्बर 1991 में सूचित किया कि व्यापारी पर पंजीयन प्राप्त न करने के लिए 4800 रुपए तथा विक्रय धन छिपाने के लिए 10 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है (फरवरी 1991) ।

प्रकरण शासन को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.6 निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाना

प्रत्येक व्यापारी जो किसी ऐसी वस्तु का क्रय अथवा विक्रय करता है जिस पर उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपणीय है, उससे अपेक्षित है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करे । अधिनियम तथा विभागीय नियम पुस्तिका में सम्बन्धित बिक्री कर अधिकारी के लिए यह निर्धारित किया गया है कि अन्य बातों के अलावा वह व्यापारी की पहचान उसका तथा उसके साझीदार का स्थानीय तथा स्थायी पता, उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति की स्थिति तथा उनका मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि फर्म के बन्द हो जाने पर शेष कर की वसूली की जा सके । बिक्री कर अधिकारी स्थल निरीक्षण से सन्तुष्ट होने के पश्चात् व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

बिक्री कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी ने 27 दिसम्बर 1982 को रेत एवं गिट्टी (स्टोन ग्रिट) की बिक्री हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दिया और उसके स्थानीय व स्थायी पते और वित्तीय स्थिति के बारे में स्थल जांच या निरीक्षण किए बिना ही उसी तिथि से प्रभावी पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया । यह सुनिश्चित किए बिना ही कि विगत में जारी किए गए समस्त प्रपत्र उचित ढंग से प्रयुक्त किए गए हैं, 14 फरवरी 1983 से 24 मार्च 1983 की अवधि में 32 घोषणा-प्रपत्र XXXI तथा 32 "सी" प्रपत्र व्यापारी को समय-समय पर जारी कर दिए गए । उसने जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1983 के रूप पत्र प्रस्तुत किए थे । वर्ष 1982-83 के कर निर्धारण के लिए व्यापारी को दिनांक 15 जून 1983 को नोटिस भेजी गई । चूंकि व्यापारी उपस्थित नहीं हुए अतएव दिनांक 27 जून 1983 को एकपक्षीय रुप से कर निर्धारण कर दिया गया और वर्ष 1982-83 हेतु बिक्री की धनराशि (टर्नओवर) 50,000 रुपए निर्धारित करके 3,000 रुपए कर आरोपित कर दिया गया । 4 अप्रैल 1983 से 23 मई 1983 की अवधि में 200 घोषणा-प्रपत्र XXXI तथा 165 "सी" प्रपत्र व्यापारी को जारी किए गए । उसने माह अप्रैल 1983 के रूप पत्र में 28,600 रुपए की बिक्री दर्शाया और उसके बाद कोई रूप पत्र प्रस्तुत नहीं किया । दिनांक 11 जुलाई 1983 को जांच चौकी से प्राप्त सूचना के आधार पर व्यापारी ने राज्य के बाहर से एम.एस.प्लेट, कोयला, रबर, बेल्ट इत्यादि मंगाया था न कि रेत व गिट्टी आदि जिसके लिए वह पंजीकृत था । व्यापारी के व्यापार परिसर का पहली बार सर्वेक्षण दिनांक 14 जुलाई 1983 को किया गया और यह पाया गया कि दिए हुए पते पर ऐसा कोई व्यापारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1983-84 के कर निर्धारण के लिए व्यापारी को अत्यन्त विलम्ब से फरवरी 1988 में नोटिस भेजी गई । चूंकि यह व्यापारी को तामील नहीं कराई जा सकी अतएव उस व्यापार स्थल पर दिनांक 19 फरवरी 1988 को चस्पा कर दिया गया । वर्ष 1983-84 के लिए कर निर्धारण दिनांक 27 फरवरी 1988 को एक पक्षीय रूप से किया गया और आयरन शीट, रबर बेल्ट और मोटर पार्ट्स इत्यादि की बिक्री की धनराशि 43 लाख रुपए निर्धारित करके 2.18 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । चूंकि फर्म दिए गए पते पर कार्यरत नहीं पाई गई अतएव कर की वसूली की सम्भावना

क्षीण है । आवर्तन के विवरण छिपाये जाने के कारण व्यापारी 3.25 लाख रुपए तक अर्थदण्ड का भी दायी था जो आरोपित नही किया गया ।

मामला सरकार एवं विभाग को मार्च 1986 में और पुनः जून 1990 म प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1991)।

2.7 कच्चे माल की खरीद हेतु निर्माताओं को छूट स्वीकृत करने में अनियमितताऐं

क. माल का अनधिकृत विक्रय

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्माताओं को अधिसूचित माल के निर्माण में उपयोग के लिए उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर विशिष्ट छूट का प्रावधान है । इस प्रकार से निर्मित माल का राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाना अपेक्षित है । इस शर्त के उल्लंघन की दशा में व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी हो जाता है जो राज्य में ऐसे अधिसूचित माल के विक्रय मूल्य पर देय होने वाले कर से कम और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।

(I) बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में साइकिल पार्ट्स और एक्सेसरीज के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में प्रपत्र 3-ख के आधार पर 9.33 लाख रुपए का कच्चा माल करमुक्त खरीदा और 4.48 लाख रुपए का निर्मित माल कन्साइनमेंट के आधार पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । अतएव व्यापारी 1.08 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1991) विभाग ने जनवरी 1992 में बताया कि अब 1.14 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(II) बिक्रीकर मण्डल, अलीगढ़ में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1990) कि स्टील वायर तथा नट एवं बोल्ट्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा-पत्र के आधार पर 12.96 लाख रुपए मूल्य का एम.एस. राउन्ड (कच्चा माल) बिना कर का भुगतान किए क्रय किया तथा 4.10 लाख

रुपए मूल्य का नट तथा बोल्ट्स (उक्त कच्चे माल से निर्मित) राज्य के बाहर कंसाइनमेण्ट के आधार पर हस्तान्तरित कर दिया । अतएव व्यापारी 1.08 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

यह प्रकरण विभाग एवं सरकार को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(iii) बिक्री कर मण्डल, आगरा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1990) कि मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने "सी.आई. कास्टिंग, पाइप तथा पाइप फिटिंग के निर्माण हेतु प्रपत्र 3-ख में घोषणा प्रपत्र के आधार पर वर्ष 1984-85 में 81.99 लाख रुपए का कर मुक्त कच्चा माल खरीदा एवं उक्त से निर्मित 7.59 लाख रुपए का माल राज्य के बाहर कंसाइनमेण्ट के आधार पर अन्तरण किया । अत: व्यापारी 91,050 रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जुलाई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

ख. कच्चे माल के दुरूपयोग हेतु अर्थदण्ड का न लगाया जाना

सरकारी अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 4-बी के अन्तर्गत विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयुक्त करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल के क्रय पर निर्माताओं को कुछ शर्तो को पूर्ण करने पर कर में विशेष छूट हेतु प्रावधान है । यदि कच्चा माल, उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था, अन्यथा प्रयोग किया जाता है तो व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा प्राप्त कर में छूट की धनराशि से कम न हो परन्तु ऐसी छूट के तीन गुने से अधिक न हो ।

(i) बिक्री कर मण्डल, गाज़ियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990)कि रबर गुड्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा-पत्र के आधार पर 13.11 लाख रुपए के कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद की तथा उसका प्रयोग रबराइज्ड बेल्टिंग्स के निर्माण में किया जो अधिनियम के अन्तर्गत "सभी प्रकार की बेल्टिंग्स" के रूप में पृथक रूप से विज्ञापित एक भिन्न वाणिज्यिक वस्तु है । अतएव व्यापारी 3.10 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990) कि साइकिल पार्ट्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक, एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 से 1985-86 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा-प्रपत्रों के आधार पर 25.29 लाख रुपए का कच्चा माल क्रय किया तथा उसका प्रयोग साइकिलों की तीलियों के वाशर के निर्माण में किया । चूँकि तीलियों का वाशर साइकिल का भाग अथवा उपकरण नहीं है, बल्कि विज्ञापित माल के भाग का भाग है, इसलिए व्यापारी 3.04 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1991) ।

(iii) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990) कि माइक्रो शीट्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक, एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषण-पत्रों के आधार पर 9.28 लाख रुपए का कच्चा माल कर-मुक्त क्रय किया तथा उसका प्रयोग फुटवियर के निर्माण में किया । अतएव् व्यापारी 2.23 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1990) विभाग ने मार्च 1991 में बताया कि 1.17 लाख रुपए का अर्थदण्ड अब आरोपित कर दिया गया है ।

शासन को यह प्रकरण जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iv) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1990) कि नट्स एवं बोल्ट्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक, एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा पत्रों के आधार पर 9.74 लाख रुपए का कच्चा माल (एम.एस.राड्स एवं एम.एस.वायर्स) कर-मुक्त क्रय किया । उसमें से 8.13 लाख रुपए का एम.एस.वायर्स उसने बेच दिया । अतएव व्यापारी 97,612 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था, जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1991) ।

(v) बिक्रीकर मण्डल, बरेली में तेल निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने प्रपत्र 3-ख के आधार पर वर्ष 1985-86 में रियायती दर पर 7.84 लाख रुपए का कच्चा माल खरीदा और तेल निर्माण हेतु प्रयोग न करके उसे बेच दिया । अतः व्यापारी 47,035 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1990) विभाग ने बताया (जून 1991) कि अब 44,000 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

प्रकरण शासन को जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

ग. घोषणा-पत्रों के दुरूपयोग हेतु कर तथा अर्थदण्ड का न लगाया जाना

दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की विज्ञप्ति के साथ पठित बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत अधिसूचित माल के निर्माताओं को निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल अथवा पैकिंग के लिए सामान क्रय करते समय विशेष छूट का प्रावधान है । वह माल जो उपर्युक्त अथवा किसी अनुवर्ती विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है उसके लिए कच्चा माल अथवा पैकिंग का सामान रियायती दर पर क्रय किया जा सकता है । मिथ्या अथवा गलत घोषणा पत्र जारी करने पर जिसके कारण माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर आरोपणीय नहीं रह जाता, व्यापारी ऐसे कच्चे माल अथवा पैकिंग के सामान पर प्राप्त की गई छूट की धनराशि के समतुल्य धनराशि के भुगतान का दायी हो जाता है । इसके अतिरिक्त व्यापारी बचाए गए कर के कम से कम 50 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक उसके डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी होगा ।

(i) बेबी फूड तथा देशी घी दिनांक 31 दिसम्बर 1976 अथवा किसी अनुवर्ती विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ।

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में बेबी फूड, देशी घी इत्यादि के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी को पैकिंग सामग्री रियायती दर पर खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया था । व्यापारी ने प्रपत्र 3-ख में घोषणा-पत्र जारी करके वर्ष 1985-86 में 85.61 लाख रुपए की पैकिंग सामग्री करमुक्त क्रय किया । अतः व्यापारी कर में प्राप्त 3.42 लाख रुपए की छूट के बराबर धनराशि के भुगतान का दायी था । इसके अतिरिक्त वह कम से कम 1.71 लाख रुपए के अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था । किन्तु कर तथा अर्थदण्ड आरोपित किए जाने से रह गया ।

यह प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ii) बिक्रीकर मण्डल, कानपुर में जूते के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी को रियायती दर सें कच्चा माल खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया । उसने वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में 27.42 लाख रुपए का "सिलिनीयम, सिलिकान तथा रबर कम्पाउण्ड" इत्यादि फार्म 3-ख जारी करके रियायती दर से खरीदा, यद्यपि ये माल उसके मान्यता प्रमाण-पत्र में वर्णित नहीं थे । अतः व्यापारी कर में प्राप्त छूट की धनराशि के समतुल्य 1.13 लाख रुपए के भुगतान का दायी था । इसके अतिरिक्त व्यापारी न्यूनतम अर्थदण्ड 56,532 रुपए के भी भुगतान का दायी था । कर तथा अर्थदण्ड आरोपित किए जाने से छूट गए ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1989) विभाग ने जनवरी 1991 में बताया कि अब कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 1.13 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । अर्थदण्ड आरोपित करने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

प्रकरण सरकार को नवम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iii) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में दवाइयों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री को रियायती दर पर क्रय करने हेतु प्राधिकृत था फिर भी उसने वर्ष 1980-81 से 1986-87 के दौरान प्रपत्र III-ख में मिथ्या घोषणा पत्र जारी करके 13.53 लाख रुपए के कच्चे माल/पैकिंग सामग्री की कर मुक्त खरीद की । अतएव व्यापारी 54,109 रुपए की धनराशि के भुगतान का दायी था जो उसके द्वारा कर में प्राप्त छूट की धनराशि के समतुल्य थी । इसके अतिरिक्त वह 81,164 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी भी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (फरवरी 1990) विभाग ने बताया (अगस्त 1990) कि वर्ष 1980-81 से 1986-87 तक के लिए धारा 3-बी के अन्तर्गत 54,109 रुपए की मांग सृजित कर दी गई है, किन्तु अर्थदण्ड के आरोपित किए जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

मामला सरकार को फरवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iv) बिक्री कर नियमावली, 1948 के नियम 12-क के अन्तर्गत यदि कोई पंजीकृत व्यापारी उपभोक्ता के बिन्दु पर क्रय योग्य माल का बिना कर दिए क्रय करना चाहता है तो वह विक्रेता व्यापारी को प्रपत्र III-क में घोषणा पत्र जारी करेगा । मिथ्या अथवा गलत घोषणा पत्र जारी करने की अवस्था में व्यापारी ऐसी धनराशि के भुगतान का दायी होगा जो घोषणा पत्र

जारी न करने की अवस्था में कर के रूप में देय होती । इसके अलावा व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाए गए कर के कम से कम 50 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक डेढ़ गुना धनराशि के भुगतान का दायी होगा । लोहा 29 नवम्बर 1980 तक उपभोक्ता के बिन्दु पर करयोग्य था । 30 नवम्बर 1980 से इस पर कर देयता निर्माता एवं आयातकर्त्ता के बिन्दु पर कर दी गई । उस दिनांक से व्यापारी लोहा तथा इस्पात क्रय करने के लिए प्रपत्र III-क में घोषणा पत्र जारी करने के हकदार नहीं रह गए ।

(क) बिक्री कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी ने रेलवे से वर्ष 1984-85 में प्रपत्र III-क में घोषणा पत्र जारी करके 23 लाख रुपए का रद्दी लोहा क्रय किया । अतएव व्यापारी मिथ्या घोषणा पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त समव्यवहार पर देय कर के बराबर 91,942 रुपए के भुगतान का दायी था । इस के अलावा व्यापारी 1.38 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था । कर तथा अर्थदण्ड दोनों आरोपित करने से रह गए ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, गोरखपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 में रेलवे से 58.16 लाख रुपए का रद्दी लोहा प्रपत्र III-क में घोषणा पत्र जारी करके कर मुक्त क्रय किया । अतः व्यापारी घोषणा पत्र जारी करने के लिए उपरोक्त समव्यवहार पर देय कर के बराबर 2.33 लाख रुपए के भुगतान का दायी था । इसके अलावा व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में कम से कम 1.16 लाख रुपए के भुगतान का भी दायी था । कर तथा अर्थदण्ड दानों आरोपित करने से रह गए ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ग) बिक्री कर मण्डल, बस्ती में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 के दौरान प्रपत्र 3-क में घोषणा पत्रों को जारी करके रेलवे से 8.34 लाख रुपए का आयरन स्क्रैप कर-मुक्त क्रय किया । अतएव् व्यापारी 33,375 रुपए की धनराशि के भुगतान करने का दायी था जो यदि ऐसा घोषणा पत्र जारी न किया गया होता तो कर के रूप में देय होती । इसके अतिरिक्त, वह 50,063 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था । कर तथा अर्थदण्ड आरोपित किए जाने से रह गया ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण मई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

घ. कच्चे माल के करमुक्त क्रय की अनियमित स्वीकृति

31 दिसम्बर 1976 की सरकारी अधिसूचना के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख में मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माताओं को कतिपय शर्तों की पूर्ति पर अधिसूचित माल के निर्माण हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर कर में विशिष्ट छूट हेतु प्रावधान किया गया है ।

(क) 18 जुलाई 1979 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार वनस्पति के निर्माता केवल कच्चा माल करमुक्त क्रय करने के लिए अधिकृत थे ।

(I) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में वनस्पति के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी को पैकिंग सामग्री भी कर मुक्त क्रय करने के लिए अनियमित रूप से प्राधिकृत किया गया । उसने 1984-85 तथा 1985-86 वर्षो के दौरान घोषणा-पत्र 3-ख के आधार पर 3.17 करोड़ रुपए का पैकिंग सामग्री करमुक्त क्रय किया । कच्चे माल के करमुक्त क्रय की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 12.68 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 तथा पुनः मई 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(II) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1990) कि वनस्पति निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी को पैकिंग सामग्री भी करमुक्त क्रय करने के लिए अनियमित रूप से प्राधिकृत किया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 2.63 करोड़ रुपए की पैकिंग सामग्री प्रपत्र III-ख के आधार पर करमुक्त क्रय किया । अनियमित मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के फलस्वरूप 10.53 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ख) दिनांक 5 जून 1985 की अधिसूचना के अनुसार बेकरी उत्पादों के निर्माता प्रपत्र 3-ख में घोषणा-प्रपत्रों के अन्तर्गत केवल आटा, मैदा एवं सूजी करमुक्त क्रय कर सकते थे ।

(I) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में बिस्कुट उत्पाद के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र

धारक एक व्यापारी को पैकिंग सामग्री तथा खमीर भी रियायती दर पर खरीदने हेतु प्राधिकृत कर दिया गया । व्यापारी ने रैपिंग पेपर तथा खमीर 82,820 रुपए 10.63 लाख रुपए और 10.93 लाख रुपए क्रमशः 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में प्रपत्र 3-ख जारी करके करमुक्त खरीदा । अतएव् व्यापारी कर की धनराशि के समतुल्य 1.51 लाख रुपए के भुगतान का दायी था । इसके अतिरिक्त वह 2.26 लाख रुपए अर्थदण्ड के भी भुगतान का दायी था । कर तथा अर्थदण्ड आरोपित नहीं किए गए ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(II) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में बिस्कुट के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी को आटा, मैदा एवं सूजी के अतिरिक्त वनस्पति, पैकिंग सामग्री तथा केमिकल्स इत्यादि कर की रियायती दर पर क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया गया था । व्यापारी ने वर्ष 1986-87 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा-पत्रों के आधार पर 8.70 लाख रुपए के वनस्पति, पैकिंग सामग्री इत्यादि कर की रियायती दर पर किया । मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 44,693 रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ग) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि खरीदे गए कच्चे माल से निर्मित माल करारोपण से मुक्त हैं तो कर में कोई छूट अनुमन्य नहीं है । मानव अथवा पशु-शक्ति द्वारा चालित कृषि-यंत्र अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण से मुक्त हैं ।

बिक्री कर मण्डल, मिर्जापुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि मानव शक्ति द्वारा चालित कृषि-यंत्र के निर्माता एक व्यापारी को मान्यता प्रमाण-पत्र अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया तथा कच्चे माल की करमुक्त खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया । उसने वर्ष 1978-79 के दौरान प्रपत्र 3-ख में घोषणा-पत्रों के आधार पर 10.45 लाख रुपए का लोहा एवं इस्पात करमुक्त क्रय किया । 30 जून 1983 को प्रकरण खोला गया तथा धारा 3-बी के अन्तर्गत कर में छूट की धनराशि के समतुल्य 41,800 रुपए की मांग सृजित की गई । व्यापारी अपील में गया तथा अपील स्तर से धारा 3-बी के

अन्तर्गत पारित आदेश जुलाई 1989 में इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि घोषणा-पत्रों के दुरूपयोग के कारण व्यापारी के विरुद्ध धारा 3-बी की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि विभाग द्वारा स्वयं मान्यता-प्रमाण-पत्र स्वीकृत किया गया था तथा व्यापारी द्वारा जमा की गई धनराशि 41,800 रुपए उसे नवम्बर 1989 में वापस कर दी गई । मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 41,800 रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

2.8 अर्थदण्ड का न लगाया जाना

क- आवर्तन का छिपाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा 15ए(1)(सी) के अन्तर्गत यदि किसी व्यापारी ने अपने विक्रय धन का विवरण छिपाया है अथवा जानबूझ कर ऐसे विक्रय धन का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है तो कर निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी इस प्रकार बचा ली गई कर की धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत किन्तु उसके डेढ़ गुने से अधिक नहीं, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा ।

9 जिलों में देखे गए निम्नलिखित 15 मामलों में 36.71 लाख रुपए का अर्थदण्ड आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण वादों का निस्तारण करते समय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किए जाने से रह गया ।

क्रम संख्या	सम्बन्धित मण्डल	वस्तु जिसका क्रय/विक्रय छिपाया गया	कर निर्धारण वर्ष	अर्थदण्ड की धनराशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	आगरा	वनस्पति	1985-86	6.41
2(1)	इलाहाबाद	रासायनिक उर्वरक	1983-84	2.05
(11)	इलाहाबाद	अनाज	1985-86	2.20
3.	आजमगढ़	तिलहन	1984-85	0.58
4.(1)	बरेली	अनाज	1981-82 से 1985-86 तक	8.32
(11)	-तदैव-	-तदैव-	1984-85	3.51
(111)	-तदैव-	चांदी तथा चांदी के आभूषण	1987-88 तथा 1988-89	0.84

1	2	3	4	5
5.(1)	गाजियाबाद	पालीथीन के थैले	1984-85 तथा 1985-86	1.59
(11)	हापुड़(गाजियाबाद)	गुड़	1984-85	1.26
6.	झाँसी	लोहा,इस्पात तथा कोयला	1983-84	0.76
7.(1)	कानपुर	रबर का सामान	1983-84	4.26
(11)	-तदैव-	मसाले तथा सूखे मेवे	1983-84	3.33
(111)	-तदैव-	ईटें	1984-85	0.42
8.	लखनऊ	वनस्पति	-तदैव-	1.73
9.	मेरठ	कोयला	1985-86 तथा 1986-87	0.80
				38.06

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1989 तथा जनवरी 1991 के मध्य) 13 मामलों में नवम्बर 1991 तक 27.75 लाख रुपए की मांग सृजित कर दी गई थी। अवशेष 2 मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 1992)।

(ख) कर की अनधिकृत/अधिक वसूली

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा15-ए(1)(क्यू क्यू) के अन्तर्गत जहां कोई बिक्री कर अथवा क्रय कर विधिक रूप से देय नहीं है, फिरभी अगर कोई व्यापारी बिक्री कर अथवा क्रय कर के रूप में कोई धनराशि वसूल करता है अथवा अधिनियम के अन्तर्गत विधिक रूप से देय कर की धनराशि से अधिक कर वसूल करता है तो वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार वसूल किए गए (जो देय नहीं था) अथवा देय कर से अधिक वसूल किए गए कर की धनराशि से कम किन्तु उक्त धनराशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(1) बिक्री कर मण्डल, जौनपुर में लोहा एवं इस्पात के निर्माण एवं विक्रय हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत करारोपण से मुक्त था। फिर भी उसने वर्ष 1985-86 के दौरान स्वनिर्मित लोहा एवं इस्पात की बिक्री पर 46,233 रुपए कर वसूल किया। व्यापारी ने कर की धनराशि कोषागार में जमा कर दिया था किन्तु बाद में उसे मई 1990 में वापस कर दिया गया। 46,233 रुपए की वापसी न केवल अनियमित थी बल्कि व्यापारी 1.39 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का भी दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया।

यह मामला विभाग तथा सरकार को जुलाई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991)।

(ii) विक्री-कर मण्डल, आगरा में कास्ट आयरन पाइप तथा पाइप फिटिंग्स के एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान कास्ट आयरन पाइप तथा पाइप फिटिंग्स की बिक्रियों पर विधिक रूप से देय कर की धनराशि से 22,925 रुपए अधिक कर वसूल किया । व्यापारी ने अनियमित रूप से वसूल किए गए कर को कोषागार में जमा नहीं किया । अतएव वह 68,775 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

मामला विभाग एवं सरकार को जुलाई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (नवम्बर 1991)।

ग- राज्य के बाहर से माल के आयात पर कर का अपवंचन

(i) राज्य विक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विक्रीकर नियमावली, 1948 कें नियम 85 के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम 1984 की धारा 28-ए के अन्तर्गत प्रान्त के बाहर से सामान आयात करने के लिए इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र XXXI प्राप्त करेगा । यदि इस प्रकार कें सामान रेल, नदी, वायुयान या डाक द्वारा प्रेषित किए जाते है तो आयातकर्ता तब तक उनका परिदान (डिलिवरी) प्राप्त नही करेगा जब तक कि वह कर निर्धारण अधिकारी को अपने द्वारा विधिवत भरे गए तथा हस्ताक्षरित घोषण, दो प्रतियों में पृष्ठांकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर देता । इन प्रावधानो के उल्लघन किए जाने की स्थिति में कर निर्धारण प्राधिकारी निदेशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, धारा 15-ए (i) (ओ) के अन्तर्गत मद (ix) में किए गए प्रावधान के अनुसार आयातित माल के 40 प्रतिशत से अंधिक धनराशि का अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान 6.82 लाख रुपए के प्रोजेक्टर्स रेल द्वारा प्रान्त के बाहर से कर निर्धारण अधिकारी को घोषणा प्रपत्र 31 प्रस्तुत किए बिना आयात किया । अतएव व्यापारी 2.73 लाख रुपए तक अर्थदण्ड का दायी था जो लगाए जाने से रह गया ।

लेखा परीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1989) विभाग ने बताया (मार्च 1991) कि 2.73 लाख रुपए का अर्थदण्ड अब लगा दिया गया है ।

मामला सरकार को दिसम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में 3.18 लाख रुपए मूल्य की सी.आर. शीट राज्य के बाहर से कर-निर्धारण अधिकारी को घोषणा प्रपत्र XXXI प्रस्तुत किए बिना आयात किया । अतएव व्यापारी 1.27 लाख रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो कि आरोपित किए जाने से रह गया ।

चूक के इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 1990) विभाग ने जुलाई 1991 में बताया कि अब 1.27 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में एक व्यापारी ने 1.56 लाख रुपए का कागज राज्य के बाहर से वर्ष 1984-85 में बिना घोषणा-प्रपत्र XXXI का प्रयोग किए हुए आयात किया जिसके फलस्वरूप व्यापारी पर 62,585 रुपए तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था जो आरोपित करने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1990) विभाग ने बताया कि अब 62,586 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

सरकार को मामला मार्च 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(11) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए के अन्तर्गत, यदि कोई पंजीकृत व्यापारी कोई सामान मिथ्या रूप से निरूपित करते हुए कि ऐसा सामान उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आवृत्त है प्रपत्र "सी" में घोषणा-पत्र के आधार पर कर की रियायती दर पर राज्य के बाहर से क्रय करता है, तो वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान करने का दायी होगा जो ऐसे सामान के विक्रय पर आरोपणीय कर की धनराशि के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

(क) बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 में प्रपत्र "सी" के आधार पर रियायती दर पर राज्य के बाहर से 14.47 लाख रुपए की विशेष मशीनरी और जेनरेटिंग सेट की खरीद की, यद्यपि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे। अतः व्यापारी 2.23 लाख रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1990) विभाग ने बताया (जून 1991) कि अब 2.23 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

प्रकरण शासन को जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री कर मण्डल, पीलीभीत में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान प्रपत्र "सी" में घोषणा-पत्र के आधार पर कर की रियायती दर पर राज्य बाहर से 6.15 लाख रुपए के पाइप, पेंण्ट्स तथा केमिकल्स इत्यादि क्रय किया, यद्यपि ये सामान उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आवृत्त नहीं थे । अतएव् व्यापारी 92,323 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1990) विभाग ने जनवरी 1991 में बताया कि अब 61,600 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

शासन को यह प्रकरण जुलाई 1990 तथा पुनः अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) बिक्री कर मण्डल, देवबन्द, सहारनपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 में राज्य के बाहर से 5.05 लाख रुपए की फायर ब्रिक्स तथा स्नेहकों (ल्यूब्रिकेंट्स) आदि वस्तुओं का प्रपत्र "सी" के आधार पर रियायती दर पर आयात किया, यद्यपि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे । अतएव व्यापारी 75,822 रुपए तक के अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने रह गया ।

लेखा परीक्षा में इस भूल को इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1987) विभाग ने 1988 में सूचित किया कि अब 56,000 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

सरकार को मामला जनवरी 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(घ) बिक्री कर मण्डल, चाँदपुर (बिजनौर) में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान प्रपत्र "सी" में घोषणा-पत्र के आधार पर कर की रियायती दर पर राज्य बाहर से 4.63 लाख रुपए का वाशिंग मैटेरियल, पेण्ट्स, वेल्डिंग मैटेरियल इत्यादि क्रय किया, यद्यपि ये सामान उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आवृत्त नहीं थे । अतएव् व्यापारी 69,255 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1990), विभाग ने बताया (दिसम्बर 1990) कि 69,875 रुपए का अर्थदण्ड अब आरोपित कर दिया गया है जिसमें से 10,500 रुपए की वसूली हो गई है ।

शासन को यह प्रकरण मार्च 1990 तथा अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया ।

(ड) बिक्री कर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान प्रपत्र "सी" में घोषणा-पत्रों के आधार पर कर की रियायती दर पर राज्य के बाहर से 3.56 लाख रुपए के चन्दन का बुरादा, अल्म्यूनियम, क्वायल तथा केमिकल इत्यादि क्रय किया यद्यपि ये सामान उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आवृत्त नहीं थे । अतएव व्यापारी 53,372 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान करने का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1990), विभाग ने दिसम्बर 1990 में बताया कि 53,371 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

शासन को यह प्रकरण मार्च 1990 में प्रतिवेदित किया गया ।

(च) बिक्री कर मण्डल, बलिया में एक फर्म दिनांक 31 मार्च 1980 को पुनर्गठित हुई। फर्म ने प्रान्तीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 24 मई 1980 को नया पंजीयन प्राप्त कर लिया किन्तु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन नहीं प्राप्त किया । फर्म ने वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में विभाग से प्रपत्र "सी" अनधिकृत रूप से प्राप्त कर 4.47 लाख रुपए का माल राज्य के बाहर से रियायती दर पर क्रय किया । अतएव फर्म पर 52,053 रुपए के अर्थदण्ड का दायित्व बनता था, जो लगाए जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1988) विभाग ने जनवरी 1990 में सूचित किया कि अब 52,054 रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

मामला सरकार को जुलाई 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(छ) बिक्री कर मण्डल, मथुरा में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में प्रपत्र "सी" के आधार पर रियायती दर पर राज्य के बाहर से 2.48 लाख रुपए का रानीपाल (टीनोपाल) खरीदा, यद्यपि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं था । अतः व्यापारी 37,248 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अगस्त 1990) विभाग ने बताया कि अब 37,248 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

सरकार को प्रकरण अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.9 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम आरोपण

(क) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948, कि धारा 3-ए(1)(ई) के अन्तर्गत, ऐसा माल जो अन्यथा वर्गीकृत न हो की बिक्री पर, आयातकर्ता या निर्माता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा स्वीकृत रुप से देय कर यदि नियत तिथि तक भुगतान नहीं कर दिया जाता है तो जमा न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आकर्षित होता है ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 वर्षो के दौरान क्रमशः 10.84 लाख रुपए, 11.20 लाख रुपए तथा 9.33 लाख रुपए की आयातित कापर स्ट्रिप्स की बिक्री की । कापर स्ट्रिप्स वर्गीकृत माल नहीं है । उपरोक्त बिक्रियों पर 8 प्रतिशत की सही दर के बजाय इसे केवल धातु मानते हुए 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । कापर स्ट्रिप्स के गलत वर्गीकरण के कारण 2.04 लाख रुपए का कर (अतिरिक्त कर सहित) कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त, व्यापारी पर कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी लगाया जाना था ।

विभाग एवं शासन को यह प्रकरण जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पुराने निष्प्रयोज्य भण्डार की बिक्री पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । दिनांक 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, रामपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 व 1986-87 के दौरान 26.61 लाख रुपए की उपयोग हो चुकी कारतूसों की बिक्री की । इन बिक्रियों पर सही दर 8 प्रतिशत के बजाय 2 प्रतिशत की दर से (उपयोग किए गए कारतूसों का स्क्रैप मानते हुए) कर आरोपित किया गया । गलत वर्गीकरण के कारण अतिरिक्त कर को सम्मिलित करते हुए 1.76 लाख रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ग) गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ए(1)(ई) के अन्तर्गत उन वस्तुओं के विक्रय आवर्तन पर जो अन्यथा वर्गीकृत नहीं की गई है, 7 सितम्बर 1981 से उपभोक्ता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । दिनांक 1 जून 1985 से रसोई के उपकरण (गैस स्टोव सम्मिलित करते हुए "रसोई के बर्तन तथाउपकरण" के प्रविष्टि से हटा दिए गए तथा उन्हें किसी अन्य प्रविष्टि में नहीं सम्मिलित किया गया ।

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1985-86 में गैस स्टोव का विक्रय 24 लाख रुपए निर्धारित किया गया । इन्हें रसोई पात्र मानते हुए गलत रूप से 8 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत वर्गीकरण से 48,000 रुपए का कर कम आरोपित किया गया । कर के5 प्रतिशत की दर से 31 अक्टूबर 1985 तक तथा 10 प्रतिशत की दर से 1 नवम्बर 1985 से अतिरिक्त कर भी 4,400 रुपए आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा में इस चूक के इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1990) विभाग ने मार्च 1991 में बताया कि अब कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 52,400 रुपए की अतिरिक्त मांग (अतिरिक्त कर सहित) सृजित कर दी गई है ।

यह मामला सरकार को नवम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.10 अनियमित छूट दिया जाना

(1) उत्तर प्रदेश में एक बिन्दु पर कराधान प्रचलित है और उस सामान की पुनर्बिक्री पर कोई कर देय नहीं है, जिस पर कर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है । फिर भी, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 2(ड-1) के अन्तर्गत यदि इस प्रकार से क्रय किया गया सामान परिवर्तित या प्रोसेस किया जाता है और एक नई वाणिज्यिक वस्तु बनती है, तो इसे निर्माण माना जाएगा और ऐसी वस्तु की बिक्री पर कर आरोपणीय होगा । व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता है, तो भुगतान न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय होगा ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1990) कि एक व्यापारी का वर्ष 1986-87 में स्टील ट्यूब का प्रारम्भिक रहतिया 7.02 लाख रुपए था। उसने वर्ष के दौरान राज्य के अन्दर 79.99 लाख रुपए का स्टील ट्यूब क्रय किया । इसमें से उसने 77.56 लाख रुपए का स्टील ट्यूब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के पश्चात् बेच

दिया । कर निर्धारण के समय, ये बिक्रियां कर प्रदत्त क्रय किए गए माल की बिक्रियां मानते हुए कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयी । क्योंकि माल की बिक्रियां इलेक्ट्रोप्लेटिंग (निर्माण) के पश्चात् की गई, अतएव कर के आरोपण से मुक्ति अनियमित थी । व्यापारी को अनियमित कर मुक्ति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 3.10 लाख रुपए का कर आरोपित होने से रह गया चूंकि यह कर स्वीकृत रूप से देय था, अतः इस पर व्यापारी से 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी देय था ।

यह प्रकरण विभाग शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(ii) बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ए के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन नई इकाइयों को निर्धारित अवधि तक बिक्री कर से छूट का प्रावधान है । 29 सितम्बर 1986 के विभागीय परिपत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत कर मुक्त इकाई को उस अवधि में कर मुक्ति नहीं मिलेगी जिसमें उसने ग्राहकों से कर वसूला है ।

बिक्री कर मण्डल, रायबरेली मे एक व्यापारी को 24 नवम्बर 1983 को चावल निर्माण हेतु धारा 4-क के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया । वह धारा 4-ख के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण पत्र धारक भी था । उसने वर्ष 1985-86 में धान कर मुक्त क्रय करके उससे चावल तैयार किया और चावल राज्य में तथा अन्तर राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत विक्रय करके 2.37 लाख रुपए कर वसूल किया । कर निर्धारण के समय 16 मार्च 1990 को उसे करारोपण से मुक्त कर दिया गया । अनियमित कर मुक्ति के फलस्वरूप 2.37 लाख रुपए का कर कम निर्धारित हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(iii) बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत नई इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित निर्मित वस्तुओं पर कर मुक्ति प्रदान की गई है ।

बिक्री कर मण्डल, नोएडा में एक व्यापारी को 12 सितम्बर 1984 से गैस स्टोव बर्नर्स के निर्माण एवं बिक्री कर हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र दिया गया । व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में गैस स्टोव का ढाँचा तथा उसके सहायक पुर्जे राज्य के बाहर से खरीदा और उनका संकलित करके गैस स्टोव राज्य के अन्दर 1.52 लाख रुपए में तथा अन्तरराज्यीय व्यापार/वाणिज्य में 4.33 लाख रुपए में बेंचा । करारोपण से छूट की स्वीकृति अनियमित थी क्योंकि पात्रता

प्रमाण-पत्र व्यापारी द्वारा निर्मित गैस स्टोव बर्नर्स की बिक्री के लिए ही था । इसके फलस्वरूप 55,526 रुपए का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(IV) 31 दिसम्बर 1976 की अधिसूचना के साथ पठित उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत कुछ निर्दिष्ट जनपदों में पांच साल के लिए तथा अन्य जनपदों में तीन साल के लिए अधिसूचित माल के निर्माण हेंतु कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशिष्ट छूट हेतु योजना का प्रावधान है । विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् व्यापारी रियायती दर का लाभ ले सकता है ।

बिक्री कर मण्डल, खुर्जा (जनपर बुलन्दशहर) के एक व्यापारी को 4 नवम्बर 1977 को साइकिल ट्यूब के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया । वह 3 नवम्बर 1982 तक कच्चा माल कर मुक्त खरीद सकता था । व्यापारी ने प्रपत्र 3-ख के विरूद्ध वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक 9.77 लाख रुपए का कच्चा माल कर मुक्त खरीदा । पांच वर्ष के उपरान्त करमुक्ति देने से 39,064 रुपए का अवनिर्धारण हुआ ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(V) सरकारी अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 1982 के अन्तर्गत अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई (आयोग) अथवा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर द्वारा प्रमाणित संस्थाए खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 तथा उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की अनुसूची (उपरोक्त अधिसूचना के नीचे प्रतिकृत) में दिए गए खादी तथं ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्माण से सम्बन्धित माल के क्रय पर कर मुक्त है । मीथेन गैस (बायोगैस) उक्त अनुसूची में उल्लिखित खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों में से एक है और इसके उत्पादन के लिए बायोगैस प्लाण्ट कर का भुगतान किए बिना क्रय किया जा सकता है । ग्रामोद्योग उत्पाद की अनुसूची में बायोगैस प्लांट का उल्लेख नहीं किया गया है ।

बिक्री कर मण्डल, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (जनवरी 1991) कि एक व्यापारी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित एक संस्था को बायोगैस प्लाण्ट के निर्माण के लिए 26.36 लाख रुपए का लोहा वर्ष 1984-85 में बेचा । उक्त बिक्री को

कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त कर दिया । ग्रमोद्योग उत्पाद की अनुसूची में बायोगैस प्लाण्ट का उल्लेख नहीं है । अतएव बायोगैस पलाण्ट के निर्माता कच्चा माल इत्यादि कर मुक्त क्रय करने के लिए अधिकृत नहीं है । इस प्रकार उक्त विक्रय को कर लगाने से मुक्त कर देने के फलस्वरूप 1.05 लाख रुपए कर कम आरोपित किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 1991) ।

(vi) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6(2) के अन्तर्गत माल के एक राज्य से दूसरे राज्य मे चलन के दौरान माल के स्वागित्व के परिलेखों के अन्तरण द्वारा माल के अन्तरराज्यीय विक्रय पर कुछ शर्तों के पूरा करने पर कर आरोपणीय नहीं है । यदि माल का अन्तरण दूसरे राज्य में पहुंचने के पश्चात् होता है तो इस समव्यवहार पर उस राज्य में जिसको सामान भेजा गया है, लागू दर से कर आरोपणीय है । अग्रेतर, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ड के अन्तर्गत 31 अक्टूबर 1985 तक कर के 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर यदि नियत तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो भुगतान न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देय है ।

बिक्री कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने विनिर्दिष्ट स्थान पर पम्प सेटों के प्रस्थापन हेतु उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से एक अनुबन्ध किया जिसके लिए व्यापारी को भुगतान निर्दिष्ट स्थानों पर पम्प सेटों के सन्तोषप्रद प्रतिस्थापन के पश्चात् किया जाना था व्यापारी ने राज्य के बाहर से वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में 58.07 लाख रुपए के विद्युत मोटरों का क्रय करके उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिस्थापित पम्प सेटों के सज्जीकरण में उपयोग किया । व्यापारी ने इन मोटरों का विक्रय माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में चलन के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों के अन्तरण द्वारा दर्शाया और उसे कर लगाने से मुक्त कर दिया गया । चंकि व्यापारी का मोटरों पर स्वामित्व पम्प सेटों के सन्तोषप्रद प्रस्थापन तक बना रहा इसलिए समव्यवहार माल एक राज्य से दूसरे राज्य चलन के दौरान माल के स्वामित्व के प्रलेखों के अन्तरण द्वारा विक्रय के अन्तर्गत नहीं आता । समव्यवहार वास्तव में माल का राज्य के बाहर से आयात कर के उसे पम्प सेटों के सज्जीकरण में प्रयोग करके सिंचाई विभाग को विक्रय करना था, अतः व्यापारी पम्प सेटों के इस भाग के विक्रय पर 3.48 लाख रुपए के कर के भुगतान का दायी था जो लगाने से रह गया । इसके अतिरिक्त 17,421 रुपए अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था तथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज प्रभार्य था ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को नवम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

2.11 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रपत्र "सी" अथवा "डी" में घोषणाओं से अनाच्छादित अघोषित वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा राज्य के अन्दर उस वस्तु के क्रय अथवा विक्रय पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होगा । अंग्रेतर, यदि व्यापारी ने आवर्तन को छिपाया है अथवा गलत विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह इस प्रकार बचाए गए कर की धनराशि के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी होगा ।

(क)(i) बिक्री कर मण्डल, मेरठ में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 के दौरान 13.87 लाख रुपए के स्वनिर्मित एलास्टिक धागे की अन्तरराज्यीय बिक्री की । यद्यपि ये बिक्रियां प्रपत्र "सी" अथवा "डी" में घोषणाओं से समर्थित नहीं थी, फिर भी इन बिक्रियों पर 10 प्रतिशत की सही दर के बजाय 2 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 1.11 लाख रुपए का कर कम आरोपित किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1992) ।

(ii) बिक्री कर मण्डल, कासगंज (जनपद एटा) में एक व्यापारी ने वर्ष 1988-89 के दौरान 12.68 लाख रुपए के टिम्बर की अन्तरराज्यीय बिक्रियां की किन्तु इसे परेषण के आधार पर बिक्री प्रदर्शित किया । यद्यपि ये बिक्रियां निर्धारित घोषणा-प्रपत्र (फार्म "सी" अथवा "डी") से समर्थित नहीं थीं, तो भी कर सही दर 13.2 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) के बजाय 10 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 40,568 रुपए का कर कम आरोपित हुआ । व्यापारी 60,850 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था, जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1990) विभाग ने फरवरी 1991 में बताया कि कर निर्धारण आदेश का संशोधन करके 40,568 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है तथा 65,000 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है ।

यह मामला सरकार को जुलाई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(iii) बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 36.24 लाख रुपए और 19.61 लाख रुपए के आटो लीफ स्प्रिंग की

अन्तरराज्यीय बिक्रियां कीं । यद्यपि ये बिक्रियां निर्धारित घोषणा-प्रपत्र फार्म "सी" अथवा "डी" से समर्थित नहीं थी तो भी इस वस्तु की बिक्री पर राज्य में लागू ।। प्रतिशत की सही दर के बजाय (अतिरिक्त कर सहित) 10 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 55,850 रुपए का कर कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (सितम्बर 1990) विभाग ने बताया (जून 1991) कि दोनों वर्षो के कर निर्धारण को संशोधित करते हुए 55,850 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1856 की धारा 8 के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा पत्र "सी" अथवा "डी" से आच्छादित न होने की दशा में अघोषित वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा उक्त वस्तु के राज्यीय विक्रय अथवा क्रय पर की की दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय है । दिनांक 1 अप्रैल 1968 की विज्ञप्ति के अनुसार सरसों के तेल की अन्तरराज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर देय है और निर्धारित घोषणा-पत्रों से अनाच्छादित टीन के डिब्बों की अन्तरराज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है ।

(1) बिक्री कर मण्डल, हाथरस के एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में टिन के डिब्बों में बन्द सरसों के तेल की 1.85 करोड़ रुपए की प्रपत्र सी या डी से अनाच्छादित अन्तरराज्यीय बिक्री की जिसमें 8.03 लाख रुपए के टीन के डिब्बा की कीमत भी सम्मिलित थी । कुल बिक्री पर केन्द्रीयबिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । टीन के डिब्बों की बिक्री पर 10 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से कर लगाने के कारण 72,253 रुपए कम कर आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (फरवरी 1989), विभाग ने बताया (नवम्बर 1990)कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 72,253 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

सरकार को यह मामला फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(11) बिक्री कर मण्डल, हाथरस की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1988) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 में टीन के डिब्बों मे सरसों के तेल की 68 लाख

रुपए की प्रपत्र "सी" या "डी" से अनाच्छादित अन्तरराज्यीय बिक्री की । इस बिक्री में 3.38 लाख रुपए के टिन के डिब्बों का मूल्य सम्मिलित था । इस बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा-8(5) के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। चूंकि टिन के डिब्बे धारा 8(5) से आवृत नहीं हैं, इसलिए इनके विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना चाहिए था । टिन के डिब्बों पर 10 प्रतिशत की सही दर के स्थंन पर एक प्रतिशत की दर से कर आरोपित किए जाने के कारण 30,385 रुपए कर कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (फरवरी 1989) विभाग ने बताया कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 30,385 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

सरकार को यह मामला फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अन्तर्गत प्रपत्र "सी" या "डी" में घोषणाओं से अनाच्छादित घोषित वस्तुओं की अन्तरराज्यीय बिक्री के मामले में राज्य में ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर की दो गुनी दर से कर आरोपणीय है । उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत सूती धागा एक घोषित वस्तु है तथा सूती धागा की राज्य के अन्दर एवं प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से आच्छादित अन्तरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, हाथरस की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1989) कि एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान सूती धागे की बिना प्रपत्र "सी" या "डी" से आच्छादित अन्तरराज्यीय बिक्री 80 लाख रुपए निर्धारित की गई तथा कर 4 प्रतिशत की सही दर के बजाय एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया । इसके फलस्वरूप 2.40 लाख रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990) विभाग ने मार्च 1991 में बताया कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है तथा 2.40 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

शासन को यह प्रकरण जनवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(घ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अन्तर्गत, प्रपत्र "सी" अथवा "डी" में घोषणा-पत्रों से अनावृत्त घोषित माल की अन्तरराज्यीय बिक्री पर राज्य के अन्दर ऐसे माल के विक्रय पर लागू दर के दुगने दर पर कर आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, राबर्ट्सगंज में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान प्रपत्र "सी" के आधार पर 16.60 करोड़ रुपए के कोयले की अन्तरराज्यीय बिक्री की । इसमें से 11.66 लाख रुपए का एक प्रपत्र "सी" दोषपूर्ण पाया गया था और स्वीकार नहीं किया गया था । इस बिक्री पर निर्धारित घोषणा पत्रों से असमर्थित बिक्री पर लागू 8 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप 46,656 रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (फरवरी 1990) विभाग ने बताया (फरवरी 1991) कि कर निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और 46,656 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

शासन को यह प्रकरण फरवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ङ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 15(ख) के अन्तर्गत, जहां घोषित माल पर राज्य के अन्दर कर आरोपित कर दिया गया है और अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसा माल बेचा जाता है तथा इस विक्रय पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में राज्य के बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किया गया कर व्यापारी को वापस कर दिया जाएगा । परन्तु कर की वापसी की यह सुविधा अघोषित माल के क्रय या विक्रय के मामले में अनुमन्य नहीं है ।

बिक्री कर मण्डल, अलीगढ़ में एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के दौरान मटर की दाल की 86.80 लाख रुपए की अन्तरराज्यीय बिक्री की । क्योंकि ये बिक्रियां प्रपत्र 'सी' में घोषणा-पत्र द्वारा आच्छादित नहीं थी, अतएव 8.70 लाख रुपए (10 प्रतिशत की दर से) कर आरोपित किया गया । मटर के अनुमानित मूल्य 80 लाख रुपए पर राज्य के अन्तर्गत भुगतान किए गए कर 3.20 लाख रुपए के समायोजन के बाद कर निर्धारण आदेश पारित किया गया मटर एक अघोषित वस्तु होने के कारण कर की वापसी अथवा केन्द्रीय बिक्री कर में समायोजन का लाभ अनुमन्य नहीं था । अनियमित समायोजन से 3.20 लाख रुपए का केन्द्रीय बिक्री कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1989) विभाग ने बताया (मार्च 1991) कि 3.20 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग अब सृजित कर दी गई है ।

मामला सरकार को जून 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.12 कर का गलत दर से आरोपण

(1)(क) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय पर दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 26 प्रतिशत की दर से कर देय था ।

बिक्री कर मण्डल, गोपीगंज, वाराणसी में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1982-83 में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का विक्रय धन 10 लाख रुपए निश्चित किया गया और उस पर 26 प्रतिशत की सही दर के बजाय 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । गलत दर से कर आरोपण के कारण 1.80 लाख रुपए के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा में इस चूक को इंगित (फरवरी 1989) किए जाने पर विभाग ने बताया (मई 1989) कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 1.80 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

सरकार को यह प्रकरण फरवरी 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की आयातक या निर्माता द्वारा की गई बिक्रियों पर एक अप्रैल 1978 से 30 जून 1979 तक 21 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय था ।

बिक्री कर मण्डल, वाराणसी में वर्ष 1978-79 के दौरान एक व्यापारी द्वारा आयातित भारत में बनी विदेशी मदिरा की बिक्री 6 लाख रुपए निर्धारित की गयी (फरवरी 1989) जिस पर 21 प्रतिशत की निर्धारित दर के बजाय 13 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपित किया गया था । गलत दर से कर लगाए जाने के कारण 48,000 रुपए का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1989) में इस त्रुटि के इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1990) कि कर निर्धारण अब संशोधित कर दिया गया है तथा 48,000 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वे वस्तुएँ जो अन्य प्रकार से वर्गीकृत नहीं की गई है, उनकी बिक्री पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है । अधिनियम की धारा 3-ई के अन्तर्गत 31 अक्टूबर 1985 तक कर के 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

(क) बिक्री कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1985-86 में कारोगेटेड कागज शीट्स की बिक्री 43 लाख रुपए निर्धारित की गई और 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । चूंकि कारोगेटेड शीट अन्य प्रकार से वर्गीकृत नहीं है, इन बिक्रियों पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । गलत दर से कर आरोपित करने के कारण 92,850 रुपए कर (अतिरिक्त कर सहित) कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1991) विभाग ने जून 1991 में बताया कि 92,850 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

प्रकरण शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 के दौरान बन्द डिब्बों में आयातित फल एवं सब्जियों की 31.01 लाख रुपए की विक्री की । इन बिक्रियों पर 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था । चूंकि फल एवं सब्जी (बन्द डिब्बों में बेची गई) अन्यथा वर्गीकृत नही है, अतएव इन बिक्रियों पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । गलत दर से कर आरोपित किए जाने के कारण 68,216 रुपए के कर (अतिरिक्त कर सहित) का अवनिर्धारण हुआ । व्यापारी से कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज भी वसूली योग्य है ।

यह मामला सरकार एवं विभाग को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (नवम्बर 1991)।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पेण्ट्स की बिक्री पर आयातकर्ता अथवा निर्माणकर्ता के बिन्दु पर कर की देयता 6 जून 1985 से 12 प्रतिशत थी ।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 3-ड के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन 31 अक्टूबर 1985 तक कर के 5 प्रतिशत तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, रायबरेली में एक व्यापारी ने वर्ष 1985-86 में (6जून 1985 के पश्चात्) 28.97 लाख रुपए की पेण्ट्स की बिक्री की जिस पर सही दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त 31 अक्टूबर 1985 तक 5 प्रतिशत तथा 1 नवम्बर 1985 से 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था । गलत दर से करारोपण के फलस्वरूप 62,837 रुपए का कर (अतिरिक्त कर सहित) कम आरोपित हुआ ।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(IV) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 6 जून 1985 से सीमेन्ट की बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर से कर देय है । इसके अलावा 1 अक्टूबर 1983 से कर के 5 प्रतिशत तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है । व्यापारी द्वारा यदि स्वीकृत कर का भुगतान समय से नहीं किया गया तो भुगतान न की गई धनराशि पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय है ।

एक मामले में गलत दर से कर लगाए जाने के कारण 2.85 लाख रुपए (ब्याज सहित) का कम करारोपण देखा गया तथा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर मांग सृजित करके वसूली कर ली गई है । दूसरा मामला निम्नलिखित है:

बिक्री कर मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1990) कि एक सरकारी विभाग ने 1985-86 में राज्य के बाहर से 26.87 लाख रुपए के सीमेन्ट का आयात किया तथा भाड़ा इत्यादि जोड़कर 28 लाख रुपए में ठेकेदारों को आपूर्ति किया । 5 जून 1985 के पश्चात् 23.30 लाख रुपए की बिक्री थी । इन बिक्रियों पर सही दर 10 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । 31 अक्टूबर 1985 तक की बिक्रियों पर कर के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपित करने से छूट गया । दोनों त्रुटियों के फलस्वरूप 58,480 रुपए का कर कम आरोपित किया गया । इस राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी प्रभार्य है ।

चूक के लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (जनवरी 1991) विभाग ने जून 1991 में सूचित किया कि अब कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 58,480 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

प्रकरण शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(V) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर, जिन्हें अन्यथा वर्गीकृत न किया गया हो, दिनांक 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर देय है । दिनांक 1 अक्टूबर 1983 से कर के 5 प्रतिशत की दर से तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्रीकर मण्डल, मेरठ में दो व्यापारियों ने वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 में क्रमशः 14 लाख रुपए तथा 8.40 लाख रुपए का "सेल्फ अढेसिव प्लास्टर" की बिक्री की तथा इन बिक्रियों पर अतिरिक्त कर सहित 6.6 प्रतिशत की दर से, दवा मानते हुए कर आरोपित किया । चूंकि "सेल्फ अढेसिव प्लास्टर" दवा नहीं है और इसका कहीं अन्यथा वर्गीकरण नहीं किया गया है, अतः इसकी बिक्री पर 31 अक्टूबर 1985 तक 8.4 प्रतिशत तथा 1 नवम्बर 1985 से 8.8 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर सम्मिलित करते हुए कर आरोपणीयथा । गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप 48,280 रुपए का कम कर आरोपित हुआ

प्रकरण विभागतथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

2.13 ब्याज का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापारी से अपेक्षित है कि वह निर्धारित कालान्तरों में अपने व्यापार के परिलेख प्रस्तुत करे और निर्धारित समय के भीतर देय कर की धनराशि जमा कर दे । किसी व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर, यदि नियत तिथि तक जमा न किया गया हो तो, जमा न की गयी धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा । स्वीकृत रुप से देय कर का अभिप्राय उस कर से है जो व्यापारी द्वारा रखें गए लेखे में घोषित अथवा किसी परिलेख या अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाईयों में उसके द्वारा स्वीकार किए गए व्यापार पर, जो भी अधिक हो, अधिनियम के अन्तर्गत देय है ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज न लगाए जाने से सम्बन्धित एक मामले में 1.13 लाख रुपए की धनराशि सृजित करके वसूली कर ली गई है । अन्य मामले निम्नलिखित हैं:

(i) बिक्रीकर मण्डल, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1988) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1983-84 के दौरान 26.62 लाख रुपए की टिन प्लेट्स की बिक्री की, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से 1.06 लाख रुपए कर आरोपित किया गया । व्यापारी ने निर्धारित समय के भीतर 24,571 रुपए जमा किया (अप्रैल से दिसम्बर 1983) । 37,219 रुपए ब्याज के साथ अवशेष 81,924 रुपए (31 मई 1986 को 9,500 रुपए एवं 22 अप्रैल 1988 को 1,09,643 रुपए) व्यापारी द्वारा विलम्ब से जमा किया गया । देर से जमा किए गए कर पर ब्याज 84,501 रुपए संगणित होता था । इस प्रकार 47,282 रुपए का ब्याज कम आरोपित किया गया ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1988), विभाग ने बताया (जुलाई 1989) कि 45,440 रुपए की मांग सृजित करके उसकी वसूली जनवरी 1989 में कर ली गई है । अग्रेतर, विभाग ने बताया (फरवरी 1991) कि अवशेष धनराशि 1,842 रुपए की अतिरिक्त मांग भी अब सृजित कर दी गई है (फरवरी 1991) ।

शासन को यह प्रकरण दिसम्बर 1988 में प्रतिवेदित किया गया था ।

(ii) कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) बिक्री कर, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1990) कि एक व्यापारी ने टिन कन्टेनर्स की अगस्त 1985 से फरवरी 1986 की अवधि में प्रपत्र III-ख से आच्छादित 98,937 रुपए की करमुक्त बिक्री प्रदर्शित किया । परन्तु उसके समर्थन में प्रपत्र III-ख प्रस्तुत न कर पाने के कारण देय कर 39,357 रुपए की अतिरिक्त मांग अगस्त 1989 में सृजित किए जाने के बाद दिनांक 18 तथा 19 अक्टूबर 1989 को जमा कर दिया । विलम्ब से कर जमा करने के फलस्वरूप व्यापारी द्वारा 39,020 रुपए ब्याज भी देय था जो प्रभारित करने से रह गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

(iii) बिक्री कर मण्डल, शाहजहांपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1989) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1982-83 में 5.22 लाख रुपए के राइस ब्रान तेल की

अन्तरराज्यीय बिक्री की और उस पर 20,862 रुपए कर आरोपित किया गया । कर मई 1990 में जमा कर दिया गया । व्यापारी 35,964 रुपए ब्याज के भुगतान का भी दायी था, जो उस पर प्रभारित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा चूक के इंगित किए जाने पर (सितम्बर 1989) विभाग ने बताया (जनवरी 1991) कि अब 35,964रुपए ब्याज की मांग सृजित कर दी गई है ।

मामला शासन को सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.14 क्रय कर का आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बबूल की छाल 7 सितम्बर 1981 से प्रथम क्रय के बिन्दु पर 8 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । स्वीकृत रूप से देय कर, यदि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं किया गया तो जमा न की गई कर की धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1984-85 के दौरान कानपुर के एक अन्य व्यापारी से 52.18 लाख रुपए की बबूल की छाल क्रय किया । इन क्रयों पर पूर्व कर प्रदत्त होने के समर्थन में व्यापारी ने घोषणा पत्र 3-ग(2) या 3-ग(5) प्रस्तुत नहीं किया था । अतएव व्यापारी 4.38 लाख रुपए के क्रय कर (अतिरिक्त कर सहित) के भुगतान का दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया । कर जमा किए जाने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी प्रभार्य था ।

लेखापरीक्षा में इस त्रुटि के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990) विभाग ने बताया (जुलाई 1990) कि कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है और 4.38 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । कर तथा उस पर देय ब्याज की वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 1991) ।

यह मामला सरकार को जनवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.15 अतिरिक्त कर का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देय है । यह न्यायिक रूप से माना गया* है कि राज्य अधिनियम के अन्तर्गत जो कुछ भी कर के रूप में देय है वही अन्तरराज्यीय बिक्री के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में देय होगा ।

बिक्री कर मण्डल, मेरठ में एक व्यापारी ने वर्ष 1986-87 से 1988-89 के दौरान 1.18 करोड़ रुपए की बस बाडी का बिना निर्धारित प्रपत्र "सी" अथवा "डी" से आच्छादित अन्तरराज्यीय बिक्रय किया । इस विक्रय पर 11.80 लाख रुपए कर आरोपित किया गया किन्तु 1.18 लाख रुपए अतिरिक्त कर आरोपित करने से छूट गया।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1991) ।

2.16 आवर्तन का कर निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी अपने आवर्तन को छिपाता है तो वह बचाए गए कर के डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड का दायी होगा । छुहारा (सूखा मेवा) के विक्रय धन पर 1 अक्टूबर 1985 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है तथा 1 नवम्बर 1985 से कर के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है ।

बिक्री कर मण्डल, कानपुर में एक व्यापारी ने वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य बाहर से 5.70 लाख रुपए का छुहारा (सूखा मेवा) क्रय किया । छुहारे की बिक्री न तो नक्शों में घोषित की गई और न ही वर्ष के अन्त में अन्तिम रहतिया में ही दर्शाई गई । स्पष्टतः व्यापारी द्वारा बिक्री छिपाई गई । विक्रयधन के छिपाए जाने के परिणामस्वरूप 11 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से 62,696 रुपए का कर कम आरोपित हुआ । इसके अतिरिक्त व्यापारी अधिनियम की धारा 15-ए(1)(सी) के अन्तर्गत 94,044 रुपए तक अर्थदण्ड के भुगतान का भी दायी था जो आरोपित किए जाने से रह गया ।

---

* सत्यनारायण स्पिनिंग मिल्स बनाम वाणिज्य कर अधिकारी (एस.टी.आई. 1989 पृष्ठ 290) के मामले में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1989) विभाग ने बताया (अक्टूबर 1990) कि कर निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है और व्यापारी के विरुद्ध 62,696 रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है । अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 1991) ।

मामला सरकार को जुलाई 1989 में प्रतिवेदित किया गया था ।

2.17 गणना की त्रुटि

उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पीतल की कलात्मक वस्तुएँ तथा बर्तन 30 सितम्बर 1985 तक 8 प्रतिशत की दर से और 1 अक्टूबर 1985 से 10 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे ।

बिक्री कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी द्वारा 1985-86 में पीतल की कलात्मक वस्तुओं की 20 लाख रुपए बिक्री निर्धारित की गई । गणना की त्रुटि के कारण करदेयता 2,04,000 रुपए के स्थान पर 20,400 रुपए नियत की गई । फलस्वरूप 1.84 लाख रुपए कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जनवरी 1991) विभाग ने जून 1991 में बताया कि अब कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया और 1.84 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गई है ।

प्रकरण शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था ।

अध्याय - 3

राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा अभिलेखों के जांच परीक्षण से 91 मामलों में 159.10 लाख रुपए के शुल्क और फीस के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	लाइसेंस फीस का संग्रह न किया जाना या कम किया जाना	5	15.34
2.	शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना	11	14.40
3.	भारत में बनी विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क का कम लगाया जाना	5	12.65
4.	अन्य अनियमितताएं	70	116.71
	योग	**91**	**159.10**

1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

3.2 भारत में बनी विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश बोतल भराई (विदेशी मदिरा) नियम, 1969 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन की विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित होती है। इस प्रकार इंगित की गई तीव्रता का उल्लेख ढक्कनदार एवं मोहर बन्द बोतलों पर चिपकाए गए लेबिलों पर होना चाहिए। व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के निर्गमन हेतु न्यूनतम तीव्रता 25 डिग्री अण्डर प्रूफ अर्थात 42.2 डिग्री वाल्यूम / वाल्यूम, (आयतन की दृष्टि से),व्हिस्की, जिन के

लिए 35 डिग्री अण्डर प्रूफ अर्थात 37.1 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम और लो स्ट्रेन्थ रम के लिए 30 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम निर्धारित है। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर शुल्क ढक्कनदार और मोहरबन्द बोतलों में भरी गई अल्कोहल की प्रति लीटर की मात्रा पर वसूल किया जाता है।

(i) रामपुर स्थित एक आसवनी में देखा गया (जुलाई 1990) कि अप्रैल 1988 से मार्च 1990 की अवधि में मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्पिरिट की वास्तविक तीव्रता जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित की गई थी, व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के सम्बन्ध में 43 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम, सैनिक रम के सम्बन्ध में 42.9 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम जिन के सम्बन्ध में 37.2 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम तथा लो स्ट्रेन्थ रम के सम्बन्ध में 30.1 प्रतिशत थी (जैसा कि आसवनी के अभिलेखों से देखा गया), जो बोतलों पर लगाए गए लेबिलों पर इंगित तीव्रताओं से व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के सम्बन्ध में 0.2 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम एवं सैनिक व लो स्ट्रेन्थ रम के सम्बन्ध में 0.1 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम अधिक थी। हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रताओं के बजाय निर्धारित न्यूनतम तीव्रताओं (जैसा कि बोतलों पर इंगित थे) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण के फलस्वरूप उपर्युक्त अवधि में 10.59 लाख रुपए शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग एवं शासन को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(ii) लखनऊ स्थित एक आसवनी में देखा गया (जुलाई 1990) कि अप्रैल 1989 से मार्च 1990 की अवधि में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का 16,204.8 अल्कोहलिक लीटर उत्पादन हुआ। बोतलों पर व्हिस्की तथा रम के लिए 42.8 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम, जिन के लिए 42.8 तथा 37.1 प्रतिशत वाल्यूम/वाल्यूम और लो स्ट्रेन्थ के लिए 30 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम तीव्रता के लेबिल चिपकाए गए तथा इसी आधार पर आबकारी शुल्क वसूल किया गया, किन्तु मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्पिरिट की वास्तविक तीव्रता जैसा हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित की गई थी, व्हिस्की और रम के संबंध में 42.9 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम, जिन के संबंध में 42.9 तथा 37.2 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम और लो स्ट्रेन्थ रम के संबंध में 30.2 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम थी जो कि बोतलों पर लगाए गए लेबिलों पर इंगित तीव्रताओं से (जैसा कि आसवनी के अभिलेखों से देखा गया) 0.2 प्रतिशत वाल्यूम / वाल्यूम तक अधिक थी। हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रताओं के बजाय निर्धारित न्यूनतम तीव्रताओं (जैसा कि लेबिलों पर इंगित थे) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण के फलस्वरूप 6.48 लाख रुपए शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को अगस्त 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

3.3 निर्यात शुल्क की गलत दर लगाने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत आबकारी शुल्क लगाए जाने के उद्देश्य से मदिरा को या तो देशी मदिरा या विदेशी मदिरा में वर्गीकृत किया जाता है। आसवन प्रक्रिया से प्राप्त देशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर या तो सादी स्पिरिट अथवा आउटस्टिल लिकर होती है और विदेशी मदिरा की श्रेणी में आने वाली लिकर रेक्टीफाइड स्पिरिट होती है। वह स्पिरिट जिसकी सांद्रता 60 डिग्री ओ0 पी0 से कम की है अर्थात जिसमें अल्कोहल की आयतनिक मात्रा 91.27 प्रतिशत से कम है, सादी स्पिरिट कही जाती है तथा वह स्पिरिट जिसमें 60 डिग्री ओ0 पी0 और इससे अधिक की सांद्रता हो रेक्टीफाइड स्पिरिट के नाम से जानी जाती है। ये दोनों स्पिरिट, जिनमें आयतनिक सांद्रता 42.8 प्रतिशत से अधिक होती है, मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं होती। अत: 60 डिग्री ओ0 पी0 से कम सांद्रता की सादी स्पिरिट चाहे वह शीरा के आसवन से अथवा माल्ट, अंगूर और सेब के आसवन से प्राप्त की गई हो, आबकारी शुल्क के लिए देशी मदिरा की श्रेणी में आती है। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 1989 की अधिसूचना में देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के निर्यात पर क्रमश: 7 रुपए तथा 2.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर का शुल्क निर्धारित किया है।

गाजियाबाद स्थित एक आसवनी में देखा गया (सितम्बर 1990) कि 19 मार्च 1990 से 10 सितम्बर 1990 के मध्य 60 डिग्री ओ0 पी0 से कम (अल्कोहल की आयतनिक मात्रा 57.6 प्रतिशत से 85.2 प्रतिशत तक) सांद्रता की 1,67,728.8 अल्कोहलिक लीटर माल्ट सादी स्पिरिट का जो देशी मदिरा की श्रेणी में आती है, उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात किया गया। इसपर 7 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 2.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर से निर्यात शुल्क की गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप 7.55 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को नवम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

3.4 अर्थदण्ड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत एक लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता (ठेकेदार) से शुल्क तथा अनुबंधित मूल्य के भुगतान के पश्चात उपयुक्त समय के भीतर, स्पिरिट प्राप्त करने का हकदार होता है। जिलाधिकारी द्वारा आंके गए उपयुक्त समय के भीतर,ठेकेदार द्वारा स्पिरिट की आपूर्ति न किए

जाने की दशा में, जिलाधिकारी द्वारा स्पिरिट कहीं और से उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसमें सरकार को हुई किसी प्रकार की हानि अथवा खर्च ठेकेदार से वसूल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ स्पिरिट की उस मात्रा पर, जिसकी मांग की गई किन्तु आपूर्ति नहीं की जा सकी, आबकारी आयुक्त की मर्जी के अनुसार ठेकेदार 17.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर तक अर्थदण्ड का दायी होगा।

(i) बंधित गोदाम (देशी मदिरा), वाराणसी में देखा गया (अगस्त 1990) कि वर्ष 1989-90 में उपर्युक्त बंधित गोदाम को स्पिरिट की आपूर्ति किए जाने हेतु मझोला (जिला पीलीभीत) स्थित एक आसवनी (थोक विक्रेता) को ठेका दिया गया था। किन्तु आसवनी उपर्युक्त अवधि में लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं द्वारा मांगी गई 23,262 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट की उपयुक्त समय के अन्दर आपूर्ति करने में विफल रही। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा इतनी ही मात्रा में स्पिरिट की आपूर्ति का प्रबन्ध राज्य की अन्य आसवनियों से किया गया। स्पिरिट की आपूर्ति न किए जाने के लिए 4.07 लाख रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपणीय था जो चूककर्ता थोक विक्रेता पर लगाए जाने से रह गया।

मामला विभाग एवं सरकार को सितम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(ii) बंधित गोदाम (देशी मदिरा), सीतापुर की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (दिसम्बर 1990) कि उपरोक्त बंधित गोदाम को वर्ष 1990-91 के लिए स्पिरिट की आपूर्ति किए जाने हेतु बाजपुर (नैनीताल) स्थित एक आसवनी (थोक विक्रेता) को ठेका दिया गया था, किन्तु आसवनी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रताओं द्वारा माह अप्रैल तथा जून 1990 में बन्द पाउचों में मांगी गई क्रमशः 7,200 अल्कोहलिक लीटर तथा 6,480 अल्कोहलिक लीटर मसालेदार देशी स्पिरिट की उपयुक्त समय के अन्दर आपूर्ति करने में असफल रही। जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा इतनी ही मात्रा में बन्द पाउचों में स्पिरिट की आपूर्ति का प्रबन्ध राज्य की अन्य आसवनियों से किया गया। स्पिरिट की आपूर्ति न किए जाने के लिए 2.39 लाख रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड आरोपणीय था जो चूककर्ता थोक विक्रेता पर नहीं लगाया गया।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अप्रैल 1992)।

3.5 मार्गस्थ छीजन पर आबकारी शुल्क आरोपित न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के

अन्तर्गत प्रदेश के भीतर, बन्धपत्र के अधीन, लकड़ी के पीपों, धातु के पात्रों अथवा टैंकरों में परिवहित मानव उपभोग के योग्य मदिरा पर 0.5 प्रतिशत तक की वास्तविक मार्गस्थ छीजन की छूट (रिसन, वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से) स्वीकार्य है। परन्तु प्रदेश के भीतर, बन्द पाउचों एवं मोहर बन्द बोतलों में मानव उपभोग के योग्य मदिरा के परिवहन में मार्गस्थ छीजन पर नियमों में कोई छूट अनुमन्य नहीं है। स्वीकार्य छीजन की सीमा से अधिक छीजन की मात्रा पर पूर्ण आबकारी शुल्क की वसूली अपेक्षित है।

मझोला (जनपद पीलीभीत) स्थित एक आसवनी में लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर मदिरा के अधिक मार्गस्थ छीजन पर 1.87 लाख रुपए का आबकारी शुल्क आरोपित कर वसूल किया गया। कुछ अन्य मामलों का उल्लेख निम्नवत् है:

(i) राजा का सहसपुर (जनपद मुरादाबाद) स्थित एक आसवनी में देखा गया (फरवरी 1991) कि वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में बांदा, बाराबंकी, बदायूँ, फतेहपुर, मुरादाबाद , मैनपुरी तथा रायबरेली जनपदों में विभिन्न बंधित गोदामों को बन्ध पत्र के अधीन बन्द बोतलों में परिवहित (765 खेपों में)देशी स्पिरिट की 15,063·78 अल्कोहलिक लीटर छूट से अधिक मार्गस्थ छीजन पर विभाग द्वारा कोई शुल्क आरोपित कर वसूल नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 4.72 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई।

यह मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(ii) अक्टूबर 1990 में देखा गया कि बाजपुर आसवनी से विभिन्न बंधित गोदामों को बन्ध पत्र के अधीन बोतलों / पाउचों में भरी मसालेदार मदिरा के परेषणों में कुल 3020.96 अल्कोहलिक लीटर का मार्गस्थ छीजन हुआ। इस पर 33.33 रुपए प्रति अल्कोहल लीटर की दर से 1.01 लाख रुपए आबकारी अभिकर आसवक द्वारा देय था। परनतु इस धनराशि को आरोपित कर वसूल नहीं किया गया।

मामला शासन को दिसम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

3.6 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न किया जाना

29 मार्च 1985 से यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अनुसार जहां कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं

कर दिया जाता है, वहां जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उक्त संशोधन के प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात 29 मार्च 1985 के पूर्व देय होने वाले आबकारी राजस्व के संबंध में यदि आबकारी राजस्व का भुगतान संशोधन की तिथि के तीन माह के अन्दर नहीं किया जाता है तो उक्त दर पर ब्याज 29 मार्च 1985 से प्रभारित किया जाएगा।

मंसूरपुर (मुजफ्फर नगर) तथा सरदार नगर (गोरखपुर) स्थित दो आसवनियों में लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर 58,987 रुपए ब्याज आरोपित कर वसूल किया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

(i) वाराणसी में 9.17 लाख रुपए का आबकारी राजस्व, जो विभिन्न लाइसेंसधारकों द्वारा 29 मार्च 1985 से पूर्व देय था, 29 मार्च 1985 से लगभग 16 माह से लेकर 60 माह के विलम्ब से अदा किया गया। इन विलम्बित भुगतानों पर 7.16 लाख रुपए का ब्याज देय था, जो आरोपित कर वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग तथा सरकार को अक्टूबर 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अप्रैल 1992)।

(ii) नैनीताल में, दो अनुज्ञापियों द्वारा 29 मार्च 1985 के पूर्व देय 4.44 लाख रुपए का आबकारी राजस्व(अनुज्ञापन शुल्क एवं असेस्ड फीस)का भुगतान गणना की तिथि 29मार्च 1985 से लगभग 38 से 48 माह के विलम्ब से किया गया था। इन आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर 3.16 लाख रुपए ब्याज वसूली योग्य था, जो वसूल नहीं किया गया।

मामला शासन को मई 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(iii) जिला आबकारी कार्यालय, रायबरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1990) कि संशोधन की उक्त तिथि के पश्चात देय आबकारी राजस्व 4.13 लाख रुपए का भुगतान देय तिथि से 14 माह से 52 माह विलम्ब से किया गया। इसी प्रकार 29 मार्च 1985 के पूर्व देय आबकारी राजस्व (देशी मदिरा का अनुज्ञापन शुल्क) 8,661 रुपए का भुगतान 29 मार्च 1985 से संगणना करने पर 19 माह से 42 माह विलम्ब से किया गया। उक्त आबकारी राजस्व की कुल धनराशि 4.22 लाख रुपए के विलम्बित भुगतान पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 1.69 लाख रुपए ब्याज आरोपित कर वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग तथा शासन को जून 1990 तथा मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(iv) सरदार नगर (जनपद गोरखपुर) में स्थित एक आसवनी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1990) कि सितम्बर तथा दिसम्बर 1988 के मध्य उप-आबकारी आयुक्त, गोरखपुर ने बंधित गोदामों को बन्ध-पत्र के अधीन ले जाई गई, बोतलों में भरी मसालेदार देशी मदिरा की मार्गस्थ छीजन पर 3.78 लाख रुपए के आबकारी शुल्क की वसूली हेतु आदेश पारित किए थे। आबकारी शुल्क, उप-आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने की तिथि से देय था। किन्तु 3.78 लाख रुपए की धनराशि आसवनी द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर 1989 में, लगभग 12 से 14 महीनों के विलम्ब से जमा की गई। आबकारी राजस्व विलम्ब से जमा किए जाने हेतु 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 71,779 रुपए ब्याज भी आसवनी द्वारा देय था, परन्तु इसकी वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामला शासन को नवम्बर 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(v) जिला आबकारी कार्यालय, लखीमपुर खीरी की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990) कि 35,380 रुपए के आबकारी राजस्व का भुगतान जो मोहम्मदी तथा निंघासन तहसील के दो अनुज्ञापियों द्वारा 29 मार्च 1985 के पूर्व देय था, 29 मार्च 1985 से आगणित 57 से 60 माह विलम्ब से किया गया। इन आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर 31,653 रुपए ब्याज आरोपणीय था, जो आरोपित कर वसूल नहीं किया गया।

मामलों को विभाग एवं शासन को मई 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

अध्याय - 4

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 207 मामलों में 162.95 लाख रुपए के कर / फीस कम लगाए जाने अथवा न लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	यात्री-कर / अतिरिक्त यात्री-कर का कम लगाया जाना अथवा न लगाया जाना	115	101.81
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	34	13.70
3.	माल-कर का कम लगाया जाना	15	6.35
4.	अन्य मामले	43	41.09
	योग	**207**	**162.95**

'परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के क्रियाकलाप' पर की गई समीक्षा के निष्कर्षों तथा वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

4.2 परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली

4.2.1 प्रस्तावना

मोटर यान अधिनियम, 1939 जो बाद में मोटर यान अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, के नियमित करने वाले प्रावधानों का, निवारक जांच के माध्यम से, प्रवर्तन तथा संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 तथा उनके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत कर संग्रह पर प्रभावी नियंत्रण एवं करों के अपवंचन

के विरुद्ध चौकसी रखना, परिवहन विभाग के कार्यकलापों का आवश्यक अंग है। विनियामक कार्यकलापों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों की जांच जैसे (।) अपंजीकृत वाहनों का मार्गों पर परिचालन, (।।) नियमों में अपेक्षित वैध अनुज्ञापत्रों के बिना या उनके शर्तों के विरूद्ध वाहनों का परिचालन तथा (।।।) वैध चालक-लाइसेंस या स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना वाहनों का चलाया जाना सन्निहित हैं। करों के अपवंचन पर नियंत्रण के अन्तर्गत करों का भुगतान किए बिना वाहनों का परिचालन या जिन प्रयोजनों में उच्चतर कर का भुगतान अपेक्षित है, उनमें उनका, प्रयोग अथवा वाहनों को अपरिचालित घोषित किए जाने की अवधि में,उनके परिचालन की जांच शामिल है। इसके अतिरिक्त, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 / 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का प्रशमन-कार्य भी, इन मामलों के निस्तारण में शीघ्रता लाने के लिए दिसम्बर 1982 में जारी की गई शासकीय अधिसूचना के अन्तर्गत परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौपा गया था।

प्रत्येक प्रवर्तन दल के अन्तर्गत एक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक, तीन प्रवर्तन सिपाही आते हैं। प्रवर्तन दलों द्वारा अपने सम्भाग / उपसम्भाग के सड़को के किसी स्थान पर जांच कार्य का सम्पादन किया जाता है। अन्तर-सम्भागीय जांच भी इनके द्वारा की जाती है।

4.2.2 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

विनियामक तथा नियन्त्रक कार्यकलापों के साथ-साथ प्रवर्तन शाखा के निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अपराधों के प्रशमन के संबंध में जिन विद्यमान नियमों तथा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है, उनकी पर्याप्तता तथा प्रभावशीलता के अध्ययन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा एक समीक्षा की गई (फरवरी से जुलाई 1991)। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, 14 सम्भागीय कार्यालयों में से 6 (आगरा, देहरादून, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी), 44 उप-सम्भागीय कार्यालयों में से 10 (अलीगढ़, बांदा, बिजनौर, देवरिया, एटा, गाजियाबाद, जौनपुर, मथुरा, उरई और रायबरेली) तथा प्रदेश के 36 जांच चौकियों में से 10 द्वारा रखे गए 'मेमोरेन्डम आफ चेकिंग', परसनल बाण्ड, रसीद बहियाँ, अपराध-पंजिका, अभियोगों का विवरण आदि का अवधि 1987-88 से 1990-91 (जनवरी 1991 तक) जांच-परीक्षण किया गया।

4.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

वाहन-यातायात पर नियमों एवं विनियमों को प्रवर्तित करने तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का भी समस्त उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश पर है। मुख्यालय पर उप-परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा परिक्षेत्रीय स्तर पर 6 उप-परिवहन आयुक्तों

(बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पौड़ी तथा वाराणसी) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन मुख्यालय तथा सम्भागीय व उप-सम्भागीय कार्यालयों से सम्बद्ध प्रदेश में 67 प्रवर्तन दल हैं।

4.2.4 मुख्य अंश

(I) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान, एक वर्ष में लक्षित 252 दिन के विरूद्ध प्रवर्तन दलों के द्वारा जांच में कमी, 7 से लेकर 206 दिनों के बीच रही।

(II) बिना अनुज्ञापत्र के प्रक्रम वाहनों के परिचालन पर चालान किए जाने हेतु उठाए गए कदम अपर्याप्त रहे।

(III) अपरिचालित घोषित वाहनों की जांच के मानक(नार्म्स) निर्धारित नहीं किए गए।

(IV) निर्धारित सीमा से अधिक धुँआ उत्सर्जित करने वाले वाहनों का चालान न किए जाने के कारण 65,000 रुपए की राजस्व हानि हुई।

(V) शासकीय विज्ञप्ति के विलम्ब से प्रेषित किए जाने के फलस्वरूप 6.72 लाख रुपए के प्रशमन शुल्क की कम वसूली हुई।

4.2.5 (क) प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग द्वारा निष्पादित जांच की प्रतिशतता में उत्तरोत्तर गिरावट

प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों की जांच किए जाने का मानक या न्यूनतम प्रतिशतता राजस्व क्षरण के बचाव के निमित्त, निर्धारित नहीं किया गया। विभाग द्वारा मानक के अनिर्धारण का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 1991)। प्रदेश में वाहनों के जांच की मात्रा तथा प्रतिशतता में उत्तरोत्तर घटाव प्रदर्शित हुआ जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:

वर्ष	सड़क पर वाहनों की संख्या	जाँच किए गए वाहनों की संख्या	प्रतिशत
1987-88	12,56,236	2,13,914	17.03
1988-89	14,70,508	2,30,635	15.68
1989-90	17,13,809	2,55,774	14.92

(ख) प्रवर्तन दल द्वारा वाहनों की जांच में कमी

प्रत्येक प्रवर्तन दल द्वारा एक माह में 21 दिन वाहनों की जांच किया जाना वांछित है। परिवहन आयुक्त के आदेश (अगस्त 1987) के अन्तर्गत ऐसे जांच के परिणामें को, 'मेमोरण्डम आफ चेकिंग' में, उनके कार्यों के साप्ताहिक आकलन के निमित्त, संबंधित परिक्षेत्रों के उप-परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रतिदिन अभिलिखित किया जाना होता है।

(1) एक सम्भागीय कार्यालय (देहरादून) तथा 4 उप-सम्भागीय कार्यालयों (बांदा, बिजनौर, देवरिया तथा जौनपुर) में वाहनों की जांच एक माह में अपेक्षित 21 दिन अथवा एक वर्ष में 252 दिन से काफी कम हुई। वर्ष 1987-88 से 1990-91 के दौरान कमी 7 से लेकर 217 दिनों के बीच रही जैसा कि नीचे वर्णित है:

इकाई का नाम	वाहनों की जांच के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या (वर्ष में)	दिनों की संख्या जिसके दौरान जांच की गई (वर्ष में)				जांच के दिनों में कमी			
		1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1. सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून	252 दिन	279	287	245	146	-	-	7	106
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाँदा	तदैव	35	181	140	171	217	71	112	81
3. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बिजनौर	तदैव	231	275	236	202	21	-	16	50
4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देवरिया	तदैव	135	231	240	179	117	21	12	73
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जौनपुर	तदैव	209	260	74	46	43	-	178	206

सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा जांच में कमी का कारण स्टाफ कार का उपलब्ध न होना तथा प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति न किया जाना बताया गया।

(11) 4 सम्भागीय कार्यालयों (आगरा, गोरखपुर, लखनऊ तथा वाराणसी) तथा 6 उप-सम्भागीय कार्यालयों (अलीगढ, देवरिया, एटा, गाजियाबाद, गोरखपुर तथा उरई) के अभिलेखों की परीक्षण जांच में पाया गया कि उपर्युक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारियों / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा 'मेमोरेण्डम आफ चेकिंग' नहीं बनाया गया था। लेखापरीक्षा में त्रुटि को इंगित किए जाने पर (फरवरी 1991 तथा जुलाई 1991 के मध्य), विभाग ने बताया कि भविष्य में निर्देशों का पालन किया जाएगा, कथित 'मेमोरेण्डम' के अभाव में, की गई जांच की प्रमात्रा लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

4.2.6(1) बिना अनुज्ञापत्र के वाहनों का परिचालन

मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन वाहन के परिचालन के लिए अनुज्ञापत्र एक पूर्व आवश्यकता है। संयुक्त प्रान्त मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935 के अनुसार कर अधिकारी किराये पर परिचलित किसी परिवहन वाहन का मार्ग कर तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक साथ में अनुज्ञापत्र न हो।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत बिना अनुज्ञापत्र वाहन का परिचालन एक दण्डनीय अपराध है। मार्ग कर तथा यात्री-कर के मांग तथा वसूली रजिस्टरों का परमिट रजिस्टर से मिलान करने पर पाया गया कि 4 उप-सम्भागीय कार्यालयों (एटा, प्रतापगढ, रायबरेली तथा सुल्तानपुर) में 59 प्रक्रम वाहन जून 1988 से मई 1991 के दौरान विभिन्न अवधियों में बिना अनुज्ञापत्र के परिचालित थे। इनमें से 13 वाहनों का चालान अक्टूबर 1988 से मार्च 1991 की अवधि मे किया गया था। इन 13 मामलों में मार्गकर नियमित रुपए से वसूल किया जा रहा था, लेकिन विभाग द्वारा यात्री-कर का निर्धारण उन्हीं महीनों के लिए किया गया जिनमें वाहन बिना अनुज्ञापत्र के संचालित पाये गए थे। विभाग द्वारा उस अवधि के संबंध में, जिसमें प्रक्रम वाहन बिना अनुज्ञापत्र के संचालित पाया जाए, यात्री-कर निर्धारण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार के मानदण्ड के अभाव में राजस्व की सही हानि नहीं निकाली जा सकी। बिना अनुज्ञापत्र के संचालित शेष 46 वाहन प्रवर्तन दलों द्वारा जांच किए बिना रह गए।

फलस्वरूप शासन को परमिट फीस के रूप में निरन्तर हानि उठानी पड़ रही है। मार्ग की दूरी तथा वर्गीकरण जिसपर वाहनों का संचालन होता है या प्रभार तथा वसूले गए किराए के विवरण के अभाव में यात्री-कर की हानि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बिना अनुज्ञापत्र के वाहन के संचालन तथा यात्री-कर का समय से भुगतान न करने हेतु शास्ति भी आरोपणीय थी।

(11) वाहनों का बिना अनुज्ञापत्र परिचालन के अपराध के लिए चालान न किया जाना

सम्भागीय परिवहन कार्यालय वाराणसी, परिवहन जांच चौकी, तमकुही राज (देवरिया) तथा उप-सम्भाग देवरिया में सुसंगत अभिलेखों की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 11 वाहन जनवरी 1989 से सितम्बर 1990 की अवधि में सम्बद्ध सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (प्रवर्तन) द्वारा बिना वैध अनुज्ञापत्र के परिचालित पाए गए, परन्तु चेकिंग के दौरान बिना अनुज्ञापत्र के परिचालन के अपराध के लिए उनका चालान नहीं किया गया जिसके लिए 33,000 रुपए शमन शुल्क वसूल किया जा सकता था, यदि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अपराध का शमन किया गया होता।

4.2.7 असंचालित घोषित वाहनों की जाँच के लिए मानदण्ड का निर्धारण न किया जाना तथा उनकी जांच न किया जाना

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 के नियम 33 में प्रावधान है कि यदि वाहन स्वामी किसी अवधि के दौरान तीन माह से अधिक अवधि हेतु अपने वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो उसे पंजीयन प्रमाण पत्र और टैक्स-टोकन निर्धारित प्रपत्र 'एफ' में पूर्णकर आवेदन के साथ परिवहन अधिकारी को समर्पित कर देना चाहिए। प्रपत्र 'एफ' में पूरा पता या गैरेज का नाम जहाँ वाहन अप्रयोग की अवधि में रखा गया है अथवा रखा जाएगा, अंकित किए जाने का प्रावधान है। जनवरी 1983 तथा जून 1988 में परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी किए थे कि ऐसे मामलों में परिचालकों से उस स्थान को प्रपत्र 'एफ' में आवश्यक रूप से बताने के लिए कहा जाना चाहिए जहाँ उनके द्वारा वाहनों को रखा जायेगा और यह कि प्रवर्तन दल द्वारा ऐसे स्थानों पर जाकर निरीक्षण किया जाना चाहिएं। यदि ऐसा कोई वाहन घोषित स्थान पर नही पाया गया तो यह मान लिया जायगा कि वह मार्ग पर चल रहा था और उसके सम्बन्ध में कर की वसूली हेतु कदम उठाना होगा।

प्रपत्र 'एफ' में की गई घोषणा (जो वाहन स्वामियों को उस अवधिं हेतु जिसमें वाहन मार्ग पर संचालित नही रहते, वाहन, माल और यात्रियों पर कर के भुगतान से छूट के योग्य बनाती है) का सत्यापन प्रवर्तन शाखा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी देखा गया कि असंचालित वाहनों की जाँच का कोई मानदण्ड विभाग द्वारा निर्धारित नही किया गया था।

3 सम्भागों तथा 10 उप सम्भागों में 8,833 वाहन उनके स्वामियों द्वारा 1987-88 से 1990-91 की अवधि के दौरान तीन माह से अधिक अवधि के लिए असंचालित घोषित

किए गए थे जैसा कि निम्नतालिका में प्रदर्शित है:

इकाई का नाम	समर्पित वाहनों की संख्या				जांच की गई वाहनों की संख्या
	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	
1	2	3	4	5	6
1. सम्भागीय परिवहन कार्यालय देहरादून	356	419	437	461	-
2. सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गोरखपुर	261	191	199	151	-
3. सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी	888	888	900	883	14
4. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अलीगढ़	61	48	47	64	-
5. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बांदा	198	202	106	76	-
6. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर	-	202	147	276	209
7. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देवरिया	41	43	47	45	176
8. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, एटा	-	5	5	24	34
9. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद	27	35	57	98	-
10. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, जौनपुर	-	80	108	115	303
11. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मथुरा	52	59	75	58	-

1	2	3	4	5	6
12. सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, उरई	-	-	9	19	-
13 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रायबरेली	107	91	102	70	-
योग	**1,991**	**2,263**	**2,239**	**2,340**	**736**

पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं टैक्स-टोकेन वाहन स्वामियों द्वारा तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों को समर्पित कर दिए गए थे।

प्रवर्तन शाखा द्वारा कुल 736 वाहनों की जांच उनके रखे जाने के घोषित स्थान पर की गई। 610 समर्पित वाहनों की सूची (सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बाँदा - 582, उरई - 28) प्रवर्तन शाखा को नहीं भेजी गई तथा शेष 7,487 वाहनों की जांच कभी भी नहीं की गई।

समर्पित वाहनों के कथित जांच किए जाने के समर्थन में आवश्यक अभिलेख लेखापरीखा में प्रस्तुत नहीं किए गए (जून एवं जुलाई 1991)।

4.2.8 अधिक धुँआ उत्सर्जित करने वाले वाहनों का चालान न करने के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (1 जुलाई 1989 से प्रभावी) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटर यान को ऐसी दशा में विनिर्मित किया जाएगा और रखा जाएगा तथा इस प्रकार चलाया जाएगा कि उसमें से कोई धुँआ, दृश्यभाप, ग्रिट, चिनगारी, राख, सिंडर या तलीय पदार्थ न निकले। पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी या कोई मोटर वाहन निरीक्षक जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी मोटर यान से उत्सर्जित धुँए या कार्बन मोनोक्साइड जैसे प्रदूषण से पर्यावरण का प्रदूषण होने की सम्भावना है, जिससे सड़क के किसी अन्य प्रयोक्ता या जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा है, यान के चालक या उसके प्रभारी व्यक्ति को काले धुँए के मानक या अन्य किसी प्रदूषकों को मापने के लिए यान को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है, तो वह प्रथम अपराध क

लिए 1,000 रुपए जुर्माने से तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए 2,000 रुपए जुर्माने से, दण्डनीय होगा। धुँआ के मानक की माप किसी धुँआ मीटर द्वारा की जाएगी। इस कार्य के लिए विभाग द्वारा अप्रैल और दिसम्बर 1990 के मध्य धुँआ मीटर के 33 सेट क्रय किए गए थे।

(I) मेरठ सम्भाग में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद के नियंत्रण के अन्तर्गत परिवहन जांच चौकी, मोहन नगर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1991) कि यद्यपि अप्रैल से जून 1990 की अवधि में निर्धारित मानक से धुँआ उत्सर्जित करते हुए 65 वाहन मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा पाए गए थे, लेकिन उनका चालान नहीं किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप निधारित दर से जुर्माना न लगाए जाने के कारण 65,000 रुपए राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जून 1991) विभाग ने बताया कि अधिक धुँआ उत्सर्जन करने के संबंध में उच्च अधिकारियों के आदेश से वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे, जबकि परिवहन आयुक्त द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया नहीं पाया गया, न ही इस प्रकार की नोटिस जारी करने का अधिनियम में कोई प्रावधान है।

(II) देहरादून संभाग में अधिक धुँआ उत्सर्जित करने के अपराध में 46 वाहनों का चालान जुलाई 1990 और दिसम्बर 1990 से मार्च 1991 के माहों में किया गया था, परन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम अपराध के प्रत्येक मामले में, आरोपित जुर्माना निर्धारित दर 1,000 रुपए से कम था। इसके परिणाम स्वरूप 33,085 रुपए की राजस्व हानि हुई।

4.2.9 शासकीय अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

मोटर यान अधिनियम, 1939 की नई धारा 127 बी के अन्तर्गत (बाद में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 द्वारा प्रतिस्थापित) । अक्टूबर 1982 से प्रावधान किया गया था कि उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का शमन भी परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा तथा इतनी धनराशि हेतु किया जा सकता है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे। 21 दिसम्बर 1982 की अधिसूचना के अनुसार यात्रीकर अधिकारी / मालकर अधिकारी और इनसे ऊपर की श्रेणी के परिवहन विभाग के समस्त अधिकारियों को अधिसूचना में संलग्न सारिणी में निर्धारित दरों के अनुसार शमन शुल्क वसूलकर उनके द्वारा पता लगाए गए अपराधों का शमन करने हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया। जनवरी 1985 में शमन शुल्क की दरें बढाकर संशोधित की गई थी जिनका अक्टूबर 1986 में थोड़ा सा परिवर्धन किया गया

था। 8 नवम्बर 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कुछ अपराधों के शमन हेतु शुल्क की दरों में वृद्धि कर दिया जो 8 नवम्बर 1990 से प्रभावी था, जैसा कि उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारिणी में वर्णित था। बढी हुई दरों को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा 28 नवम्बर 1990 को (20 दिन विलम्ब के पश्चात) प्रसारित किया गया जो विभिन्न संबंधित अधिकारियों द्वारा 5 दिसम्बर 1990 और 19 जनवरी 1991 के मध्य (27 से 52 दिनों के विलम्ब के पश्चात) प्राप्त किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1982-83 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 में इंगित 9 से 16 दिनों के विलम्ब के पश्चात शासकीय अधिसूचना के प्राप्त किए जाने के फलस्वरूप राजस्व हानि पर विचार विमर्श के दौरान परिवहन विभाग ने लोक लेखा समिति को (समिति के वर्ष 1986-87 के लिए प्रतिवेदन का प्रस्तर 44) आश्वासन दिया था कि भविष्य में संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार की सूचनाएं तार द्वारा शीघ्र प्रेषित कर दी जाएंगी। राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1986-87 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.23 में भी, इस प्रकार की एक अन्य शासकीय अधिसूचना को विभाग के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब से प्राप्त किए जाने के कारण राजस्व हानि के विषय में उल्लेख किया गया था।

8 नवम्बर 1990 को जारी की गई शासकीय अधिसूचना को विभाग के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस प्रकार पुनः विलम्ब से प्राप्त किए जाने के कारण 8 नवम्बर 1990 तथा 19 जनवरी 1991 की अवधि में शमन शुल्क के रूप में 6.72 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई, जिस अवधि में, जांच परीक्षण के 7 संभागों तथा 12 उप संभागों में 1,008 वाहनों के चालान के संबंध में, पूर्व संशोधित निम्न दरों पर अपराधों का शमन किया जाता रहा जैसा कि परिशिष्ट में उल्लिखित है। इन मामलों में वसूली की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि एक बार अभियोगों का शमन करने के पश्चात पुनः उन्हें खोला नहीं जा सकता तथा इस प्रकार शमन शुल्क की पूर्व संशोधित दरों को गलत रूप से लगाए जाने के फलस्वरूप 6.72 लाख रुपए की उठाई गई हानि विभाग के लिए पूर्ण हानि है।

4.2.10 चालानों को समय पर न्यायालयों में प्रस्तुत न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988, संयुक्त प्रांत मोटर यान कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी आर्थिक अपराध यदि उनका शमन परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है तो निस्तारण के लिए न्यायालय भेजे जाते हैं।

अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत कोई न्यायालय किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा यदि ऐसे अपराध के घटित होने के 6 माह के अन्दर मामला न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। यात्रीकर अधीक्षक जो अपराधों को शमन करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, उनके द्वारा जांच चौकियों पर किए गए चालान के सभी मामले संबंधित सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के माध्यम से न्यायालय भेजे जाते हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा चालान के मामले सीधे न्यायालय भेजे जाते हैं।

(I) आगरा सम्भाग, परिवहन जांच चौकी, नौबतपुर (वाराणसी सम्भाग) और तमकुहीराज (देवरिया उप सम्भाग) में जून 1988 से अगस्त 1990 की अवधि में मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय विभिन्न अपराधों के लिए चालान के 15 मामले, 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर संबंधित न्यायालयों को नहीं भेजे गए (विलम्ब की अवधि 01 माह से 30 माह थी)। उत्तर में यह बताया गया कि मामलों की वर्तमान स्थिति सत्यापन के पश्चात् सूचित की जाएगी। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (अप्रैल 1992)।

(II) मेरठ सम्भाग में, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 5 जांच चौकियों (मोहन नगर, लोनी, साहिबाबाद, भोपुरा तथा महाराजपुर) में जांच चौकियों के प्रभारी यात्री-कर अधीक्षकों द्वारा अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1990 की अवधि में चालान के 164 मामले अपराधों के शमन हेतु अथवा उनको न्यायालय में भेजने हेतु जैसा भी हो, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद को भेजे गए थे।

फिर भी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद के अभिलेखों से यह देखा गया कि 13 मामलों की प्रविष्टि चालानों के प्राप्ति रजिस्टर में नहीं थी, अवशेष 151 मामलों को या तो शमन करने हेतु या उनको न्यायालय भेजने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभिलेख पर कोई कारण अंकित नहीं था।

4.2.11 शमन शुल्क की तुलना में न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना

जो मामले न्यायालय में निर्णय के लिए भेजे जाते हैं, वे ऐसे मामले हैं जिनमें अपराधी अपने अपराधों को परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा शमन कराने के लिए सहमत नहीं होते। न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम दरें, उन्हीं अपराधों के लिए निर्धारित शमन शुल्क की दरों से बहुत अधिक हैं। यह न्यायालय की स्वेच्छा पर निर्भर है कि वह कारावास के अतिरिक्त, अधिकतम निर्धारित धनराशि तक जुर्माना करे। मोटर यान अधिनियम, 1939 / 1988 के अन्तर्गत कुछ मामलों को छोड़कर

न्यायालय द्वारा आरोपणीय जुर्माने की न्यूनतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है । परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा मोटर यान अधिनियमों के अन्तर्गत् दण्डनीय अपराधों को शमन करके वसूले गए शमन शुल्क तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की धनराशि की स्थिति निम्नवत् है:

वर्ष	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की धनराशि (रुपए में)	विभागीय अधिकारियों द्वारा शमित चालानों की संख्या	वसूल की गई शमन शुल्क की धनराशि (रुपए में)
1986-87	26,337	33,52,888	57,258	1,48,60,695
1987-88	30,943	33,47,800	73,438	1,91,08,590
1988-89	40,156	38,19,315	80,723	2,20,32,399
1989-90	34,375	37,82,353	78,379	2,03,20,858
1990-91	27,937	28,03,782	44,631	1,02,57,808
31 दिसम्बर 1990 तक				
योग	**1,59,748**	**1,71,06,138**	**3,34,429**	**8,65,80,350**

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि आरोपित शमन शुल्क का औसत 259 रुपए प्रति मामला था जब कि न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने का औसत 107 रुपए प्रति मामला था, जो कि उसी प्रकार के अपराध के शमन हेतु वसूले गए शमन शुल्क से बहुत कम था । फलस्वरूप अधिनियम में न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माने की न्यूनतम सीमा के प्रावधान के अभाव में, निवारक रुप में शमन शुल्क की प्रभावशीलता एवं शक्ति समाप्त सी हो गई है । तुलना से दृष्टगत् होता है कि न्यायालय द्वारा आरोपणीय न्यूनतम जुर्माने के अभाव में एक ही प्रकार/प्रकृति के अपराध का शमन कराने के बजाय न्यायालय जाने में एक अपराधी को समय का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ आर्थिक अभ्यारोपण भी कम हो जाता है ।

पूर्वगामी टिप्पणियों को शासन को सितम्बर 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

4.3 यात्री-कर का न आरोपित किया जाना/कम आरोपित किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत यात्री द्वारा राज्य में प्रक्रम वाहन से की गई यात्रा के लिए परिचालक को दिए जाने वाले किराए पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर पर यात्री-कर आरोपणीय है । परिचालक द्वारा कर एकत्र कर राज्य सरकार को अदा किया जाता है । परिचालक द्वारा देय यात्री-कर की धनराशि के स्थान पर राज्य

सरकार कर के एक मुश्त भुगतान के लिए अपनी स्वीकृति या सहमति दे सकती है । नियमानुसार एक मुश्त भुगतान के लिए अनुबन्ध 3 माह का अथवा अनुज्ञा पत्र की असमाप्त अवधि के लिए इनमें जो भी कम हो, होता है तथा एक मुश्त धनराशि निर्धारित सूत्र पर आधारित होती है ।

क. **निर्धारित न्यूनतम किराया को न अपनाए जाने के कारण यात्री-कर की हानि**

मोटर यान अधिनियम, 1939/1988 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रक्रम वाहनों के संबंध में अधिकतम तथा न्यूनतम किराया निर्धारित करने का निर्देश दे सकती है । 9 जुलाई 1987 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण को "विशेष" तथा "क" श्रेणी, "ख" श्रेणी, तथा "ग" श्रेणी के मार्गों पर चलने वाले प्रक्रम वाहनों के संबंध में न्यूनतम किराए की दर क्रमशः 9.56, 10.43 तथा 12.50 पैसे प्रति यात्री प्रतिकिलोमीटर निर्धारित करने का निर्देश दिया (किराए की धनराशि जिसके अंतर्गत यात्री-कर, अतिरिक्त यात्री-कर और बीमा प्रभार भी है, 50 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांक की जानी थी) । राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इस न्यूनतम किराए की दर को 16 दिसम्बर 1987 से 5 माह बाद लागू किया । संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राज्य के सभी मार्ग विशेष मार्ग या "क" श्रेणी, "ख" श्रेणी अथवा "ग" श्रेणी के मार्ग वर्गीकृत किए गए हैं । विशेष तथा "क" श्रेणी के मार्गो के किराए की दर कम है तथा "ख" एवं "ग" श्रेणी के मार्गो की अपेक्षाकृत अधिक है । मार्ग, फेरा, बैठने या खड़े होने की क्षमता या किराए में कोई ऐसा परिवर्तन जिससे परिचालकों की प्राप्तियाँ बढ़ती है, अनुबन्ध को ऐसे परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी कर देता है तथा उसके पश्चात् अनुज्ञा पत्र के असमाप्त अवधि के लिए एक नए एकमुश्त अनुबन्ध का निष्पादन आवश्यक हो जाता है ।

(1) दिसम्बर 1987 से किराए की न्यूनतम दर लागू होने के बावजूद एटा उप सम्भाग में एटा-सकीट-मैनपुरी-मोरा स्टेशन मार्ग जो "बी' श्रेणी में वर्गीकृत था, के एटा से मोरा स्टेशन तथा मैनपुरी से एटा मार्ग भागों पर चलने वाले 35 वाहन के चालकों के साथ एकमुश्त अनुबन्ध यात्री कर के भुगतान हेतु अनुमोदित न्यूनतम किराए से कम किराए पर निष्पादित किया गया था जिसके कारण 16 दिसम्बर 1987 से मार्च 1990 की अवधि में 1.63 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई ।

यह प्रकरण विभाग/सरकार को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(ii) एटा उपसम्भाग में "ए" श्रेणी में वर्गीकृत गोरहा-कादरगंज मार्ग के सम्बन्ध में एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का आरोपण मार्ग की वास्तविक लम्बाई (47 किलोमीटर) हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर (9.56 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री) पर नहीं किया गया । यात्री-कर, अतिरिक्त यात्री-कर तथा बीमा प्रभार को सम्मिलित करते हुए किराए की धनराशि को 50 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांक करने के पश्चात् प्रभार्य न्यूनतम किराए की धनराशि 4.60 रुपए होती है, जबकि विभाग द्वारा केवल 4.20 रुपए के आधार पर कर का निर्धारण किया गया । इस चूक के फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से 31 अक्टूबर 1990 की अवधि में 87,615 रुपए कर कम निर्धारित हुआ ।

प्रकरण विभाग और सरकार को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(iii) वाराणसी सम्भाग में बाबतपुर-कुरु-कछवा बाजार तथा करियांव-चील्ह-मिर्जापुर मार्ग "बी" श्रेणी में वर्गीकृत थे, परन्तु सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने "ए" श्रेणी के मार्ग हेतु लागू किराए की न्यूनतम दर, जो "बी" श्रेणी के मार्ग हेतु लागू दर से निम्नतर है, उसके आधार पर 16 दिसम्बर 1987 के यात्री-कर का निर्धारण और वसूली प्रारम्भ कर दी । किन्तु मार्ग कर "बी" श्रेणी के मार्गो हेतु लागू दर पर ही, जो "ए" श्रेणी के मार्ग पर लागू कर की दर से निम्नतर है, निर्धारित किया जाता रहा । इसके फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से जून 1989 की अवधि के दौरान 24 प्रक्रम वाहनों के संबंध में 82,988 रुपए का यात्री-कर कम वसूल किया गया ।

यह मामला विभाग एवं सरकार को जुलाई 1989 तथा जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया;उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(iv) बरेली सम्भाग में, बिल्सी-कासगंज मार्ग (दूरी 62 किलोमीटर तथा 'ए'श्रेणी में वर्गीकृत) पर 10 प्रक्रम वाहन संचालित थे । मार्ग का न्यूनतम किराया गणना करने पर 5.90 रुपए आता है, परन्तु इसके विपरीत विभाग ने एकमुश्त अनुबन्ध के अंतर्गत केवल 5.55 रुपए किराए के आधार पर ही यात्री-कर की वसूली की । इससे 16 दिसम्बर 1987 से अगस्त 1990 की अवधि में 53,605 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अगस्त 1990) विभाग ने लेखा परीक्षा के बिन्दु को स्वीकार किया तथा बताया कि धनराशि की कमी वसूल कर ली जाएगी ।

यह प्रकरण सरकार को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

(V) सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि फरीदपुर से ढकनी होकर वीसलपुर मार्ग राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा "बी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था । विभाग ने एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत "ए" श्रेणी के मार्ग हेतु 16 दिसम्बर 1987 से निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर 3.30 रुपए किराया पर यात्री-कर का निर्धारण एवं वसूली किया न कि "बी" श्रेणी के मार्ग हेतु लागू 3.75 रुपए किराया के आधार पर । इस त्रुटि के फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से जून 1990 की अवधि में मार्ग पर संचालित 11 प्रक्रम वाहनों के संबंध में 51,390 रुपए यात्री-कर की हानि हुई ।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(VI) सम्भागीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1990) कि बादशाहपुर-मिर्जापुर मार्ग (ए श्रेणी में वर्गीकृत) जिसकी दूरी 76 किलोमीटर थी, का न्यूनतम किराया 7.20 रुपए प्रति यात्री था, परन्तु विभाग ने 7.20 रुपए प्रति यात्री किराया पर अनुबन्ध न करके 5.90 रुपए किराया पर अनुबन्ध किया । त्रुटिपूर्ण किराया अपनाए जाने के फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से 15 मई 1990 की अवधि में 1.43 लाख रुपए की यात्री-कर के रुप में हानि हुई ।

मामला विभाग तथा सरकार को मई 1990 एवं जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(VII) लखनऊ सम्भाग के 3 मार्गों (लखनऊ-माल-बसेहरी घाट-भरावन, शाहाबाद-बेहटा गोकुल, तथा लखनऊ-रेहटा-गहदों) के सम्बन्ध में, करों सहित सकल किराए को पूर्णांकित करने के प्रावधान का विचार न करते हुए, गलत न्यूनतम किराये पर यात्री-कर निर्धारित किया गया । इसके फलस्वरूप 16 दिसम्बर 1987 से 14 नवम्बर 1990 की अवधि हेतु 57,488 रुपए कर कम निर्धारित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1990) सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ ने बताया (अक्टूबर 1991) कि चूक का सुधार करते हुए 15 नवम्बर 1990 से संशोधित दर पर यात्री-कर की वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है । उस तिथि के पूर्व की अवधि के लिए बढ़े हुए कर के अंतर की देयता में से 5,865 रुपए वसूल हो चुके हैं । शेष धनराशि 51,623रुपए की वसूली की सूचना प्रतीक्षित थी (अप्रैल 1992) ।

मामला सरकार को जनवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

ख. शुद्ध किराए की गलत गणना से यात्री-कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उसके अन्तर्गत गठित नियमों के अधीन किसी प्रक्रम वाहन द्वारा एक मुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्री-कर का संगणन अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण मार्ग के लिए, जिस पर प्रक्रम वाहन चलता है, सामान्यतया देय कुल किराए पर निर्भर करता है । यात्रियों से वसूली गई वास्तविक धनराशि में से करों को घटाने के पश्चात् किराए की धनराशि यात्री-कर की संगणना हेतु अपनाई जाती है । मार्ग, फेरा, बैठने या खड़े होने की क्षमता या किराए में कोई ऐसा परिवर्तन जिससे परिचालकों की प्राप्तियां बढ़ती है, अनुबन्ध को ऐसे परिवर्तन की तिथि से निष्प्रभावी कर देता है तथा उसके पश्चात् अनुज्ञा-पत्र के असमाप्त अवधि के लिए एक मुश्त अनुबन्ध का निष्पादन आवश्यक हो जाता है ।

मेरठ सम्भाग में मेरठ-रोहटा-बड़ौत और मवाना-किठौर मार्गों के लिए वाहन स्वामियों ने करों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक किराया क्रमशः 7 रुपए एवं 4 रुपए की सारिणी कर अधिकारी को प्रस्तुत किया था । यात्री-कर, अतिरिक्त यात्री-कर एवं बीमा अधिभार को छोड़ने के पश्चात् शुद्ध किराया क्रमशः 5.90 रुपए एवं 3.30 रुपए आता था, परन्तु विभाग ने शुद्ध किराया केवल 5.73 रुपए एवं 3.21 रुपए की गलत गणना करके यात्री-कर की संगणना किया । फलस्वरूप अगस्त 1987 से अप्रैल 1989 की अवधि में 85,962 रुपए यात्री-कर का अवनिर्धारण हुआ ।

मामला विभाग को मई 1989 में और सरकार को मई 1989 में तथा अनुवर्ती अनुस्मारक द्वारा अगस्त 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

ग मार्ग के कुछ भाग के किराए के आधार पर संगणना किए जाने से यात्री-कर का कम आरोपण

झाँसी सम्भाग में, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने जून 1987 के संकल्प द्वारा उरई-कोंच मार्ग को क्योलानी तक, 13 किलोमीटर बढ़ा दिया । मार्ग पर संचालित 15 वाहनों के अनुज्ञा-पत्र धारकों में से 13 अनुज्ञा-पत्र धारकों ने अपने अनुज्ञा-पत्रों में बढ़े हुए भाग के संबंध में पृष्ठांकन दिनांक 18 जुलाई 1987 को करा दिया । कर का निर्धारण 3 प्रक्रम वाहनों के संबंध में किया गया परन्तु विभाग ने मार्ग के बढ़े हुए भाग पर शेष 10 वाहनों के संबंध में यात्री-कर का निर्धारण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 18 जुलाई 1987 से 18 जनवरी 1988 की अवधि में 32,700 रुपए राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 1988), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उरई (जालौन) ने बताया (अक्टूबर 1991) कि शेष 10 वाहन स्वामियों

द्वारा मार्ग के लिए प्रस्तुत समय-सारिणी का अनुमोदन संभागीय परिवहन प्राधिकरण झाँसी द्वारा जून 1988 में पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 19 जनवरी 1988 से किया गया तथा तदनुसार 10 वाहनों के संबंध में कर निर्धारण 19 जनवरी 1988 से संशोधित कर दिया गया है । पूर्व अवधि दिनांक 18 जुलाई 1987 से यात्री-कर का निर्धारण न किए जाने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा शासन को अप्रैल 1988 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

घ. यात्री-कर का निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी माह के सम्बन्ध में आरोपणीय सम्पूर्ण कर अथवा उसका कोई अंश कर-निर्धारण से छूट गया हो तो कर अधिकारी उस माह की समाप्ति से तीन वर्षों के भीतर, किसी भी समय, छूटे हुए कर का निर्धारण कर सकता है । यदि देय कर का समय से भुगतान नहीं किया गया है, तो कर अधिकारी, इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड भी आरोपित कर सकता है, जो कर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(i) लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1990) कि एटा उपसम्भाग में 28 प्रक्रम वाहनों के स्वामियों ने यात्री-कर के भुगतान के लिए एक मुश्त अनुबन्ध किया था । सभी वाहन एटा-बकरावाद-सकीट-मालावन-आसपुर-करतला-औंधा-मैनपुरी-पीलो-भनऊघाट-अलीगंज-मोला स्टेशन-बेवर मार्ग पर चल रहे थे, जो "बी" श्रेणी में अनुमोदित था । एक मुश्त समझौता करते समय उक्त मार्ग के तीन भागों (1) एटा-सकीट-बकरावाद (2) सकीट से मालावन (3) सकीट से करतला जिसकी कुल दूरी 45 किलोमीटर थी, के छूट जाने के कारण 16 दिसम्बर 1987 से दिसम्बर 1990 की अवधि में मार्ग पर देय न्यूनतम किराए के आधार पर, इन वाहनों द्वारा देय यात्री-कर 1.08 लाख रुपए वसूल नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त समय से कर का भुगतान न किए जाने के कारण 27,000 रुपए तक अर्थदण्ड भी आरोपणीय था, जो आरोपित नहीं किया गया ।

मामला विभाग तथा सरकार को फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(ii) रायबरेली उप सम्भाग में जनवरी 1990 और जून 1990 के मध्य रायबरेली-सलोन मार्ग पर 5 प्रक्रम वाहनों, रायबरेली-रसूलपुर मार्ग पर 4 प्रक्रम वाहनों और सलोन-सरौली एवं रायबरेली-परसेदपुर-ननौती मार्ग प्रत्येक पर एक को संचालन हेतु चार माह से अनधिक अवधियों

के लिए अस्थाई अनुज्ञा-पत्र सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी किए गए थे । यद्यपि किसी भी अनुज्ञापन धारकों ने अनुज्ञा-पत्रों को अभ्यर्पित नहीं किया तो भी उक्त मार्गों पर चलने वाले इन वाहनों द्वारा देय यात्री-कर 17 जनवरी 1990 से 31 जुलाई 1990 की विभिन्न अवधियों के दौरान निर्धारित किए जाने से रह गया, जिसके परिणामस्वरूप 39,212 रुपए की राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जुलाई 1990), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रायबरेली ने बताया कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,लखनऊ द्वारा अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों को जारी करने की सूचना उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुई थी । इस प्रकार सम्भागीय तथा उप सम्भागीय कार्यालयों में समन्वय के अभाव में उपर्युक्त यात्री-कर की धनराशि आरोपित कर वसूल नहीं की जा सकी ।

मामला सरकार को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

(ङ) अन्य प्रकरण

(i) यात्री-कर का निर्धारण न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72(2) में प्रावधान है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण किसी प्रक्रम वाहन को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करते समय, वाहन द्वारा लगाए जाने वाले दैनिक फेरों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या संबंधी शर्त लगा दें । अनुज्ञा-पत्र की शर्तों से किसी भी प्रकार के विचलन (डिवियेशन) हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक है ।

देहरादून सम्भाग में, प्रेम नगर-चकराता-ट्यूनी मार्ग पर 7 प्रक्रम वाहनों को अनुज्ञा-पत्र दिसम्बर 1989 में इस शर्त के साथ प्रदान किए गए थे कि प्रत्येक वाहन प्रतिदिन दो एक तरफा फेरे लगायेगा । 2 वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर भुगतान हेतु, बजाय दो एक तरफा फेरे के, एक एक-तरफा फेरे के आधार पर वे बिल प्रस्तुत किए गए थे तथा शेष 5 वाहनों पर यात्री-कर का निर्धारण वे बिल के अभाव में किया ही नहीं गया । इसके फलस्वरूप 70,003 रुपए कर का अवनिर्धारण/अनिर्धारण, जनवरी 1990 से मार्च 1990 की अवधि में रहा ।

सम्प्रेक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1990) कर अधिकारी ने बताया कि एक वाहन के लिए दो एक तरफा फेरे (400 किलोमीटर) प्रतिदिन पर्वतीय क्षेत्र में लगाना सम्भव नहीं था । उत्तर धार्य नहीं है क्योंकि दो फेरे प्रतिदिन की शर्त सम्भागीय परिवहन

प्राधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित की गई थी । फिर भी लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, विभाग ने 5 वाहन स्वामियों को मांग पत्र भेज दिया (मई 1990) ।

प्रकरण सरकार को जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992) ।

(II) ठेका गाड़ी पर यात्री-कर का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1940 के अन्तर्गत "निजी प्रक्रम वाहन" का अभिप्राय किसी ऐसे मोटर वाहन से है जो 9 से अधिक व्यक्तियों को (चालक को छोड़कर) लाने और ले जाने के लिए निर्मित किया गया हो अथवा उसके अनुकूल बनाया गया हो और केवल स्वामी द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उसके वाणिज्य अथवा व्यापार या निजी प्रयोजनों के संबंध में प्रयोग किया जाता हो, किन्तु किराए अथवा प्रतिफल (रिवार्ड) के लिए प्रयोग न किया जाता हो । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में निजी प्रक्रम वाहन पर यात्री-कर का लगाया जाना अपेक्षित नहीं है । किन्तु यदि ऐसे वाहन किराए अथवा प्रतिफल के लिए चलाए जाते हैं तो यात्री-कर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यात्रियों द्वारा प्रदत्त अथवा देय किराए के 16 प्रतिशत के समतुल्य दर पर आरोपणीय हो जाता है ।

हरदोई उपसम्भाग में लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1990) कि 9 से अधिक व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) को लाने व ले जाने के अनुकूल बनाए गए एक वाहन का पंजीकरण एक व्यक्ति के नाम मिनी बस के रुप में 27 जुलाई 1988 को किया गया । यह देखा गया कि वाहन स्वामी के शपथ-पत्र दिनांक 27 जुलाई 1988 के अनुसार वाहन का प्रयोग ठेके पर सवारियां ढोने हेतु किया जा रहा था तथा वाहन का मार्ग कर संयुक्त प्रांत मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद IV के अन्तर्गत किराया अथवा प्रतिफल हेतु चलने वाले परिवहन वाहनों के लिए नियत दरों से निर्धारित करके वसूला जा रहा था । चूँकि वाहन का स्वामित्व एक व्यक्ति का था और किराए पर चलाया जा रहा था, वह यात्री-कर के भुगतान का दायी था । किन्तु इस वाहन के संबंध में यात्री-कर का न तो भुगतान किया गया अथवा उसका आरोपण ही किया गया । 27 जुलाई 1988 से 27 दिसम्बर 1989 तक की अवधि हेतु आरोपणीय यात्री-कर 35,251 रुपए हुआ ।

मामला विभाग एवं सरकार को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(iii) अर्थदण्ड न लगाए जाने से हानि

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाए गए प्रत्येक यात्री पर यात्री-कर निर्धारित दर से आरोपणीय है । इस प्रयोजन हेतु प्रक्रम वाहन के स्वामियों से अपेक्षित है कि वे वाहनों द्वारा लगाए गए प्रत्येक फेरे हेतु वे-बिल बनाकर रखे और कर-अधिकारी को सप्ताह की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर एक साप्ताहिक परिलेख और माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर उस माह से सम्बन्धित एक मासिक परिलेख प्रस्तुत करें । यदि परिचालक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई परिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कर अधिकारी प्रत्येक प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में प्रत्येक दिन के लिए जहां तक चूक हो रही है, 10 रुपए से अनधिक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में कुल अर्थदण्ड एक सौ रुपए से अधिक नहीं होगा ।

रायबरेली उप सम्भाग में 34 वाहन (रायबरेली-ऊँचाहार-सलवन मार्ग के 13 वाहन, रायबरेली-जगतपुर-रसूलपुर मार्ग के 10 वाहन, रायबरेली-ननौती मार्ग के 6 वाहन तथा रायबरेली-मोहनगंज-अमावां मार्ग के 5 वाहन) वैध अनुज्ञा-पत्रों पर संचालित हो रहे थे । परिचालकों ने न एक मुश्त समझौता किया और न उन्होंने यात्री-कर निर्धारण हेतु वे-बिल ही प्रस्तुत किया । विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 8 (1) के अन्तर्गत नवम्बर 1988 से जून 1990 तक की अवधि हेतु यात्री-कर वसूल किया गया फिर भी विभाग ने परिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के लिए अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया । परिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के लिए अर्थदण्ड के रुप में अवधि नवम्बर 1988 से जून 1990 तक 68,000 रुपए की हानि हुई ।

मामला विभाग तथा शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

(iv) यात्री-कर के बकाए की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अन्तर्गत यात्री-कर का बकाया अथवा आरोपित अर्थदण्ड भू-राजस्व के बकाए के रुप में वसूली योग्य होगा और प्रक्रम वाहन पर जिसके लिए यह देय है तथा इसके उपसाधनों पर भी कर पहले प्रभार्य होगा ।

वाराणसी सम्भाग में, जनवरी 1987 से जून 1989 तक की अवधि के लिए 70,627 रुपए के यात्री-कर के बकाए के बावजूद वसूली प्रमाण-पत्र द्वारा यात्री-कर के बकाए की वसूली का कार्य नहीं किया गया । अपितु प्रक्रम वाहन को सार्वजनिक भारवाहन के रुप में सितम्बर

1989 में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी गयी ।

विभाग तथा सरकार को यह मामला सितम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

4.4 वाहनों पर मार्ग कर तथा माल कर का निर्धारण न किया जाना

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 के नियम 33 के अन्तर्गत जब किसी मोटर गाड़ी के स्वामी को तीन माह से अधिक की अवधि के लिए अपनी मोटर गाड़ी का उपयोग न करना हो, तब गाड़ी के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टैक्सटोकन कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किसी वाहन में ले जाने वाले राज्य विद्युत परिषद् के माल पर माल कर के आरोपण से छूट भी जून 1977 में वापस ले ली गई ।

(क) शाहजहांपुर उपसम्भाग में,विभागीय अभिलेखानुसार चार सार्वजनिक वाहन एवं एक यात्री वाहन के वाहन स्वामियों ने अप्रैल 1989 और नवम्बर 1990 के बीच विभिन्न अवधियों में न ही मार्ग-कर एवं माल-कर अदा किया और न ही विभाग ने करों का निर्धारण एवं वसूली की । उक्त अवधि में वाहन स्वामियों द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टैक्स टोकन अभ्यर्पित नहीं किए गए थे । आरोपणीय मार्ग-कर और माल-कर क्रमशः 34,804 रुपए एवं 31,104 रुपए हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 1990) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों में मांग पत्र जारी करके वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी । कर की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992) ।

यह मामला विभाग एवं सरकार को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं(अप्रैल 1992) ।

(ख) राज्य विद्युत परिषद् के स्वामित्व वाले वाहनों पर यात्री-कर एवं माल-कर का निर्धारण न किया जाना

मिर्जापुर उपसम्भाग में राज्य विद्युत परिषद् की चार वाहनों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा टैक्सटोकन समर्पित नहीं किए गए थे । कर निर्धारण अधिकारी वर्ष 1987 से

1989 तक तीन वर्षो का मार्ग कर 28,463 रुपए तथा जून 1977 से दिसम्बर 1989 तक का माल कर 94,853 रुपए का निर्धारण एवं वसूली करने में असफल रहे, परिणामस्वरूप 1.23 लाख रुपए के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

मामला विभाग एवं सरकार को अप्रैल 1990 और पुनः जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

4.5 सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों पर करों का निर्धारण न किया जाना

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सरकारी विभाग के स्वामित्व वाले तथा मात्र उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रयुक्त मोटर वाहन मार्ग कर तथा मालकर के भुगतान से मुक्त हैं । किन्तु यह छूट सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों को अनुमन्य नहीं है ।

रायबरेली उपसम्भाग में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, रायबरेली के स्वामित्व वाला एक निजी भार वाहन (भार क्षमता 100 कुन्तल) दिनांक 1 जुलाई 1986 को पंजीकृत किया गया । उक्त वाहन का मार्ग-कर 31 दिसम्बर 1986 तक जमा था । परन्तु जनवरी 1987 से जून 1990 तक मार्ग कर 14,757 रुपए तथा जुलाई 1986 से जून 1990 तक मालकर 16,560 रुपए आरोपित नहीं किए गए यद्यपि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एवं टैक्सटोकन नहीं किए गए थे जिसके फलस्वरूप 31,317 रुपए का कर नहीं लगाया गया ।

मामला विभाग और सरकार को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

4.6 ट्रैक्टर ट्रेलरों के लिए परमिट जारी न करने से हानि

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मोटर वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर यात्री या माल ले जाने के उद्देश्य से वाहन का न तो प्रयोग करेगा और न ही प्रयोग करने की अनुमति देगा, जब तक कि अधिनियम के अनुसार वाहन पंजीकृत न किया गया हो और निर्धारित फीस के भुगतान पर किसी सम्भागीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए परमिट से आच्छादित न हो । अधिनियम में 3000 किलोग्राम से अनधिक वाहन के सकल भार वाले (ग्रास वेहिकिल वेट) माल वाहन को परमिट प्राप्त करने से छूट दिए जाने का प्रावधान है ।

वाराणसी सम्भाग में 1989-90 के दौरान 3000 किलोग्राम से अधिक भार वाले 70 ट्रैक्टर-ट्रेलर (माल-वाहन) पंजीकृत किए गए थे । इनमें से 69 ट्रेलर के स्वामियों को बिना अस्थाई परमिट प्राप्त किए जो निर्धारित फीस का भुगतान करके प्राप्त किया जाता, ट्रैक्टर ट्रेलरों को चलाए जाने के लिए अनुमति दे दी गई, यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ट्रेलरों को परमिट प्राप्त करने से छूट नहीं थी । इस चूक के परिणामस्वरूप 65,550 रुपए (चार महीनों के सीमित समय के लिए अस्थायी परमिटों के लिए वसूली योग्य फीस के आधार पर आगणित) की परमिट फीस वसूल किए जाने से रह गई ।

मामले को विभाग एवं शासन को सितम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

4.7 परिवहन गाड़ियों को अनुज्ञा-पत्र निर्गत न करने से हानि

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66(1)के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान में परिवहन वाहन के परिचालन हेतु अनुज्ञा-पत्र उसकी अनिवार्यता है । उक्त अधिनियम की धारा 192 के अन्तर्गत जो भी किसी वाहन को चलाएगा या उसका उपयोग कराएगा या किया जाने देगा, वह प्रथम अपराध के जुर्माने से, जो 2,000 रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो 6 मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो 3,000 रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

रायबरेली उप-सम्भाग में निजी परिचालकों के 12 वाहनों का जिन्हें कोई अनुज्ञा-पत्र निर्गत नहीं किया गया था जनवरी 1988 से जून 1990 तक की अवधि हेतु (बीच की कुछ थोड़ी अवधि को छोड़कर) रायबरेली स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ स्टाफ के सदस्यों को उनके निवास स्थान से फैक्ट्री तक ले जाने व लाने हेतु अनुबन्ध था । यद्यपि परिचालकों को उक्त उपक्रम द्वारा अनुबन्ध की धनराशि भुगतान की गई तथा उस पर उक्त अवधि के लिए देय यात्री-कर विभाग द्वारा वसूला गया, विभाग ने उपर्युक्त अवधि के लिए परिचालकों द्वारा देय अनुज्ञा-पत्र फीस 79,200 रुपए के विरुद्ध केवल 17,400 रुपए की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप 61,750 रुपए शुल्क की हानि हुई ।

विभाग ने बिना परमिट चल रहे वाहनों की चेकिंग करने एवं चालान करने के लिए कोई कार्यवाई प्रारम्भ नहीं की जबकि उनके पास सूचना थी । चेकिंग तथा चालान के अभाव में अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित नहीं की जा सकी ।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

अध्याय - 5

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 की अवधि के दौरान सम्पन्न लेखापरीक्षा में जिला निबन्धकों तथा उप निबन्धकों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण में 321 मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के 175.75 लाख रुपए कम लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित मदों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	सम्पत्तियों के कम मूल्याकन के कारण स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम लगाया जाना	233	77.48
2.	प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना	66	29.14
3.	अन्य मामले	22	69.13
	योग	**321**	**175.75**

वर्ष 1990-91 तथा विगत वर्षों में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले आगामी प्रस्तरों में दिए गए हैं।

5.2 सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

अचल सम्पत्तियों के विलेख पत्रों के संदर्भ में, जिनपर शुल्क प्रभार्य है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि विलेख पत्रमें स्टाम्प शुल्क को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों को सही ढंग से प्रदर्शित किया जाए। समय समय पर यथा संशोधन उत्तर प्रदेश स्टाम्प, नियमावली, 1942 के अन्तर्गत उस अचल सम्पत्ति का कम से कम बाजार मूल्य जो किसी हस्तान्तरण, उपहार, व्यवस्थापन, पंचाट या न्यास विलेख का विषय वस्तु है, किसी भवन के मामले में उसका वास्तविक अथवा निर्धारित वार्षिक किराए का

25 गुना, जो उच्चतर हो, माना जाएगा। किसी स्थानीय निकाय के सीमान्तर्गत कृषि इतर भूमि से संबंधित हस्तान्तरण विलेख के मामले में भूमि का मूल्य विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाले गए मूल्य के बराबर माना जाएगा। निबन्धन प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के भूमि के औसत मूल्य का एक द्विवार्षिक विवरण उन्हें उपलब्ध कराएगा।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि यदि निबन्धन अधिकारी यह समझता है कि सम्पत्तियों का उचित मूल्याकन बिना स्थानीय पूछ ताँछ किए अथवा बाह्य साक्ष्य के बिना सम्भव नहीं है तो ऐसे मामलों में विलेख का निबन्धन किए जाने के उपरान्त वह वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारण हेतु उसे जिलाधिकारी को सन्दर्भित कर देगा ।

लेखापरीक्षा में देखे गए अधिकांश मामलों मे आवासीय या व्यवसायिक भू-खण्डों को कृषि भूमि मानने के कारण अथवा विलेख पत्र में अभिव्यक्त किया गया मूल्य, जो जिलाधिकारी द्वारा आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्डों हेतु निर्धारित प्रचलित बाजार मूल्य से बहुत कम था, अपनाये जाने से भूखण्डों का अवमूल्यांकन किया गया था, फिर भी निबन्धन अधिकारियों द्वारा सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन हेतु, जैसा कि नियमावली में अपेक्षित है, कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार 11 मामले, जिनमें 14.24 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया था, नीचे दिए गए हैं:

क(I) सब-रजिस्ट्रार, देवरिया के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1989) कि फरवरी 1988 से मई 1988 की अवधि के अन्तर्गत आवासीय मकानों के निर्माण हेतु भूमि के विक्रय संबंधित ग्यारह हस्तान्तरण लेख पत्र निबन्धित किए गए। विलेख में कलेक्टर द्वारा निर्धारित (जनवरी 1988) क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्यों से कम मूल्य लगाए गए। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर की गई गणना के आधार पर भूमियों का मूल्यांकन 36 लाख रुपए आता था, परन्तु निबन्धन अधिकारी द्वारा भूमि का मूल्य 2.98 लाख रुपए अपनाया गया। सम्पत्तियों के 33.02 लाख रुपए कम मूल्यांकन के फलस्वरूप 3.76 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ।

मामले की सूचना विभाग/शासन को अक्टूबर 1989 तथा पुन: फरवरी 1991 में दी गई थी; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(II) उप-निबन्धक दुद्धी (जनपद सोनभद्र) के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1989) कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (13,302.43 वर्ग मीटर) भूमि से सम्बन्धित हस्तान्तरण विलेख में (अगस्त 1988 में पंजीकृत) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों

पर की गई गणना के अनुसार 21.48 लाख रुपए के विपरीत पंजीकरण अधिकारी ने भूमि का मूल्य 29,250 रुपए लगाया। कम मूल्यांकन के अपनाए जाने के फलस्वरूप 2.65 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 1989 तथा पुनः फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(iii) उप निबन्धक मसूरी (जनपद देहरादून) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अप्रैल 1990) कि 1,750.37 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित तीन हस्तान्तरण विलेखों में (मार्च 1990 में पंजीकृत) जिलाधिकारी द्वारा निधारित दर पर की गई गणना के अनुसार भूमि की कीमत 26.25 लाख रुपए के विपरीत पंजीकरण अधिकारी ने सम्पूर्ण सम्पत्ति की कीमत 9.68 लाख रुपए लगाया। कम मूल्यांकन के अपनाए जाने के फलस्वरूप 2.40 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 1990 तथा पुनः फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(iv) उप निबन्धक, बिंदकी (जनपद फतेहपुर) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (सितम्बर 1989) कि ग्राम गोधरौली, के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित तथा मार्च 1989 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत परगना मजिस्ट्रेट द्वारा कृषि इतर घोषित 15,624 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित तीन लेख पत्र जून 1989 में पंजीकृत किए गए। पंजीयन अधिकारी द्वारा भूमि को कृषि भूमि मानते हुए विलेख में उल्लिखित मूल्य 4.83 लाख रुपए पर 60,315 रुपए स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा गोधरौली गांव स्थित भूमि के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई थी। उसी क्षेत्र के अगस्त 1988 में निष्पादित लेख पत्रों के आधार पर 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित बाजार दर से कृषि इतर भूमि का मूल्यांकन 23.44 लाख रुपए हुआ। भूमि के मूल्यांकन निर्धारण करने में गलत दर के लागू किए जाने के फलस्वरूप 2.33 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा में इसे सितम्बर 1989 में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1991) कि 20,120 रुपए स्टाम्प शुल्क (शास्ति सहित) और लगाकर सितम्बर 1990 में वसूल कर लिया गया। विभाग का उत्तर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मान्य नहीं है कि भूमि का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर पर नहीं किया गया।

यह मामला सरकार को मई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

(V) उप निबन्धक बिल्हौर (जनपद कानपुर देहात) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1990) कि जून 1989 में पंजीकृत 27,400 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित एक हस्तान्तरण प्रपत्र के मामले में जिलाधिकारी द्वारा दिसम्बर 1988 में निर्धारित दरों पर की गई गणना के अनुसार 7.60 लाख रुपए के विपरीत पंजीकरण अधिकारी ने भूमि का मूल्यांकन 1.41 लाख रुपए किया। कम मूल्यांकन के अपनाए जाने के फलस्वरूप 77,313 रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 1990 तथा जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(VI) उरई (जालौन) में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत स्थित कृषि इतर भूमि के लिए जिलाधिकारी ने 100 रुपए से 150 रुपए तक प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित की थी (अगस्त 1986)। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका की सीमा में स्थित 1011.75 वर्ग मीटर तक भूमि को कृषि इतर भूमि माना जाना था। नगर पालिका सीमा के अन्दर ग्राम (मौजा) लोहरिया में स्थित पांच भूखण्ड जिनकी कुल मिलाकर माप 4583.23 वर्ग मीटर थी, पांच विभिन्न क्रेताओं को एक ही संयुक्त हस्तान्तरण विलेख द्वारा कुल 21,000 रुपए मात्र के प्रतिफल पर बेचे गए (मार्च 1988), जिसपर पंजीयन अधिकारी द्वारा इसे कृषि भूमि मानते हुए स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया था। चूंकि प्रत्येक क्रेता की भूमि का हिस्सा 1011.75 वर्ग मीटर (25 डिसमल) से कम था अतः अधिकारी के उपर्युक्त निर्देश के अनुसार यह कृषि इतर प्रयोजन हेतु था। नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत कृषि इतर भूमि के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर इन भूखण्डों का कुल प्रतिफल 4.53 लाख रुपए आता था। कम मूल्यांकन अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप 49,680 रुपए स्टाम्प शुल्क तथा 30 रुपए का निबन्धन शुल्क कम लगाया गया।

मामला विभाग को दिसम्बर 1988 में और सरकार को मई 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(VII) उप निबन्धक, हैदरगढ़ (जनपद बाराबंकी) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1989) कि 9,442 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित एक हस्तान्तरण विलेख में (जनवरी 1989 में निष्पादित) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर की गई गणना के अनुसार 3.78 लाख रुपए के विपरीत पंजीकरण अधिकारी ने भूमि का मूल्य 12,500 रुपए अपनाया। कम मूल्यांकन के फलस्वरूप 45,685 रुपए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस 115 रुपए कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 1990 तथा पुनः फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(VIII) जिला निबन्धक, गोंडा के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1989) कि अप्रैल 1989 में निष्पादित एक दानपत्र के मामले में 1173 वर्गमीटर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आवासीय भूमि दर्ज थी, आवासीय भूमि के बजाए कृषि भूमि का मूल्य अपनाते हुए स्टाम्प शुल्क गलत रूप से आरोपित किया गया था। जिलाधिकारी द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिए सितम्बर 1988 में निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्य 3.03 लाख रुपए के बजाए 8,700 रुपए अपनाया गया। इसके फलस्वरूप 36,750 रुपए स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को सितम्बर 1989 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(IX) जिला निबन्धक, इलाहाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1989) कि 18.47 हेक्टेयर कृषि भूमि से सम्बन्धित एक हस्तान्तरण विलेख के मामले में (जून 1988 में पंजीकृत) जिलाधिकारी द्वारा जनवरी 1987 में निर्धारित दरों पर की गई गणना के अनुसार 6.32 लाख रुपए के विपरीत पंजीकरण अधिकारी ने भूमि का मूल्य 2.57 लाख रुपए लगाया। कम मूल्यांकन के अपनाये जाने के फलस्वरूप 35,683 रुपए स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को मार्च 1989 तथा जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(X) उप निबन्धक, खलीलाबाद (जनपद बस्ती) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1990) कि मार्च 1989 में निष्पादित भूमि के हस्तान्तरण विलेखों में स्टाम्प शुल्क, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर परिगणित मूल्य 4.76 लाख रुपए के विपरीत विलेख में दर्शाए गए प्रतिफल 1.98 लाख रुपए पर लगाया गया। कम मूल्यांकन अपनाए जाने के कारण 34,750 रुपए स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया।

मामला विभाग को तथा सरकार को फरवरी 1990 तथा पुनः फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(XI) बांसडीह (जनपद बलिया) में 286 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित 18 विलेखों में (दिसम्बर 1986 से दिसम्बर 1987 के बीच पंजीकृत) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर की गई गणना के अनुसार 5 लाख रुपए के विपरीत निबन्धन अधिकारियों ने भूमि मूल्यांकन 1.78 रुपए अपनाया। कम मूल्यांकन अपनाए जाने के फलस्वरूप 30,598 रुपए स्टाम्प शुल्क और

1040 रुपए पंजीकरण शुल्क कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग को जून 1988 में तथा सरकार को जून 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(ख) आवासीय एवं व्यवसायिक भवन का अवमूल्यांकन

उप निबन्धक, मसूरी (जनपद देहरादून) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1990) कि 685 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित 22 कमरों वाले एक भवन का जिसके साथ में 1015 वर्ग मीटर खाली भूमि एक विक्रय विलेख द्वारा (मई 1989 में पंजीकृत) 9 लाख रुपए के कुल प्रतिफल पर विक्रय किया गया था। निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार उप महानिरीक्षक (निबंधन) द्वारा निर्धारित (सितम्बर 1990) 10,000 रुपए प्रतिमाह अनुमानित किराया के आधार पर भवन सम्पत्ति का मूल्य 30 लाख रुपए बनता था क्यों कि नगरपालिका द्वारा भवन का गृह कर निर्धारित नहीं था। इस प्रकार सम्पत्ति का मूल्यांकन 21 लाख रुपए कम निर्धारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 3.05 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क का कम कराधान हुआ।

मामला विभाग तथा सरकार को अगस्त 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

अध्याय - 6
भू - राजस्व

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 167 मामलों में 148.29 लाख रुपए के भू-राजस्व का न लगाया जाना / कम लगाया जाना, संग्रह प्रभारों की कम वसूली तथा जोत बहियों के प्रदान किए जाने हेतु देय फीस की वसूली न करना आदि का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	भू-राजस्व का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	21	27.17
2.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली	56	15.88
3.	जोत बहियों के प्रदान किए जाने हेतु देय फीस की वसूली न करना	18	7.43
4.	अन्य अनियमितताएं	72	97.81
	योग	167	148.29

वर्ष 1990-91 तथा पूर्व वर्षों के दौरान प्रकाश में आए कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किए गए हैं।

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 के अनुसार राजस्व अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य सरकारों, अर्द्धसरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों से वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उनमें सन्निहित / निर्दिष्ट देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करें। इस प्रकार की गई सेवाओं के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किए गए देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूली योग्य हो जाते हैं। राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र दिनांक 30 जून 1975 में निर्देशित किया था कि वसूली प्रमाण पत्रों में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि संग्रह प्रभार बकायेदारों द्वारा वहन किया जाना है, अथवा उनको जारी करने वाले विभाग या निकाय द्वारा। वसूली प्रमाण पत्र में ऐसे किसी संकेत के अभाव की दशा में परिषद् के निर्देशानुसार राजस्व

प्राधिकारियों द्वारा संग्रह प्रभार घटाने के बाद, केवल निवल धनराशि का भुगतान सम्बन्धित विभाग / निकाय को किया जाना चाहिए।

(I) तीन तहसीलों मड़िहान (जनपद-मिर्जापुर), ज्ञानपुर (जनपद-वाराणसी) तथा मछलीशहर (जनपद-जौनपुर) तथा एक भू-राजस्व (संग्रह) कार्यालय (जनपद-पौड़ी गढ़वाल) में 1988-89 तथा 1989-90 वर्षों के दौरान अर्द्धशासकीय संगठनों तथा स्थानीय निकायों की ओर से देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में तो की गई, परन्तु राजस्व प्राधिकारियों द्वारा बिना संग्रह प्रभार काटे ही वसूल की गई धनराशि का भुगतान उन संगठनों / निकायों को कर दिया गया। चूक के परिणाम स्वरूप 1.99 लाख रुपए राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (मई तथा अक्टूबर 1990 के मध्य) लेखापरीक्षा से सम्बद्ध इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि प्रश्नगत राशियों की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उक्त मामले मई तथा अक्टूबर 1990 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

(II) चार तहसीलों-चन्दौली तथा भदोही (जनपद-वाराणसी), मलीहाबाद (जनपद लखनऊ) तथा सदर (जनपद कानपुर (नगर)) के कार्यालयों में वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान कुछ संगठनों / निकायों के 17.40 लाख रुपए के देयों की वसूली राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भू-राजस्व के बकायों के रूप में की गई थी, परन्तु उस पर देय संग्रह प्रभार की वसूली किए बिना ही, वसूल की गई सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित विभाग / निकाय को लौटा दी गई थी, जिसके फल स्वरूप 1.74 लाख रुपए के राजस्व की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1990 तथा नवम्बर 1990 के मध्य) सम्बन्धित तहसीलदारों ने सम्बन्धित संगठनों / निकायों से देय संग्रह प्रभार की वसूली करने हेतु उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

उक्त मामले शासन तथा विभाग को दिसम्बर 1990 एवं जनवरी 1991 के मध्य प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

6.3 सेवा प्रभारों का जमा न किया जाना

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा

122-ख के अन्तर्गत, जहाँ गांव सभा में निहित किसी सम्पत्ति की क्षति या अपयोजन किया जाना है, तो ऐसी सम्पत्ति की क्षति, अपयोजन अथवा अनधिकृत कब्जे के कारण क्षति पूर्ति की धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी। इस प्रकार वसूली गई धनराशि का उक्त अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, समेकित गांव निधि में जमा किया जाना अपेक्षित है। राजस्व परिषद् ने अपने परिपत्र दिनांक 17 जून 1975 में निर्देशित किया था कि क्षति पूर्ति की धनराशि की वसूली का कार्य अमीनों को सौंप दिया जाना चाहिए तथा वसूल की गई धनराशि में से 10 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में कोषागार में तथा शेष समेकित गांव निधि में जमा किया जाना है।

पांच तहसील कार्यालयों, सलेमपुर (देवरिया), सोराम तथा फूलपूर (इलाहाबाद), कोल (अलीगढ़) तथा खागा (फतेहपुर) और कलेक्टर, भू-राजस्व संग्रह, प्रतापगढ़ के कार्यालय में अमीनों द्वारा 1988-89 से 1990-91, वर्षों के दौरान 8.55 लाख रुपए की धनराशि की वसूली की गई थी, जिनमें से 85,508 रुपए की धनराशि (क्षतिपूर्ति धनराशि का 10 प्रतिशत) काटकर कोषागार में सेवा प्रभार के रूप में जमा की जानी अपेक्षित थी। किन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 85,508 रुपए के राजस्व की हानि हुई (जून 1990 से मार्च 1991)।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (जून 1990 से मार्च 1991) फूलपुर को छोड़कर सभी सम्बद्ध इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि सेवा प्रभार की धनराशि सरकारी लेखे में जमा कर दी जाएगी। तहसीलदार, फूलपुर ने बताया (मार्च 1991) कि उन्हें राजस्व परिषद् के इस प्रकार के निर्देशों की कोई जानकारी नहीं थी। समायोजन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992)।

मामले विभाग तथा सरकार को अगस्त 1990 और मार्च 1991 के मध्य प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

6.4 बाँटी गई जोत बहियों की फीस की वसूली न करना

उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रत्येक काश्तकार को उसकी समस्त भूमि के लिए एक जोत बही (पास बुक) निर्धारित फीस के भुगतान पर वितरित की जाती है जिसकी वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह की जाती है। इसके बनाने और कृषकों को बांटने का आदेश सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 (1377 फसली अर्थात् जून 1969) से लागू किया गया था।

भू-राजस्व अधिकारी, हरदोई तथा तहसीलदार, हर्रैया (जनपद बस्ती) के कार्यालयों द्वारा 1970 से 1989 की अवधि में 3,78,976 जोत बहियाँ कृषकों को वितरित की गई थीं जिनके लिए 4.02 लाख रुपए की धनराशि भू-राजस्व के बकायां की तरह वसूल की जानी थी। फिर भी विभाग ने दिसम्बर 1990 तक केवल 3.66 लाख रुपए की धनराशि वसूल की। अवशेष धनराशि 36,170 रुपए अब भी वसूली के लिए बचे हैं।

लेखापरीक्षा में (मई 1989 और अक्टूबर 1989 के बीच) इसको इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि बकाया धनराशि की वसूली की जा रही है। वसूली सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992)।

उक्त मामले शासन को जनवरी 1990 व मार्च 1991 के मध्य प्रतिवेदित किए गए थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

अध्याय - 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

क - विद्युत शुल्क

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए सहायक विद्युत निरीक्षकों / नियुक्त प्राधिकारियों के कार्यालयों के लेखों के जांच परीक्षण में 30 मामलों में 46.96 लाख रुपए के विद्युत शुल्क और निरीक्षण फीस के न लगाए जाने अथवा कम लगाए जाने का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना या कम लगाया जाना	17	5.58
2.	निरीक्षण फीस का न लगाया जाना या कम लगाया जाना	3	1.09
3.	विद्युत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का न लगाया जाना	1	0.75
4.	अन्य अनियमितताएं	9	39.54
	योग	**30**	**46.96**

ख - गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक शुल्क

7.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखों तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण में 312.66 लाख रुपए के गन्ने के क्रय पर देय कर का एवं 26.33 लाख रुपए शीरे की बिक्री एवं आपूर्ति पर देय प्रशासनिक शुल्क के आरोपण न किए जाने / कम किए जाने के क्रमशः 32 तथा 7 मामले प्रकाश में आए जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
'क' गन्ना पर क्रय कर			
1.	गन्ने के क्रय पर कर का अन्तरण	6	288.24
2.	बिना क्रय कर का भुगतान किए चीनी की निकासी	5	17.06
3.	नियमों का अनुपालन न करने के कारण कर का कम निर्धारण	8	5.97
4.	निजी फार्म के गन्ने पर क्रय कर का भुगतान न किया जाना	12	1.25
5.	अन्य अनियमितताएं	1	0.14
	योग	**32**	**312.66**
'ख' प्रशासनिक शुल्क			
1.	बिना प्रशासनिक शुल्क के भुगतान के शीरे की निकासी	5	25.99
2.	अन्य अनियमितताएं	2	0.34
	योग	**7**	**26.33**

कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं।

गन्ने के क्रय पर कर

7.3 क्रय कर के भुगतान के बिना चीनी की निकासी

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर)अधिनियम, 1961 की धारा 3-क के अन्तर्गत किसी भी चीनी मिल का मालिक चीनी के उत्पादन में प्रयुक्त क्रय किए गए गन्ने पर लागू कर का भुगतान किए बिना उपभोग अथवा बिक्री अथवा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन हेतु मिल में उत्पादित चीनी की निकासी नहीं करेगा या कराएगा। प्रावधान का किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर मिल मालिक देय क्रय कर के अतिरिक्त शास्ति की राशि जो शत प्रतिशत से अधिक न हो के भुगतान का भी उत्तरदायी होता है। पेराई-सत्र के उपरान्त (अथवा मिल के बन्द होने के तुरन्त बाद, जैसी भी स्थिति हो) मिल में क्रय किए गए गन्ने एवं उत्पादित चीनी की मात्रा को ध्यान में रख कर कर निर्धारण अधिकारी प्रति बोरा चीनी पर भुगतान की पुनरीक्षित दर निकालेंगे एवं उल्लेख करेंगे। इस प्रकार के पुनरीक्षण से जहां दर में वृद्धि अथवा कमी,

जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित चीनी के अवशेष भण्डार पर वितरित की जाएगी और निर्धारिती द्वारा देय कर का तदनुसार पुनः निर्धारण अवशेष चीनी के बोरों की निकासी के पूर्व करेंगे। यदि भण्डार में चीनी अवशेष नहीं रहती है तो मिल मालिक भुगतान अथवा प्रत्यर्पण के लिए अधिकृत होगा।

(i) बिजनौर जनपद की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1989) कि मिल ने चीनी सत्र 1987-88 में 38.30 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया जिस पर 47.88 लाख रुपए का गन्ना क्रय कर देय था और मिल ने उपर्युक्त गन्ने से 3.38 लाख चीनी के बोरें का उत्पादन किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 12.75 रुपए प्रति बोरा की दर से कर की अनन्तिम दर नवम्बर 1987 में निर्धारित की गई थी जिसे मिल की बन्दी के उपरान्त अथवा पेराई सत्र समाप्त होने पर भी (जुलाई 1988) पुनरीक्षित नहीं किया गया था। मिल ने 13 अप्रैल 1989 तक 42.65 लाख रुपए मात्र का भुगतान करके समस्त 3.38 लाख चीनी के बोरे की निकासी की तथा 5.23 लाख रुपए कर अवशेष रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितता के इंगित किए जाने पर (जून 1989) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 1989) कि कर निर्धारण अधिकारी ने तत्पश्चात मिल को अवशेष क्रय कर के भुगतान हेतु निर्देशित कर दिया है। कर के वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (अप्रैल 1992)।

इस प्रकरण को शासन को दिसम्बर 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

(ii) बहराइच जनपद की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1990) कि सत्र 1989-90 में मिल ने 13.99 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा जिस पर 1.75 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 24.47 लाख रुपए क्रय कर देय था। उक्त देय क्रय कर के विरूद्ध मिल ने 12.01 लाख रुपए का 16 जून 1990 तक भुगतान किया। चालू सत्र के माह जून 1990 में मिल के बन्द होने पर भण्डार में 49,916 चीनी के बोरे अवशेष थे जिस पर 18 रुपए प्रति चीनी के बोरा के अनन्तिम दर से 8.99 लाख रुपए का ही भुगतान हुआ और 3.47 लाख रुपए का क्रय कर अवशेष रहा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेराई सत्र के अन्त में भण्डार में अवशेष चीनी के बोरों की मात्रा 49,916 तथा भुगतान हेतु अवशेष क्रय कर की धनराशि 12.46 लाख रुपए को ध्यान में रखते हुए प्रति बोरा, क्रय कर की दर पुनरीक्षित की जानी चाहिए थी, जो गणनानुसार 24.97 रुपए प्रति बोरा बनती थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा अनन्तिम दर का पुनरीक्षण न किए जाने के फलस्वरूप 3.47 लाख रुपए के क्रय कर की हानि हुई।

प्रकरण शासन को मार्च 1991 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

7.4 कर के भुगतान के बिना चीनी के बोरों की निकासी

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3-क के अनुसार कोई भी चीनी मिल मालिक चीनी के उत्पादन में प्रयुक्त गन्ने पर गन्ना क्रय कर का जब तक भुगतान नहीं करता तबतक वह मिल में उत्पादित चीनी की निकासी नहीं करेगा अथवा कराएगा। उक्त प्रावधान का उल्लंघन मिल मालिक को देय क्रय कर के भुगतान के अतिरिक्त शत् प्रतिशत अर्थदण्ड के भुगतान का उत्तरदायी करता है। अधिनियम का कोई भी प्रावधान शासन को प्रशासनिक आदेश द्वारा कर के भुगतान को स्थगित करने को सक्षम नहीं करता है।

(i) सीतापुर जनपद की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1988) कि मिल जिसमें माह अप्रैल 1983 में कार्य प्रारम्भ किया था, माह जुलाई 1988 तक बिना क्रय कर के भुगतान के चीनी के बोरों की निकासी करती रही। इस प्रकार से छः चीनी सत्रों 1982-83 से 1987-88 तक मिल ने 67.26 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया, जिस पर 84.07 लाख रुपए गन्ना क्रय कर देय था। किन्तु मिल द्वारा गन्ना क्रय कर का भुगतान किए बिना समस्त चीनी के बोरों की निकासी कर दी गई।

चूक के इंगित किए जाने पर (मार्च 1989) शासन ने सूचित किया कि सत्र 1982-83 से 1986-87 तक के क्रय कर की वसूली शासन के प्रशासकीय आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 1988 द्वारा स्थगित कर दी गई थी, जब कि सत्र 1987-88 के लिए देय कर को दूसरे प्रशासनिक आदेश दिनांक 10 जनवरी 1989 द्वारा वर्ष 1988-89 से 1992-93 के दौरान पांच वार्षिक किश्तों में वसूल करने का आदेश दिया गया जिसमें से 1990-91 तक देय तीन किश्तें नियमित रूप से जमा की गईं।

मामला शासन को मार्च 1989 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

(ii) बहराइच जनपद की एक चीनी मिल की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1990) कि चीनी मिल जो चीनी सत्र 1984-85 से कार्यरत हुई, चीनी सत्र 1984-85 से माह सितम्बर 1989 तक बिना गन्ना क्रय कर का भुगतान किए हुए चीनी की निकासी करती रही। उपरोक्त पांच चीनी सत्रों में मिल ने 72.18 लाख कुन्तल गन्ना क्रय किया था जिस पर 90.23 लाख रुपए गन्ना क्रय कर देय हुआ था। किन्तु समस्त चीनी के बोरे

जिनके उत्पादन में उपरोक्त क्रय किए गए गन्ने का उपभोग किया गया बिना कर के भुगतान के ही निकाले गए। विभाग द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर की वसूली एवं शास्ति आरोपण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनांक 30 दिसम्बर 1988 के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा मिल को उपर्युक्त सम्पूर्ण अवधि के लिए कर के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति दे दी गई। इस आदेश के अनुसार मिल की वित्तीय स्थिति की सूचना एक प्रबन्ध समिति द्वारा सरकार को देनी थी। किन्तु प्रबन्ध समिति नहीं बनाई गई। किसी बैंक अथवा कोषागार में एक निजी खाता खोलना था जिसमें चीनी उद्योग विभाग, वित्त विभाग एवं मिल के प्रतिनिधि द्वारा तय किया गया धन नियमित रूप से जमा करना था, जिससे इकट्ठा हुए स्थगित कर के भुगतान करने में सुविधा हो। आदेश के इस प्रतिबन्ध का भी अनुपालन नहीं किया गया। फिर भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवशेष कर की वसूली की सूचना अब भी वांछित है (अप्रैल 1992)।

उपर्युक्त दोनो मामलों में प्रथम पांच सत्र के कर की वसूली का स्थगन और वह भी पूर्वगामी प्रभाव से एक प्रशासनिक आदेश द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और न तो यह अधिनियम के प्रावधानों का अतिक्रमण कर सकता था। दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित करते हुए वितथ के अधिनिर्णय के बिना छः सत्रों के लिए देय कर की किश्तों में वसूली भी अनियमित थी।

मामला विभाग तथा सरकार को दिसम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

7.5 शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार का भुगतान न किया जाना

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 दिसम्बर 1985 के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी के शीरे की बिक्री / आपूर्ति पर चीनी मिल मालिक 2.50 रुपए प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1990) कि देवरिया जिले की एक चीनी मिल ने जून 1989 से अप्रैल 1990 की अवधि में 65,547.29 कुन्तल शीरे की बिक्री किया। इस शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार के रूप में 1.64 लाख रुपए देय था परन्तु चीनी मिल ने केवल 1.17 लाख रुपए का ही भुगतान किया जिससे 47,344 रुपए का भुगतान अवशेष रह गया।

मामले को विभाग एवं शासन को जनवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

अध्याय - 8

वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान देखी गई अनियमितताएं सामान्यत: निम्नवत हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	रेजिन के निस्सारण में अनियमितताएं	17	115.89
2.	पट्टा किराए का वसूल न किया जाना	2	42.39
3.	आरा मिलों का पंजीकरण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	12	20.88
4.	स्टाम्प शुल्क का आरोपण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	38	11.60
5.	रायल्टी का गलत निर्धारण	1	11.10
6.	विभिन्न	177	4381.32
	योग	**247**	**4583.18**

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

8.2 गौण वन उत्पादों का दोहन

8.2.1 प्रस्तावना

गौण वन उत्पादों (एम.एफ.पी.) में मुख्य रुप से लीसा, तेंदू पत्ते, बांस, भाभड़ घास* और वन उत्पाद, जिनका अच्छा व्यवसायिक मूल्य होता हो, आते हैं ।

लीसा उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र का, एक महत्वपूर्ण गौण वन उत्पाद है और चीड़ तथा कैल पेड़ों से निकाला जाता है । यह रेजिन व तारपीन तेल के उत्पादों के लिए

---

* भाभड़ घास एक विशेष प्रकार की घास है, जो शिवालिक तथा पश्चिमी वन मण्डलों में पाई जाती है ।

कच्चा माल है। रेजिन व्यापार के वर्ष 1976 से राष्ट्रीयकरण हो जाने से रेजिन निकालने और बिक्री का कार्य राज्य सरकार को सौंपा गया था। रिजर्व, सिविल और पंचायत वनों में रेजिन के वेधन व संग्रह का कार्य मुख्यतया छोटे ठीकेदारों (स्थानीय नाम-मेट) द्वारा किया जाता है जबकि नैपलैण्ड (निजी भूमि) जंगलों में यह पेड़ों के स्वामी द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जंगलों से निकला हुआ रेजिन का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है जैसे कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा निर्देशित करती है।

तेंदू पत्ते, जिनका प्रयोग बीड़ी उत्पादन में किया जाता है, अधिकतर बुन्देलखण्ड और वाराणसी द्वितीय वन मंडलों में उगाए जाते हैं। पत्तियाँ प्रति वर्ष अप्रैल व मई में एकत्र की जाती हैं। 1972 में तेंदू पत्ता व्यापार को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत करके उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 निर्गत किया तथा इसके अधीन नियम बनाया। 1982 सत्र तक, तेन्दू पत्तों के लाटों को नीलाम द्वारा बेचा जाता था और सफल बोली बोलने वालों द्वारा तेंदू पत्तों के एकत्र करने व निस्तारण की व्यवस्था स्वयं की जाती थी। अप्रैल 1983 में सरकार ने सात जिलों (इलाहाबाद, बाँदा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर, मिर्जापुर और वाराणसी) में तेंदू पत्ते के व्यापार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वन निगम (यू.पी.एफ.सी) को अपना एजेंट नियुक्त किया। तराई अनुसूचित जनजाति निगम भी 1987 व 1988 सत्रों में दो जिलों (ललितपुर व मिर्जापुर) पत्तों के एकत्र करने हेतु एजेण्ट नियुक्त था। सत्र 1989 से सभी सात जिलों के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम मुख्य एजेण्ट के रूप में नियुक्त किया गया था।

बांस व भाभड़ घास का दोहन एवं एकत्रीकरण भी रायल्टी निर्धारण समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित रायल्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जा रहा है। अन्य विविध उत्पादों का निस्तारण नीलाम अथवा आवंटन द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1984-85 के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रस्तर 8.4 में तेंदूपत्ते के एकत्रीकरण व बिक्री, 1985-86 के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रस्तर 8.4 में बांस के दोहन और 1986-87 के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रस्तर 9.3 में रेजिन के दोहन व बिक्री का वर्णन किया जा चुका था।

8.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

प्रणाली की प्रभावशीलता को देखने तथा यह भी देखने हेतु कि नियम और आदेश तथा शासकीय अनुदेशों का सही पालन हो रहा है, वर्ष 1985-86 से 1990-91 तक गौण वन उत्पादों के दोहन को जांचने हेतु एक समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 1990 से जून 1991 तक 42 क्षेत्रीय वन खण्डों में से 14* में की गई थी।

---

* मिर्जापुर, उत्तरी खीरी, उत्तरी पीलीभीत, पश्चिमी तराई, उत्तरी गोरखपुर, दक्षिणी खीरी, दक्षिणी पीलीभीत, पूर्वी तराई, मध्य तराई, शिवालिक, गढ़वाल, नैनीताल, बरेली तथा हल्द्वानी ।

8.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय स्तर पर 11 मुख्य संरक्षकों, मण्डल स्तर पर 33 वन संरक्षकों और खण्डीय स्तर पर 42 खण्डीय वन अधिकारियों से साहायियत हैं ।

8.2.4 मुख्य अंश

(I) 30.98 लाख रेजिन चैनेल्स (सरणियों) के वेधन न करने से 599.08 लाख रुपए मूल्य के 64,906 कुन्तल उपल में कमी आई।

(II) नैपलैण्ड रेजिन की कम दर पर बिक्री से 46.62 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई और कुल 57.87 लाख रुपए का प्रशासनिक चार्ज वसूल नहीं हुआ।

(III) नैपलैण्ड स्वामियों से अवैध दोहन का 1.55 लाख रुपए का अर्थदण्ड नहीं वसूल हुआ था।

(IV) रेजिन आवंटन समिति द्वारा शासन के आदेश का असंगत मूल्यांकन के कारण शासन को 4.69 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ी।

(V) एक अनुपयुक्त औद्योगिक इकाई को रेजिन के आवंटन से 3.74 लाख रुपएका बिना अभिप्राय के लाभ दिया गया।

(VI) उत्तर प्रदेश वन निगम व तराई अनुसूचित जनजाति निगम से विलम्ब शुल्क कुल 208.13 लाख रुपए की वसूली अभी तक अपेक्षित है।

(VII) बांस के उत्पादन में अपर्याप्त सुरक्षा, निर्धारित कार्य योजना का पालन न करने, पूर्व में अनियमित पातन और वन विज्ञान कार्य प्रणाली के कार्यान्वित न करने के कारण 46.24 लाख रुपए की राजस्व की हानि सहित कमी आई थी।

(VIII) रायल्टी के 18.82 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा न करने पर भी, उत्तर प्रदेश वन निगम को संवर्धन पर व्यय के लिए अनुमति दी गई।

(IX) साल बीजों के एकत्रीकरण के ठीके को विलम्ब से अन्तिम रूप देने से 19.04 लाख रुपए की हानि हुई।

(X) गन्ना क्षेत्र के आवंटन पर मांग के सृजित न करने के कारण 21.30 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

18 महा0-19

8.2.5 गौण वन उत्पाद का उत्पादन एवं मूल्य

वर्ष 1985-86 से 1988-89 के मध्य गौण वन उत्पाद का उत्पादन व मूल्य नीचे दिया गया है:

गौण वन उत्पादन का नाम (मुख्य श्रेणी)	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य (लाख रुपए में)
रेजिन (कुन्तल में)	13,36,418	1074.27	42,963	343.70	85,417	683.34	93,601	823.69
तेंदू पत्ते (मानक बोरे में)	3,80,975	584.16	79,616	544.26	1,05,183	532.34	1,59,511	992.16
बांस (कोरी में)	5,84,417	192.73	8,97,803	296.27	8,12,434	294.91	7,94,028	349.37
भाभड़ घास (कुन्तल में)	91,790	36.72	70,739	30.42	1,28,520	60.79	58,362	63.03
अन्य वन उत्पाद, यथा साल सीड, मधु, वैक्स और केन आदि		283.27	-	743.41	-	513.13	-	636.47

नोट : कोरी का अर्थ 20 बाँसों का बंडल

विभाग ने बताया (जनवरी 1992) कि वर्ष 1989-90 के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। विभाग ने यह भी बताया कि वर्ष 1990-91 के आंकड़े क्षेत्रीय कार्यालयों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1992)।

चूँकि रेजिन के उत्पादन में गिरावट का रुख था, शासन ने आवंटन नीति की समीक्षा हेतु एक कमेटी गठित की। कमेटी ने अनुमोदित किया कि रेजिन के कम उत्पादन के कारण, सभी औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन क्षमता के अनुसार रेजिन का आवंटन सम्भव नहीं होगा और वन विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा नए उद्योगों को नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार तेन्दू पत्ते का उत्पादन 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में 1985-86 के उत्पादन की तुलना में गिर कर क्रमशः 79, 72 और 58 प्रतिशत हो गया था। भाभड़ घास का उत्पादन भी 1986-87 में 23 प्रतिशत और 1988-89 में 37 प्रतिशत नीचे चला गया था। गौण वन उत्पाद के उत्पादन व मूल्य की वर्ष 1989-90 और 1990-91 के आंकड़े अक्टूबर 1990 में मांगे गए थे परन्तु बताया गया था कि वे उपलब्ध नहीं थे। मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन व योजना) ने सूचित किया (अक्टूबर 1991) कि आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

नमूना जांच में पाए गए बिन्दुओं की अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

8.2.6 रेजिन

8.2.6.1 रेजिन के उत्पादन में कमी

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊँ क्षेत्रों में 6 वर्षों 1985 से 1990 के दौरान वेधन हेतु अंकित स्रोतों (चैनेल्स) की संख्या, अनुमानित उपज के साथ-साथ वास्तविक बेधित स्रोतों की संख्या और वास्तविक उत्पादन नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

मण्डलों का नाम	स्रोतों की संख्या (लाख में)			अनुमानित उपज (कुन्तल में)	वास्तविक उपज (कुन्तल में)	वास्तविक उपज (कुन्तल में)	
	वेधन हेतु सारणियाँ	वास्तविक वेधित सारणियाँ	अवेधित सारणियाँ			1985	1990
(अ) गढ़वाल क्षेत्र							
भागीरथी	59.43	52.45	6.98	78,675	73,514	1.56	1.01
गढ़वाल	49.33	48.80	0.53	68,128	65,540	1.92	1.31
यमुना	29.38	26.99	2.39	44,525	53,627	2.40	2.21
(ब) कुमाऊँ क्षेत्र							
टिम्बर आपूर्ति	24.66	22.29	2.37	37,004	20,887	अनुपलब्ध	0.73
कुमाऊँ	253.84	235.13	18.71	3,79,882	3,29,740	1.68	1.44
कुल योग	**416.64**	**385.66**	**30.98**	**6,08,214**	**5,43,308**		

उपरोक्त सारणी से देखा जाएगा कि सभी मण्डलों में 1985 की तुलना में 1990 में वास्तविक उपज प्रति सौ स्रोत में कमी आई थी। वेधित स्रोतों की संख्या में कमी, आँधी के कारण पेड़ों का समय से पूर्व पातन, उच्च टेरीन, आग व कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और विपरीत मौसम आदि के कारण पांच वर्ष की अवधि में 64,906 कुन्तल रेजिन का दोहन जिसका मूल्य 599.08 लाख रुपए है (भारतीय टरपेन्टाइन और रेजिन कम्पनी को आपूर्तित औसत दर पर आगणित) नहीं किया जा सका और विभाग उतनी राशि के राजस्व से वंचित था। आगे यह देखा गया था कि भागीरथी मण्डल में 11.7 प्रतिशत स्रोत, टिम्बर आपूर्ति मण्डल में 9.6 प्रतिशत स्रोत और कुमाऊँ मण्डल में 7.37 प्रतिशत स्रोत वेधित नहीं थे। यद्यपि गढ़वाल मण्डल में सभी स्रोत वेधित थे, उत्पादन में 2,588 कुन्तल की कमी थी। मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) ने बताया (फरवरी 1990) कि कमी श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण थी।

8.2.6.2 नैपलैण्ड के रेजिन के निस्तारण में हानि

नैपलैण्ड वन से रेजिन का दोहन इसके स्वामी द्वारा किया जाता है और वन विभाग द्वारा निस्तारण किया (बेचा जाता) है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय से निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा ओवरहैड चार्जेज़ घटाने के बाद भुगतान किया जाता है, जून 1989 और नवम्बर 1990 के शासकीय आदेशों के अन्तर्गत नैपलैण्ड स्वामियों को भुगतान की दर 1988-89 के लिए1,250 रुपए प्रति कुन्तल और 1989-90 के लिए 1,330 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित था। इस दरों से 15 प्रतिशत प्रशासनिक भार (चार्जेज़) की तरह घटाया जाना था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जून 1991) कि 1988-89 के दौरान रेजिन के निस्तारण में विभाग द्वारा 46.62 लाख रुपए की हानि उठायी गई थी। नीचे की सारणी में आंकड़े दिए गए हैं:

वर्ष	शासन द्वारा निर्धारित दर प्रति कुन्तल (रुपए में)	15 प्रतिशत प्रशासनिक चार्जेज़ घटाने के बाद दर	आपूर्तित मात्रा (कुन्तल में)	नैपलैण्ड स्वामियों को दी गई धन-राशि (लाख रुपए में)	वास्तविक वसूली गई धनराशि (लाख रुपए मे)	रेजिन के निस्तारण में हानि (लाख रुपए में)	रेवेन्यू को न क्रेडिट की गई प्रशासनिक चार्जेज की धनराशि (लाख रुपए में)
1988-89	1,250	1,062.50	23,291	247.47	200.85	46.62	43.67
1989-90	1,330	1,130.50	7,116	80.45	80.45	--	14.20

1988-89 में हानि इस कारण थी कि नैपलैण्ड स्वामियों को वर्ष भर 1,062.50 रुपए प्रति कुन्तल रेजिन की दर से भुगतान किया गया था, जबकि इण्डियन तारपीन व रेजिन कम्पनी और अन्य औद्योगिक इकाइयों की बिक्री से क्रमशः 880 रुपए तथा 838 रुपए प्रति कुन्तल की दर से वसूल की गई थी।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक चार्जेज़ को राजस्व में नहीं जमा किया जा सका क्योंकि 1988-89 में रायल्टी के भुगतान के लिए निर्धारित दर आपूर्ति दर से 24 प्रतिशत अधिक थी और 1989-90 में आपूर्ति और 1989-90 में आपूर्ति और भुगतान की दर 1,130.50 रुपए प्रति कुन्तल एक समान थी।

8.2.6.3 नैपलैण्ड स्वामियों से अर्थदण्ड की वसूली न होना

उत्तर प्रदेश रेजिन और अन्य वन्य उत्पाद अधिनियम, 1976 के अनुसार अवैध ब्लेजेज * और अन्य अनियमित कार्यों ** के लिए नैपलैण्ड स्वामियों से उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए उनके द्वारा आपूर्तित रेजिन के भुगतान करते समय उस पर अर्थदण्ड लगाया जाता व वसूल होता है। नैनीताल वन प्रभाग में नैपलैण्ड स्वामियों पर 1988-89 में कुल 1.55 लाख रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया किन्तु वसूली नहीं हुई (जुलाई 1991)।

8.2.6.4 वन विभाग के भाग (हिस्सा) का अनियमित भुगतान

पंचायत वन नियम, 1972 के अनुसार, रेजिन की बिक्री की शुद्ध आय पंचायती वननिधि में जमा होगी और वितरण व उपयोग निम्नवत् होगाः

(I) 20 प्रतिशत जिला परिषद को विकास के उददेश्य से

(II) 40 प्रतिशत वन पंचायत को विकास के उददेश्य से

(III) 40 प्रतिशत वन विभाग को, जो अलग रखा जाएगा और उनके द्वारा पंचायती वनों के रख रखाव व विकास हेतु खर्च किया जाएगा। वन विभाग के आय के उपयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, से प्राप्त करना होगा और उपयोग प्रमाण पत्र देना होगा।

---

* रेजिन सरणियाँ

** अनियमित कार्य से गहराई, चौड़ाई व लम्बाई के निर्धारित सीमा से अधिक शहरी सरणियों का निर्माण आता है

नैनीताल वन प्रभाग के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1991) कि वर्ष 1978 से 1988 तक का वन विभाग का 40 प्रतिशत का भाग (हिस्सा) वन निक्षेप (फारेस्ट डिपाजिट) में रखा था और बिना उपयोग पड़ा था क्योंकि ऐक्ट के अनुसार इच्छित कोई विकास की परियोजना बनाई और प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक धन अवरूद्ध रहा। आगे और देखा गया कि 4.27 लाख रुपए में से 1980, 1987 व 1988 फसलों का 1.12 लाख रुपए वन विभाग द्वारा विकास परियोजनाओं पर उपयोग न करके अक्टूबर 1982 और मार्च 1991 के बीच जिलाधीश नैनीताल को हस्तांतरित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल ने अप्रैल 1990 में निर्देशित किया कि डिपाजिट में रखी धनराशि जिलाधीश को हस्तान्तरित की जाये। वर्ष 1978, 1979 और 1981 से 1987 तक से संबंधित शेष धनराशि 3.15 लाख रुपए विभाग द्वारा न तो हस्तान्तरित और न उपयोग किया गया था। इस प्रकार वन विभाग के भाग (हिस्से) के उपयोग से पंचायत वनों के विकास का उद्देश्य नहीं प्राप्त हुआ।

8.2.6.5 सिविल व पंचायत वनों के रेजिन के निस्तारण से राजस्व हानि

बद्रीनाथ वन प्रभाग में 1986 रेजिन फसल हेतु 821.36 रुपए प्रति कुन्तल आल-इन-कास्ट निर्धारित था। विभाग द्वारा निर्धारित 821.36 रुपए प्रति कुन्तल व्यय के विरूद्ध 827.27 रुपए प्रति कुन्तल की दर से कुल 5.34 लाख रुपए व्यय करने के पश्चात सिविल व पंचायती वनों से 644.90 कुन्तल रेजिन का दोहन किया गया। इसका निस्तारण 4.60 लाख रुपए में किया गया था जिससे 0.74 लाख रुपए की हानि हुई। इस हानि के कारण, रायल्टी के रूप में पंचायत वन निधि में वर्ष 1986 में कुछ जमा नहीं किया गया।

8.2.6.6 शासन के आदेश का असंगत मूल्यांकन करने से राजस्व की हानि

रेजिन के निस्तारण और एकत्रीकरण के लिए रेजिन कूपे बनाए जाते हैं। शासन ने मेठों (ठीकेदारों) को कूपों के आवंटन हेतु प्रति वर्ष एक कमेटी नियुक्त करने का आदेश निर्गत किया (नवम्बर 1978)। शासन ने अप्रैल 1981 में स्पष्ट किया कि ठीकेदारों द्वारा दी गई कम से कम या विशेष टेण्डर दरों को स्वीकार करना कमेटी पर प्रतिबन्धित नहीं था।

तीन वन प्रभागों में कमेटी द्वारा मेठों को 19 कूप (1989 के 8 कूपे एवं 1990 सत्र के 11 कूपे) बिना उनसे किसी समझौता किए उनके दरों से कम दरों पर आवंटित किए गए थे। जिसके फलस्वरूप मेठ उपस्थित नहीं हुए और कूपे 5 से 9 माहों के अवधि तक अवेधित रहे। अन्ततः ये कूपे विभाग द्वारा बेधित किए गए और 822 कुन्तल एक विभाग द्वारा आकलित मात्रा के विरूद्ध मात्र 201 कुन्तल निस्सारित किया जा सका। इस प्रकार 621

कुन्तल रेजिन (मूल्य 3.25 लाख रुपए) निस्सारित नहीं हो सका, कमेटी द्वारा शासन के आदेश के असंगत मूल्यांकन से 4.69 लाख रुपए के राजस्व की शुद्ध हानि हुई (इण्डियन टरपेंटाइन और रेजिन कम्पनी के दर से गणना अनुसार 8.25 लाख रुपए में से सभी खर्चे सहित 3.56 लाख रुपए कम करने पर) ।

8.2.6.7 निविदा की अनियमित स्वीकृति

वर्ष 1989 फसलों हेतु टेण्डरों के आमंत्रण सूचनाओं (नोटिस) की शर्तों के अनुसार टेण्डरों के साथ धरोहर की राशि होना चाहिए अन्यथा वे निरस्त माने जाएंगे। 1989 की फसलों हेतु उत्तरकाशी वन प्रभाग में बिना धरोहर राशि के दो टेण्डर प्राप्त हुए थे। उपरोक्त प्रावधानों के विरूद्ध, दो कूपों के टेण्डर जिनकी आकलित उपज 203 कुन्तल रेजिन थी, रेजिन कूप आबंटन समिति द्वारा स्वीकृत थे। मेठ हाजिर नहीं हुए और कूपे अवेधित रह गए। टेण्डर के अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 1.49 लाख रुपए (औद्योगिक इकाइयों को आवंटन के दर से गणना करने पर) के राजस्व की हानि हुई।

8.2.6.8 विभागीय निस्सारण के कारण राजस्व की हानि

रेजिन के अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु, कूपों का वेधन प्रतिवर्ष मार्च और दिसम्बर के मध्य होना चाहिए। नैनीताल प्रभाग के 5 कूप 1989 व 1990 सत्रों में श्रमिकों के न उपलब्ध होने के कारण पूरे 10 माहों के समय में वेधित नहीं थे। चूँकि 302 कुन्तल प्रति सौ चैनेलों पर 1.5 कुन्तल के आधार पर अनुमानित उपज के विरूद्ध मात्र 80 कुन्तल रेजिन निस्सारित किया गया था, 222 कुन्तल रेजिन (मूल्य 2.95 लाख रुपए)निस्सारित नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप निस्सारण की लागत कम करने के पश्चात् 1.77 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई ।

8.2.6.9 अनियमित आवंटन

1988-89 तक औद्योगिक इकाइयों को रेजिन का आवंटन धर कमेटी के अनुमोदन और शासन के स्वीकृति पर किया गया था। धर कमेटी के अनुमोदन के अनुसार 13 औद्योगिक इकाइयाँ रेजिन के आवंटन हेतु पात्र नहीं थीं।

फिर भी, शासन ने काठगोदाम डिपो पर 1987-88 में औसत बाजारू कीमत 1,306 रुपए प्रति कुन्तल के विरूद्ध, एक अपात्र इकाई को 799 कुन्तल रेजिन 838 रुपए प्रति कुन्तल की छूट की दर पर आवंटित किया (नवम्बर 1988)। इस प्रकार, अनियमित आवंटन के कारण, इकाई को 3.74 लाख रुपए का अनिच्छित लाभ दिया गया था।

8.2.7 तेंदू पत्ते

8.2.7.1 विलम्ब शुल्क का वसूल न होना

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत, क्रेताओं को बिक्री की कीमत को दो किश्तों में 15 जून और 15 अक्टूबर तक जमा करना अपेक्षित है। ऐसा न करने पर 60 दिन तक के विलम्ब हेतु दो पैसे प्रति सौ रुपए प्रतिदिन की दर से तथा 60 दिनों से अधिक विलम्ब हेतु 5 पैसे प्रति सौ रुपए प्रतिदिन की दर से उनसे विलम्ब शुल्क वसूली योग्य है।

उत्तर प्रदेश वन निगम और तराई अनुसूचित जनजाति निगम (निगम) ने 1983 से 1988 तक के सत्रों हेतु दो मण्डलों (बुन्देलखण्ड और वाराणसी-II) में किश्तों को अदा करने में 34 दिनों से 928 दिनों का विलम्ब किया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई से अक्टूबर 1990) के उत्तर प्रदेश वन निगम से 88.90 लाख रुपए तथा निगम से 119.23 लाख रुपए का वसूली योग्य विलम्ब शुल्क वसूल नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990) मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्था), नैनीताल ने प्रकरण शासन को सूचित कर दिया है (मार्च 1991) अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (अप्रैल 1992)।

8.2.7.2 रायल्टी का अशुद्ध निर्धारण

शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 1983 ने निर्धारित किया कि वर्ष 1983-84 तथा आगे के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम से पिछले वर्ष की रायल्टी में निम्नलिखित बढ़ोत्तरियों को जोड़कर रायल्टी वसूल की जायेगी।

(I) गत वर्ष में निगम द्वारा बेची तेंदू पत्ते की कीमत में पिछले वर्ष पर प्रतिशत बढ़ोत्तरी।

(II) मूल्य निर्धारण वर्ष में बाजार दर में असामान्य बढ़ोत्तरी, यदि कोई हो।

उत्तर प्रदेश वन निगम ने मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्था) को जैसा मार्च 1991 में सूचित किया कि 1988 सत्र में 1987 सत्र के ऊपर तेंदू पत्ते की कीमत में प्रतिशत बढ़ोत्तरी 32 प्रतिशत थी। 1988 हेतु तेंदू पत्ते की रायल्टी 662.56 लाख रुपए निर्धारित थी। 1989 सत्र हेतु रायल्टी 32 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के आधार पर 874.58 लाख रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन वर्ष 1989 हेतु वास्तविक रायल्टी सरकार के आदेश दिनांक 11 मई 1989 द्वारा

662.56 लाख रुपए इस आधार पर निर्धारित थी कि जैसा कि मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्था) ने जून 1989 में सूचित किया कि निगम ने क्रमशः 226 लाख रुपए और 21 लाख रुपए की क्षति 1987 व 1988 सत्र में उठायी थी।

1990 सत्र हेतु रायल्टी अभी भी निर्धारित नहीं हुई है (जुलाई 1991) यद्यपि सरकार ने विभाग को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने को निर्देशित किया (मार्च 1991)। यद्यपि निगम ने मूल्य की प्रतिशत वृद्धि 104 प्रतिशत सूचित किया (मार्च 1991), एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी अन्तिम रायल्टी निर्धारित नहीं हुई है। मुख्य वन संरक्षक (व्यवस्था) द्वारा शासन को जून 1991 में भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 1990 सत्र हेतु देय रायल्टी 1352 लाख रुपए थी। रायल्टी के निर्धारण में विलम्ब से राजस्व की वसूली में विलम्ब हुआ और उत्तर प्रदेश वन निगम को अवांछित लाभ पहुँचा।

8.2.8 बाँस

8.2.8.1 पातन का लक्ष्य व प्राप्ति

1985-86 से 1989-90 तक 5 वर्षों की अवधि में पांच वन प्रभागों में लक्ष्य व उसके साथ प्राप्ति निम्न प्रकार थी:

प्रभाग का नाम	पातन हेतु निर्धारित क्षेत्र कार्य योजना अनुसार (हेक्टेयर में)	वास्तविक निर्धारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	वास्तविक विदोहन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कमी का प्रतिशत पातन हेतु क्षेत्र निर्धारण में	वास्तविक पातन में	राजस्व की हानि (लाख रुपए में)
बाँदा	1,01,045	1,01,045	81,755	-	19	9.71
ललितपुर	5,513	2,121	1,588	62	25	28.84
पश्चिमी मिर्जापुर	48,043	23,387	15,624	51	33	1.01
पूर्वी मिर्जापुर	35,187	39,230	32,182	-	18	3.30
वाराणसी	23,833	6,962	2,713	71	61	3.38
						46.24

तीन प्रभागों में क्षेत्र के निर्धारण में कमी विशेष रूप से संदिग्ध थी। विभाग ने दोहन में कमी मुख्य रूप से अपूर्ण सुरक्षा, निर्धारित कार्य योजना का पालन न करना, अनियमित पातन और वन विज्ञान क्रिया के क्रियान्वयन न करने या विलम्ब और लापरवाही को ठहराया था (जून 1986)। इस प्रकार कुल 46.24 लाख रुपए की हानि थी।

दो वन प्रभागों में 1985-86, 1988-89 और 1989-90 की अवधि में बांस का उत्पादन निम्नवत था:

प्रभाग का नाम	वर्ष	प्रति हेक्टेयर उत्पादन (कोरी में)
पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग	1985-86	8.83
	1988-89	0.71
पूर्वी मिर्जापुर वन प्रभाग	1985-86	10.07
	1989-90	1.50

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 1990) कि चार वर्षों की अवधि में बाँस का उत्पादन पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग में 92 प्रतिशत और पूर्वी मिर्जापुर वन प्रभाग में 85 प्रतिशत आ गया। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक ने स्वीकार किया (जून 1986) कि वाराणसी 11 मण्डलों में अधिक मात्रा में कल्मूस के घने हो जाने के कारण उत्पादन में कमी थी।

8.2.8.2 निर्यात का अनियमित नियन्त्रण

बांस पर रायल्टी जंगल से बाहर निकासी की वास्तविक मात्रा के आधार पर वसूल की जाती है। आउट टर्न पंजिका से ज्ञात हुआ कि 1986-87 से 1988-89 की अवधि में पश्चिमी मिर्जापुर वन प्रभाग में 2,16,267 कोरी बांस मूल्य 5.34 लाख रुपए की निकासी उत्तर प्रदेश वन निगम को अनुमन्य थी लेकिन 16,935 कोरी बांस की निकासी का मात्र 0.32 लाख रुपए की रायल्टी चार्ज की गई थी। वास्तविक निकासी के आधार पर 5.02 लाख रुपए रायल्टी की वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

इसी प्रकार, पूर्वी मिर्जापुर वन प्रभाग में उत्तर प्रदेश वन निगम ने 1,15,920 कोरी बांसों की निकासी 1989-90 में की थी लेकिन उन्होने केवल 11,516 कोरी बांसों की 2.07 लाख रुपए की रायल्टी का भुगतान किया था। 1,04,404 कोरी हेतु 15.52 रुपए

प्रति कोरी की दर से 15.91 लाख रुपए की रायल्टी अब तक वसूल नहीं की जा सकी थी (अप्रैल 1992)।

8.2.8.3 वन विज्ञान कार्य प्रणाली

वन विज्ञान कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित क्रिया इस दृष्टिकोण से सम्मिलित रहती है कि समय से पौधे के पुराने तनों* को हटा दिया जाय इससे पहले कि वे घने हों और सूख जाएं तथा नियमित विदोहन हेतु उचित रुप से परिपक्व कलम्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो। यह विदोहन के तुरन्त पश्चात किया जाता है और इसमें मिट्टी की भराई तथा घनापन हटाने की क्रिया सम्मिलित है।

देहरादून वन प्रभाग के कार्य योजना में प्राविधानित था कि 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि में 934.03 हेक्टेयर बांस के क्षेत्र का संवर्धन करना था, क्योंकि बांसों को छितरा हुआ पाया गया और इससे पूर्व, निर्धारित तरीकों से दोहन न किए जाने से पौधों के तने मुख्य रूप से नष्ट हो गये थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 1991) कि क्षेत्र में योजनानुसार कोई वन विज्ञान कार्य प्रणाली नहीं चलाई गई थी। लेखापरीक्षा के इस विचार के उत्तर में (अप्रैल 1991) यह बताया था कि क्षेत्र संवर्धन का कोई कार्य नहीं हुआ था क्योंकि उस क्षेत्र में बांस की उपलब्धता लगभग शून्य थी। इस प्रकार, पूर्व में अवैज्ञानिक पातन से 934.03 हेक्टेयर भविष्य के उपज हेतु अनुपयुक्त हो गया था।

8.2.8.4 राजस्व का अनियमित मूल्यांकन

वित्तीय नियमों के अनुसार, प्राप्त समस्त धनराशियाँ कोषागार अथवा बैंक में बिना विलम्ब के जमा होनी चाहिए और शासकीय लेखे में सम्मिलित होनी चाहिए। उपरोक्त वर्णित प्रकार से प्राप्त धनराशियों का उपयोग विभागीय व्यय को पूरा करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, अपवाद के रूप में, वन विभाग द्वारा प्राप्त नकदी का तुरन्त स्थानीय व्यय को पूरा करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षण की अध्यक्षता में 5 मार्च 1986 को सम्पन्न बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कल्चर करने का काम किया जाएगा और उन्हें वन विज्ञान पर किए गए व्यय को उनके द्वारा वन विभाग को बांसों की देय रायल्टी से समायोजित करने का भी अधिकारी था। तीन प्रभागों की नमूना जांच (बांदा, ललितपुर व पश्चिमी

---

* बांस पूर्व वर्षो की गाठों से कोठियों में उत्पादित होता है । कोठियां बांस के प्रबन्ध की न्यूनतम इकाई है ।

मिर्जापुर) में पाया गया कि 1985-86 से 1990-91 तक उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा रायल्टी से 18.82 लाख रुपए वन विज्ञान कार्यों के लेखे पर समायोजित हुआ था जो वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विपरीत था।

इसके अतिरिक्त, बांदा वन प्रभाग में 14.21 लाख रुपए के रायल्टी पर 1.72 लाख रुपए के देय बिक्री कर नहीं वसूल किया गया था। विभाग द्वारा बिक्री कर के कम निर्धारण हेतु कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

8.2.9 भाभड़ घास

8.2.9.1 उत्पादन लागत में वृद्धि के राजस्व का ह्रास

रायल्टी निर्धारण कमेटी ने फैसला किया (फरवरी 1990) कि स्थानीय लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु उन्हें भाभड़ घास 108 रुपए प्रति कुन्तल की दर से आपूर्तित होगी। आपूर्ति उत्तर प्रदेश वन निगम के माध्यम से होनी थी। ग्रामीणों से वसूल हुई बिक्री कीमत से उत्पादन लागत घटाने के बाद शेष रायल्टी की तरह समायोजित होगा। शिवालिक वन प्रभाग में 1988-89 में 24,453 कुन्तल भाभड़ घास ग्रामीणों को आपूर्ति किया गया था और बिक्री कीमत से उत्पादन लागत 64.42 रुपए प्रति कुन्तल घटाने के बाद रायल्टी 43.58 रुपए प्रति कुन्तल निकाली गई। 1989-90 में 19,643.95 कुन्तल आपूर्तित था और उत्पादन लागत 105.85 रुपए प्रति कुन्तल घटाने के बाद रायल्टी 2.15 रुपए प्रति कुन्तल निकाली गई थी। इस प्रकार एक वर्ष के अन्दर उत्पादन लागत में 64.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 7.49 लाख रुपए के शासकीय राजस्व का ह्रास हुआ।

8.2.10 अन्य गौण वन उत्पादन

8.2.10.1 संविदा को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

(क) साल सीड प्रतिवर्ष अप्रैल और जून के मध्य एकत्र किए जाते हैं। साल सीड के एकत्र करने की संविदाएं मार्च के अन्त तक अन्तिम हो जानी चाहिए।

1987 सत्र में दक्षिणी गोरखपुर वन प्रभाग से साल बीजों के एकत्रीकरण हेतु वन संरक्षक, पूर्वी मण्डल, गोरखपुर द्वारा 4 अप्रैल 1987 को टेण्डर आमंत्रित कर 5 मई 1987 को, एकत्रीकरण सत्र के प्रारम्भ होने के बाद, खोले गये। उच्चतम बोली 11 लाख रुपए थी। कार्यादेश 17 मई 1987 को दिया गया लेकिन ठीकेदार नहीं आया। फलस्वरूप, यह 26 मई

1987 को निरस्त कर दिया गया था। दूसरे उच्चतम बोली दाता से 30 मई 1987 को लाट पर कार्य के लिए कहा था, लेकिन उसने 2 जून 1982 को तार द्वारा कार्य करने से मना कर दिया। 4 जून 1987 को एक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई थी। अधिकतम बोली 1.00 लाख रुपए थी और फर्म को 18 जून 1987 को कार्यादेश जारी किया गया था क्योंकि 1987 फसल में एकत्रीकरण के लिए केवल 12 दिन ही शेष रह गए थे। फर्म ने समय की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया। तब विभाग ने कार्य एक फर्म को 1.01 लाख रुपए के लिए दिया जिसका टेण्डर विभाग द्वारा प्रारम्भ में ही समय से प्राप्त न होने के आधार पर रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, संविदा के विलम्ब से अन्तिम रूप देने के कारण 9.99 लाख रुपए के रायल्टी की हानि हुई थी।

(ख) 1989 सत्र में दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग से साल बीजों के एकत्रीकरण के लिए, वन संरक्षक, उपयोग मण्डल ने 6 मई 1989 को टेण्डर आमंत्रित किए जो 23 मई 1989 को खुले थे। ठीकेदार जिसकी उच्चतम बोली 5.10 लाख रुपए थी, को 29 मई 1989 को निर्देशित किया गया कि सम्बद्ध वन प्रभाग अधिकारी से अनुबन्ध निष्पादन के संबंध में सम्पर्क कर कार्य प्रारम्भ करें। चूँकि ठेकेदारने3 जून 1989 तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया, कार्य दूसरे उच्चतम बोलीदाता को जून 1989 में 2 लाख रुपए हेतु दिया गया था, जिसने बीजों को एकत्र किया। विलम्ब से कार्य प्रारम्भ करने के फलस्वरूप समय की कमी के कारण, पुनः टेण्डर नहीं आमंत्रित किए जा सके और 3.10 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

8.2.10.2 साल वन से बीजों को एकत्र न किया जाना

शासन ने मई 1990 के आदेशों के अन्तर्गत 1990 सत्र में साल बीजों के एकत्रीकरण पश्चिमी क्षेत्र के 4 प्रभागों के 1,10,343 हेक्टेयर और सरयू क्षेत्र के दो प्रभागों से संबंधित 21,965 हेक्टेयर के क्षेत्र से होना था। तदनुसार पश्चिमी वृत्त के पश्चिमी तराई वन प्रभाग में, 1990 सत्र में 9,786 हेक्टेयर 58,000 रुपए में नीलाम किए गए थे। चूँकि सफल बोलीदाता अनुबन्ध करने नहीं आया, न तो साल बीजों का एकत्रीकरण हुआ और न कोई रायल्टी प्राप्त हुई थी। देय रायल्टी की औसत दर 5.92 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर थी।

तीन प्रभागों (हल्द्वानी, पूर्वी तराई और राम नगर) में बचे हुए शेष क्षेत्र 1,00,557 हेक्टेयर की नीलामी बिल्कुल नहीं हुई थी, फलस्वरूप 5.95 लाख रुपए (5.92 रुपए प्रति हेक्टेयर के औसत दर पर आगणित) के राजस्व की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, सरयू क्षेत्र के 21,965 हेक्टेयर उसी सत्र में 30,000 रुपए में नीलाम हुए थे किन्तु क्रेता ने क्षेत्र में कार्य नहीं किया और कोई रायल्टी उन्होने अदा नहीं की

थी। प्रभागों द्वारा इसके एकत्रीकरण हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप 30,000 रुपए के राजस्व की हानि हुई।

8.2.10.3 केन क्षेत्र का विदोहन न होना

विभाग के बिक्री नियमों के अनुसार, गौण वन उत्पादों हेतु मांग और वसूली आबंटियों से, जिन्हें विदोहन हेतु लाट आवंटित है, कार्य हो या न हो, की जानी चाहिए थी। लाटों की बिक्री / आबंटन के बाद इनके किसी क्षतिके लिए वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी।

उत्तरी गोरखपुर वन प्रभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1991) कि 1987-88 से 1989-90 की अवधि में 8,132 हेक्टेयर केन क्षेत्र के आवंटन के विरूद्ध उत्तर प्रदेश वन निगम ने केवल 3,646 हेक्टेयर पर कार्य किया था। प्रभाग ने जैसा बिक्री के नियमों के अन्तर्गत होना चाहिए पूरे 8,132 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु मांग नहीं बनाई, जिसके फलस्वरूप तीन वर्षों की अवधि में 20.11 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

आगे, उत्तर प्रदेश वन निगम को 1987-88 में आवंटित एक लाट (क्षेत्रफल 429.8 हेक्टेयर) का उनके द्वारा विदोहन नहीं हुआ था। निगम ने यद्यपि सूचित किया (दिसम्बर 1990) कि वह क्षेत्र जल गया था। प्रभाग द्वारा उस वर्ष हेतु 278 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित देय रायल्टी 1.19 लाख रुपए की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

8.2.10.4 मधु व वैक्स की रायल्टी का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पिछले संविदा के लेखे में सरकार का ऋणी है कोई नई संविदा नहीं दी जा सकती है।

शासनादेश (जनवरी 1987) के अन्तर्गत पश्चिमी वृत्त में 1986-87 में मधु व वैक्स के एकत्रीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को सौंपा गया था। नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (जून 1991) कि बोर्ड 70,000 रुपए की रायल्टी के भुगतान में उस वर्ष असफल रहा। उपरोक्त नियमों के विरूद्ध, 1987-88 और 1988-89 में बोर्ड को पुनः एकत्रीकरण का कार्य पांच अन्य वृत्तों (बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी और शिवालिक) में सौंपा गया था। बोर्ड पुनः रायल्टी के 2.91 लाख रुपए के भुगतान में असफल रहा। इस प्रकार, एक बार फिर बोर्ड को कार्य सौंपे जाने के कारण 3.61 लाख रुपए का राजस्व वसूल नहीं हो सका। मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध) ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक से अनुरोध किया था

(दिसम्बर 1990) कि शासन स्तर पर बोर्ड को देनदारियों को जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1991)।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (अगस्त 1991); उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 1992)।

8.3 खैर वृक्षों की वन प्राप्तियों का गलत आंकलन

विभाग के अक्टूबर 1969 के स्थाई आदेशों तथा जून 1978 एवं सितम्बर 1978 के आदेशों के तहत खैर वृक्षों में खैर प्रकाष्ठ का आंकलन निम्नलिखित आयतन घटकों (वाल्यूम फैक्टर्स) के आधार पर किया जाता है

योग्य हरे वृक्ष के लिए	1
अयोग्य हरे वृक्ष के लिए	1/2
योग्य सूखे वृक्ष के लिए	3/4
अयोग्य सूखे वृक्ष के लिए	3/8

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1989-90 के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के प्रस्तर 8.4 में खैर वृक्षों की वन प्राप्तियों के गलत आंकलन के फलस्वरूप हुई 7.07 लाख रुपए के राजस्व की हानि का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा में पुनः ज्ञात हुआ (फरवरी 1990) कि सामाजिक वनीकरण प्रभाग, रामपुर द्वारा वर्ष 1988-89 में 10 खैर वृक्षों के ढेरों को उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित किया गया था। प्रभाग ने वन उत्पादन का आंकलन योग्य एवं अयोग्य हरे वृक्षों के लिए निर्धारित घटकों के आधार पर न करके, निम्नवत् किया:

	आयतन घटक (वाल्यूम फैक्टर्स)	
	विभागीय आदेशानुसार	**प्रभाग द्वारा आगणित**
योग्य हरे वृक्ष के लिए	1	2/3
अयोग्य हरे वृक्ष के लिए	1/2	1/3
योग्य सूखे वृक्ष के लिए	3/4	1/2
अयोग्य सूखे वृक्ष के लिए	3/8	1/4

गलत गणना के परिणाम स्वरूप 126.756 घन मीटर खैर प्रकाष्ठ का कम

आंकलन हुआ और फलतः 3.33 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

मामला शासन को अप्रैल 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.4 स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा खड़े वृक्षों अथवा अन्य वन उपज की बिक्री हेतु निष्पादित 5,000 रुपए से अधिक की सभी संविदाओं पर 20 जनवरी 1982 से 85 रुपए प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। उक्त दर को 17 अक्टूबर 1985 व 20 जून 1988 से क्रमशः 95 रुपए प्रति हजार तथा 125 रुपए प्रति हजार संशोधित कर दिया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों के वर्ष 1984-85 तथा 1986-87 के प्रतिवेदनों के प्रस्तर क्रमशः 5.8 तथा 9.6 में स्टाम्प शुल्क के न वसूलने / कम वसूलने के विषय में उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा में पुनः देखा गया (मार्च 1990 से मार्च 1991 के मध्य) कि सात वन प्रभागों (बिजनौर, उत्तरी गोरखपुर, दक्षिणी गोरखपुर, दक्षिणी खीरी, दक्षिणी पीलीभीत, तराई पूर्वी हल्द्वानी तथा तराई केन्द्रीय हल्द्वानी) में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि में वन उपजों के बिक्री हेतु निष्पादित 330 संविदाओं पर 3.78 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम प्रभारित किया गया था। प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि उन्हें स्टाम्प शुल्क के चालू दरों की जानकारी नहीं थी क्योंकि स्टाम्प शुल्क की दरों के संशोधन से सम्बन्धित दोनों ही अधिसूचनाएं उन्हें जुलाई 1990 में ही प्राप्त हुई थी।

मामले की जानकारी विभाग तथा शासन को जून 1990 तथा मई 1991 के बीच में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.5 नीलामी में देरी के फलस्वरूप राजस्व की हानि

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्गत भारत सरकार द्वारा जून 1988 के आदेशों के अनुसार बोल्डर्स, बजरी, पत्थर, रेत आदि जो वन की नदी तल में है, वन भूमि के ही हिस्से हैं और इसके निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

बोल्डर्स, बजरी, पत्थर तथा रेत के ढेरों की निकासी की कार्यावधि प्रत्येक वर्ष

अक्टूबर से जून तक होती है। प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तरी गोंडा वन प्रभाग ने वर्ष 1988-89 का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्व अनुमति के लिए कार्य अवधि प्रारम्भ होने के 3 माह पश्चात जनवरी 1989 में नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। भारत सरकार ने मई 1989 में 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की। बोल्डर्स, बजरी, पत्थर, रेत आदि की निकासी वर्ष 1988-89 में नहीं की जा सकी। इस प्रकार प्रस्ताव प्रेषण में देरी के कारण लगभग 11.96 लाख रुपए (पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर) की राजस्व हानि शासन को वहन करनी पड़ी।

यह पुनः देखा गया (जुलाई 1990) कि इसी प्रभाग में वर्ष 1989-90 के बोल्डर्स, बजरी, पत्थर, रेत आदि के 35 ढेरों (लाट्स) की नीलामी मार्च 1990 में की गई परिणामतः सामान्यतः 9 माह की कार्यावधि के विपरीत मात्र 3 माह की कार्यावधि ही उपलब्ध हो सकी और इस कारण अनुमानित मूल्य 12.79 लाख रुपए के विपरीत 7.66 लाख रुपए के राजस्व की ही प्राप्ति हुई। प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (जुलाई 1990) कि यद्यपि भारत सरकार ने मई 1989 में ही अनुमति दे दी थी किन्तु निस्तारण के आदेश राज्य सरकार से फरवरी 1990 में ही प्राप्त हो सके थे। इस प्रकार नीलामी के प्रस्ताव की आरम्भिक कार्यवाही में 5 माह की देरी के कारण 5.13 लाख रुपए की और राजस्व हानि हुई।

शासन को मामले की सूचना दे दी गई थी (अक्टूबर 1990); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.6 समय से समुयोजन (एक्सप्लायटेशन) न करने के कारण वृक्षों के सड़ने से राजस्व हानि

बिक्री नियमों के अनुसार क्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री के पहले ढेरों (लाट्स) का निरीक्षण कर लें। ढेरों के आवंटन के पश्चात बिक्री सूची के किसी असंगति तथा तद्परिणामस्वरूप किसी प्रकार की हानि का उत्तरदायित्व विभाग वहन न करेगा। क्रेता से अपेक्षित था कि वह विभाग को निर्धारित दरों पर देय रायल्टी का भुगतान 3 किश्तों में करें।

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी में 205 चीड़ वृक्षों का एक ढेर (आयतन 207.141 घनमीटर) संयोजन हेतु उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) को जुलाई 1988 में 569 रुपए प्रति घनमीटर की दर से आवंटित किया गया (कुल देय रायल्टी 1.18 लाख रुपए)। परन्तु निगम ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया और इस आधार पर कि चिन्हित वृक्षों में से बहुत से वृक्ष सड़ गए थे और उनसे बहुत ही कम प्रकाष्ठ मिलने की संभावना थी, 18 माह बीत जाने पर ढेरों की

अस्वीकृत सूचित किया (जनवरी 1990)। निगम ने यह भी बताया कि वृक्ष काटे जाने वाले क्षेत्र में जल निगम की एक पाइप लाइन थी और वृक्षों के कटने से इस पाइप लाइन के क्षति ग्रस्त होने से हानि की सम्भावना थी जो कि प्राप्य प्रकाष्ठों के मूल्य से भी अधिक हो सकती थी। न तो निगम ने 1.18 लाख रुपए के देय रायल्टी का भुगतान किया और न ही प्रभाग ने मांग सृजित करके उक्त भुगतान प्राप्त करने की कोई कार्यवाही की।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (मई 1990) प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि प्रभाग द्वारा वृक्षों के चिन्हांकन में सामान्यतः कम से कम 6 माह का समय लग जाता था तथा निगम द्वारा समुयोजन का कार्य चिन्हांकन के 4 माह के बाद प्रारम्भ होता था। समुयोजन का कार्य काफी समय तक न किए जाने के कारण ही वृक्ष सड़ गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि ढेरों के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। उत्तर स्स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ढेरों के चिन्हांकन सूची में व्रक्षों के सड़े होने अथवा पाइप लाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं था और निगम ने भी आवंटनोपरान्त लगभग 18 माह (जुलाई 1988 से दिसम्बर 1989) तक इस विषय में कोई पत्राचार नहीं किया था।

मामले की सूचना शासन को दे दी गई थी (जुलाई 1990); उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 1992)।

8.7 आवंटन में देरी के कारण राजस्व की हानि

राजि अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे चिन्हांकन सूची प्रभागीय वनाधिकारी को प्रत्येक वर्ष के जून माह तक अवश्य प्रेषित कर दें ताकि चिन्हित वृक्ष उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) को आगामी मौसम में समुयोजन (एक्सप्लायटेशन) हेतु समय से हस्तगत करा दिया जा सके।

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी के एक राजि में हवा से गिरे तथा जड़ से उखड़े हुए वृक्षों को 1986 में निगम को आवंटित करने हेतु वर्ष 1986-87 में चिन्हित कर लिया गया था। यह ज्ञात हुआ (मई 1990) कि चिन्हित वृक्षों का समय से निगम को आवंटन नहीं हो सका था क्योंकि राजि अधिकारी द्वारा चिन्हांकन सूची जुलाई 1986 में ही उपलब्ध कराई गई थी। फिर भी 290 चीड़ वृक्षों (321.586 घनमीटर प्रकाष्ठ) का आवंटन निगम को जुलाई 1988 में रायल्टी दर 569 रुपए प्रति घनमीटर पर किया गया यद्यपि कि पुनरीक्षित चिन्हांकन सूची संबंधित राजि अधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को मार्च 1987 में ही उपलब्ध करा दी गई थी। निगम ने इस आधार पर कार्य करने से इंकार कर दिया (दिसम्बर 1988) कि 90 प्रतिशत वृक्ष सड़ गए थे और परिणामतः कार्योपरान्त कुछ भी प्रकाष्ठ उपलब्ध न होगा। इस प्रकार दो कार्य वर्षों के बीत जाने पर आवंटन में हुई देरी के परिणामस्वरूप

1.83 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया (मई 1990) कि संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है (अप्रैल 1992)।

मामला जुलाई 1990 में शासन को सूचित कर दिया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.8 समुयोजन (एक्सप्लायटेशन) में विलम्ब के फलस्वरूप राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) द्वारा वर्ष 1978 में वन उपजों के समुयोजन से संबंधित नियमों के सृजन करते समय आवंटित वर्ष में लाटों में कार्य न करने की दशा में किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं किया गया।

वर्ष 1987-88 में उत्तरकाशी वन प्रभाग में 4 ढेर (अनुमानित उत्पादन 599.638 घनमीटर) निगम को 2.96 लाख रुपए की देय रायल्टी पर समुयोजन हेतु आवंटित किया गया। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटन की तिथि से कार्य छोड़ने के पत्र की स्वीकृति की तिथि तक वन कूपों की जिम्मेदारी निगम की होती है| परन्तु यह देखा गया कि निगम ने लाटों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया और प्रभाग को जुलाई 1988 और सितम्बर 1989 के बीच सूचित किया कि आवंटित वृक्षों की संख्या पूरी नहीं थी। परिणामस्वरूप वन विभाग तथा निगम के अधिकारियों द्वारा सही स्थिति की जानकारी के लिए एक संयुक्त निरीक्षण किया गया (अगस्त 1988 तथा जनवरी 1989 के बीच)। निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि ज्यादातर चिन्हित वृक्ष या तो करीब के ग्राम वासियों द्वारा उठा लिए गए थे या जीर्णशीर्ण दशा में होने के कारण अनुपयोगी हो गए थे। लाटों (संशोधित अनुमानित उत्पादन 294.144 घनमीटर और 200 कुन्तल स्लाश) का पुनर्आगणन करके 1988-89 में निगम को आवंटित कर दिया गया। निगम ने लाटों में कार्य करके मात्र 1.09 लाख रुपए की रायल्टी का भुगतान किया।

विभाग को आवंटन नियमों में आवंटित वर्ष में लाटों में समुयोजन न करने की दशा में किसी दण्ड का प्रावधान न होने के कारण 1.87 लाख रुपए की हानि वहन करना पड़ा।

मामले की सूचना विभाग / शासन को नवम्बर 1990 में दे दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.9 निर्धारित नियमों का पालन न करने से राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) से प्रमुख वन उपजों के रायल्टी की वसूली मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्धक) द्वारा निर्धारित गुणता श्रेणी एवं परिभाषा तालिका के आधार पर संकलित अनुमान पर किया जाता है। बिक्री नियमों के तहत विभाग बिक्री सूची की किसी असंगति का उत्तरदायी नहीं है। अतः क्रेता (निगम) से अपेक्षित है कि बिक्री होने से पूर्व ही ढेरों (लाट्स) की स्थिति का निरीक्षण कर लें। यह भी प्रावधान है कि बिक्रय की तिथि से उक्त ढेरों की जिम्मेदारी क्रेता की होगी और विभाग किसी भी हानि का जिम्मेदार नहीं होगा।

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, राम नगर (नैनीताल) में वर्ष 1988-89 में यूकिलिप्टस के 15 ढेर जिनसे विभाग द्वारा निर्धारित गुणता श्रेणी तालिका के आधार पर 7,514.29 वालू-मीट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान था, 1100 रुपए प्रति बालू मीट्रिक टन की दर से निगम को आवंटित किया गए थे। ढेरों के कटान के बाद निगंम ने अनुमानित उत्पादन को बदलने का अनुरोध किया (मार्च 1989) क्योंकि गुणता श्रेणी का सही निर्धारण नहीं किया गया था। नियमों के प्रतिकूल प्रभाग ने निगम के गुणता श्रेणी के संशोधन करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 6,564.68 बालू मीट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन के आधार पर रायल्टी वसूल किया। परिणामतः 949 .61 वालू मीट्रिक टन की 10.45 लाख रुपए की रायल्टी कम वसूल हुई। यद्यपि प्रभागीय वनाधिकारी ने निगम के इसी प्रकार के वर्ष 1989-90 के ढेरों के गुणता श्रेणी में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया (अक्टूबर 1990) क्योंकि यह अनुरोध वृक्षों के कट जाने के बाद किया गया था और इस बात पर बल दिया गया कि अनुमानित उत्पादन का आंकलन विक्रय सूची में प्रकाशित गुणता श्रेणी के आधार पर किया जाना चाहिए।

निगम के वर्ष 1988-89 के ढेरों के कटान के बाद गुणता श्रेणी में संशोधन के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं बताया गया।

मामला शासन को सूचित कर दिया गया था (अगस्त 1991); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.10 अवधि विस्तार शुल्क का न वसूल किया जाना

मुख्य वन संरक्षक के फरवरी 1957 में निर्गत आदेशों के अनुसार, जो सितम्बर 1978 से उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) पर भी लागू होते हैं अवधि विस्तार शुल्क (एक्सटेंशन फीस) एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ढेरों (लाट्स) के बिक्रय मूल्य पर कार्य निष्पादन

अवधि में वृद्धि स्वीकृत होने पर क्रता से लेना था।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1989-90 के प्रतिवेदन के प्रस्तर 8.7 में अवधि विस्तार शुल्क न वसूल करने का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा (अगस्त 1990 से दिसम्बर 1990) में यह पुन: देखा गया कि तीन वन प्रभागों (देहरादून, पश्चिमी बहराइच एवं दक्षिणी गोंडा) में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 के बीच निगम को 24 ढेर (लाट्स) आवंटित किए गए थे। निगम ने इन ढेरों में नियत समय के अन्दर कार्य नहीं किया। प्रभागों ने कार्य निष्पादन अवधि में 19 से 518 दिनों तक का अवधि विस्तार स्वीकृत किया। अवधि विस्तार शुल्क जो परिकलन करने पर 4.38 लाख रुपए होता था, की मांग भी निगम से नहीं की गई।

प्रभागीय वनाधिकारियों ने बताया (अगस्त 1990 से दिसम्बर 1990) कि अवधि विस्तार शुल्क की मांग सृजित कर वसूल की जाएगी। तथापि जून 1991 तक कोई वसूली नहीं की गई थी।

मामला शासन को नवम्बर 1990 तथा फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

8.11 वृक्षों का अवैध रूप से काट गिराया जाना

उत्तर प्रदेश वन मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत वन रक्षकों तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे वृक्षों की अवैध रूप से कटान किए जाने की सूचना अपराध घटित होने के 24 घण्टे के अन्दर राजि अधिकारी को दें, जो कृत कार्यवाही के साथ उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी को 3 दिनों के अन्दर प्रेषित करेंगे।

प्रभागीय वनाधिकारी, पूर्वी बहराइच वन प्रभाग ने, जिन्होंने अपने राजि (चकिया राजि) का जुलाई 1990 में निरीक्षण किया गया था, अवैध रूप से कटान किए गए वृक्षों के कुछ मामलों को देखा और वस्तुस्थिति के आंकलन के लिए वनों की छानबीन का आदेश दिया। उप-प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 1990 में छानबीन निष्पादित कर सूचित किया कि वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 की अवधि में 755 वृक्ष जिनका मूल्य 13.35 लाख रुपए था काटे (गिराए) गए थे। छानबीन के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण अवैध रूप से काटे गए वृक्षों में से 3.02 लाख रुपए मूल्य के वृक्षों को प्राप्त किया गया।

13.35 लाख रुपए के अवैध कटान में से मात्र 2.56 लाख रुपए के अवैध

कटान के मामले पहले ही खोज कर दर्ज कर लिए गए थे। शेष 10.79 लाख रुपए के अवैध कटान के मामले खोजे ही नहीं जा सके थे। वन कर्मचारियों की अवैध कटान रोकसकने में हुई। विफलता के परिणाम स्वरूप 10.79 लाख रुपए के वृक्षों की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर (जनवरी 1991) प्रभागीय अधिकारी ने बताया कि एक वन रक्षक को जुलाई 1990 से निलम्बित कर दिया गया है तथा दूसरा वन रक्षक 26 जून 1990 से लापता था जबकि तत्कालीन राजि अधिकारी जून 1990 में सेवा निवृत्त हो चुके थे।

मामला शासन को फरवरी 1991 में सूचित कर दिया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

अध्याय - 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क - सिंचाई विभाग

9.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में 19 सिंचाई प्रखण्डों के 42 मामलों में 119 लाख रुपए की अनियमितताएं (राजस्व की मांग एवं वसूली से सम्बन्धित) देखने में आई जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	विद्युत प्रभार में छूट का दावा न करने के कारण हानि	1	32.00
2.	स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	11	5.80
3.	नलकूपों की बन्दी से हानि	2	1.96
4.	नहर के जल का अनधिकृत प्रयोग	2	0.63
5.	पूर्व संशोधित दरों पर निविदा प्रपत्रों को बेचे जाने के कारण हानि	5	0.37
6.	आराजी (उपज)भूमि को पट्टे पर न दिए जाने के कारण हानि	3	0.24
7.	अन्य अनियमितताएं	18	78.00
	योग	**42**	**119.00**

वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

9.2 नहर जल के अनधिकृत उपयोग हेतु दण्डात्मक प्रभारों का न लगाया जाना

सिंचाई विभाग की आदेश पुस्तिका के साथ पठित उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत नहर के जल की बर्बादी

अथवा दुरूपयोग के लिए दण्डात्मक प्रभार लगाए जाने का प्रावधान है। फिर भी, किसी मामले में दण्डात्मक प्रभार की उगाही के आदेश करने के पूर्व खण्डीय अधिकारी को स्वयं इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि मामले की जांच एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा, जो जिलेदार के पद से छोटा न हो, तत्काल कर ली गई है। इस प्रकार लगाए गए दण्डात्मक प्रभारों को दखलदार की दर से निर्धारण की भाँति माना जाना चाहिए और राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकायों की भाँति वसूली हेतु जमाबन्दी में शामिल किया जाना चाहिए।

पांच सिंचाई खण्डों-बाराबंकी, जालौन (2), बुलन्दशहर तथा मैनपुरी से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1989 और नवम्बर 1990 के मध्य) कि नहर के जल के दुरुपयोग के 1,874 मामले मई 1989 तथा नवम्बर 1990 के बीच सूचित किए गए थे, जिसमें फसली वर्ष 1389 से 1397 (जुलाई 1981 से जून 1990) के दौरान 24,775 एकड़ भूमि की अनधिकृत सिंचाई की गई थी। इन मामलों को जिनमें 12.98 लाख रुपए का दण्डात्मक प्रभार निहित था, जांच करके लेखापरीक्षा की तिथि तक निपटाया नहीं गया था।

मामला विभाग तथा सरकार को जून 1989 तथा पुनः मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

9.3 नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

वर्ष 1965 में निर्गत नलकूप निदेशक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के स्थाई आदेशों के अनुसार राजकीय नलकूपों में यांत्रिक दोषों की मरम्मत / सुधार के लिए 48 घण्टे से 7 दिन तक की अधिकतम बन्दी अनुमत थी। आदेशों में मरम्मत हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक नलकूपों की बन्दी के लिए कर्मचारियों को (विभिन्न स्तरों पर) अनिवार्य रूप से दण्ड दिया जाना, जैसे सेवा की समाप्ति, पदावनति आदि, का भी प्रावधान है।

6 नलकूप खण्डों की लेखापरीक्षा में (मई 1989 तथा नवम्बर 1989 के मध्य) यह देखा गया कि रबी 1396 फसली से 1397 फसली (1988-89 से 1989-90 तक) के दौरान 306 राज्य नलकूप अधिकतम निर्धारित अवधि के बाद भी यांत्रिक दोषों के कारण 10 दिनों से लेकर 90 दिनों तक बन्द रहे। इस तथ्य के बावजूद कि नलकूपों के उचित रखरखाव के लिए प्रत्येक नलकूप प्रखण्ड के पास एक कर्मशाला है, नलकूपों में दोषों के सुधार में विलम्ब उस समय हुए जबकि सिंचाई के लिए पानी की मांग अपनी चरम सीमा पर थी। मरम्मत में विलम्ब के फलस्वरूप अधिकतम आवश्यकता के समय किसान सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहे और उन अवधियों हेतु जिनमें बिजली की आपूर्ति उपलब्ध थी, सरकार को 3.73 लाख रुपए

(1.20 रुपए प्रति 5,000 तथा 10,000 गैलन के दर से क्रमशः रबी व खरीफ फसलों हेतु) राजस्व की हानि उठानी पड़ी। निर्धारित समय के भीतर मरम्मत न करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले को विभाग तथा शासन को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

9.4 मछली का शिकार करने से पूर्व सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

फरवरी 1962 में सिंचाई विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार उन मामलों में जहां मछली के शिकार की नीलामी की जानी थी, नीलामी के समय स्वीकृत नीलामी की धनराशि का एक चौथाई और शेष तीन चौथाई मछली के शिकार का ठेका हस्ताक्षरित करने के समय वसूल करना अपेक्षित था एवं ठेकेदार को तब तक मछली का शिकार करने की अनुमति नहीं प्रदान की जानी थी जब तक कि वह सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि जमा नहीं कर देता और अनुबन्ध या पट्टे हो हस्ताक्षरित नहीं कर देता। नवम्बर 1977 में मुख्य अभियन्ता ने सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि को नीलामी के समापन के समय ही वसूल करने के निमित्त तथा इस शर्त को नीलामी नोटिस में समाविष्ट करने के लिए अनुदेश जारी किए।

सिंचाई विभाग, महोबा (हमीरपुर) में अगस्त 1981 और जून 1992 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए चार ठेकेदारों को चार जलाशयों की मछली का शिकार करने के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए 2.31 लाख रुपए में अगस्त 1981, जून 1985, अगस्त 1986 एवं जून 1987 में नीलाम किया गया था। ठेकेदारों ने नीलामी के समापन पर 2.31 लाख रुपए की सम्पूर्ण धनराशि के विरुद्ध मात्र 47,735 रुपए जमा किया। उन्होने अपेक्षित अनुबन्धो एव पट्टों को भी हस्ताक्षरित नही किया, तथापि उन्हे मछली का शिकार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठेंकेदार 1-84 लाख रुपए की नीलामी की अवशेष धनराशि को अदा करने मे असफल रहे।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (दिसम्बर 1988) मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) ने बताया (अप्रैल 1990) कि जबकि 76,410 रुपए की धनराशि चूककर्ताओ से अब तक वसूल कर ली गई है और 71,555 रुपए की धनराशि की वसूली को प्रभावी करने के लिए नोटिसे जारी की जा चुकी है, शेष 35,700 रुपए की धनराशि न्यायालय द्वारा चूककर्ताओ को दिवालिया घोषित होने की वजह से गैर वसूली योग्य हो गई है। वसूली की सूचना प्राप्त नही हुई है (अप्रैल 1992)।

मामले को विभाग तथा सरकार को फरवरी 1991 मे प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

ख - लोक निर्माण विभाग

9.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लोक निर्माण विभाग के 31 प्रखण्डों के लेखा तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जाँच परीक्षण से 86 मामलों में 403·60 लाख रुपए की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियो में आती हैं

		मामलो की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1	सरकारी भवनों के आवासियों से किराया वसूल न किया जाना	18	59·84
2	सरकारी भवनों के आवासियो से जलकर वसूल न किया जाना	4	22.01
3	पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	2	11·74
4	पूर्व संशोधित दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री	26	7.06
5.	ठेका अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	6	3.70
6.	मैक्सफाल्ट ड्रमों की नीलामी में राजस्व हानि	7	3.33
7.	अन्य अनियमितताएं	23	295.92
	योग	**86**	**403.60**

वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया हैं।

9.6 पट्टा अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 (उत्तर प्रदेश में लागू होने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-(ख) के अनुच्छेद 35-(ख) के प्रावधानों तथा अक्टूबर 1953 में राजस्व परिषद् द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नौका सेवाओं और मार्ग कर (टोल टैक्स) संग्रहण के लिए पट्टों की सम्पूर्ण धनराशि जिसके लिए पट्टा दिया गया है (जिसका कुछ भाग अग्रिम

18 महा0-22

में अदा किया गया हो तथा शेष का भुगतान किस्तों में किया जाना स्वीकृत हो) को प्रीमियम मानते हुए स्टाम्प शुल्क लगाया जाना चाहिए क्योंकि कोई किराया आरक्षित नहीं किया गया है। यह मत * इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी दिया है।

पांच निर्माण प्रखण्डों (उरई, बुलन्दशहर, जौनपुर तथा कानपुर-दो) में 1984-85 और 1989-90 के बीच पटटाधारियों के साथ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा एक नौका और नौं पुलों पर टोल टैक्स के संग्रहण हेतु निष्पादन 14 पट्टा अनुबन्धों के सम्बन्ध में निर्धारित किस्तों को प्रीमियम के बजाय निश्चित किराया मानते हुए स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया। प्रीमियम हेतु दिए गए पट्टों के आधार पर स्टाम्प शुल्क न लगाए जाने के कारण 29.27 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 1989 एवं फरवरी 1991 के मध्य), अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जौनपुर ने सूचित किया (दिसम्बर 1990) कि संबंधित ठेकेदारों से 23,257 रुपए की धनराशि की वसूली हो गई है। शेष 29.04 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992)।

मामलों को विभाग तथा शासन को मार्च 1989 एवं अप्रैल 1991 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

9.7 सरकारी आवासीय भवनों के आवासियों से जलकर की कम वसूली / वसूली न करना

उत्तर प्रदेश मूल नियमों के अन्तर्गत सरकारी आवासीय भवनों के आवासियों द्वारा देय म्युनिसिपल तथा अन्य कर प्रथमतः सरकार द्वारा स्थानीय निकाय को अदा किए जाते हैं और बाद में भवनों के निवासी सरकारी कर्मचारियों से मासिक लाइसेंस फीस के साथ वसूल किए जाते हैं।

लोक निर्माण प्रखण्ड, एटा, कानपुर और लखनऊ की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1989 और नवम्बर 1990 के मध्य) कि 1976-77 से 1989-90 तक विभिन्न अवधियों हेतु स्थानीय निकायों को जल कर के रूप में अदा किए गए 28.87 लाख रुपए के समक्ष आवासियों से केवल 6.69 लाख रुपए की धनराशि वसूल की गई (अक्टूबर 1990 तक) और 21.38 लाख रुपए वसूल होने शेष थे।

मामलों को विभाग तथा शासन को दिसम्बर 1989 और फरवरी 1991 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

---

*वाद संख्या ए.आई.आर. 1977, इलाहाबाद 79 पूर्ण पीठ गजय पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।

9.8 सरकारी आदेशों के प्रसारित करने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

31 मार्च 1989 के सरकारी आदेशों के अनुसार निविदा शुल्क की निम्नतम दर उनके मूल्य के अनुसार 15 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए और उच्चतम दर 100 रुपए से बढ़ाकार 200 रुपए कर दी गई थी। ये आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों पर तुरन्त लागू थे। परन्तु लोक निर्माण विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में इस आदेश को अत्यधिक विलम्ब से 5 मार्च 1991 को प्रसारित किया।

13 लोक निर्माण प्रखण्डों (बाराबंकी, गाजियाबाद, मैनपुरी, फतेहपुर, बदायूँ, नैनीताल, वाराणसी, बस्ती, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ) में 9,780 निविदा प्रपत्र अप्रैल 1989 से जनवरी 1991 की अवधि में संशोधित दर 50 रुपए के बजाय पूर्व संशोधित दरों, 15 रुपए से 35 रुपए तक प्रति निविदा की दर से बेचे गए थे, जिनके फलस्वरूप 2.72 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किए जाने पर (अप्रैल 1990 से जनवरी 1991 के मध्य)प्रखण्डीय अधिकारियों ने बताया कि उपर्युक्त आदेश उनके प्रखण्डों में प्राप्त नहीं हुए थे।

मामले को विभाग एवं सरकार को अक्टूबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

9.9 विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-6 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूल की गई नकद धनराशि को निकटतम कोषागार में विभागीय प्राप्तियों की भाँति यथाशीघ्र जमा करा देना अपेक्षित है। यदि कोई प्रखण्डीय या उप-प्रखण्डीय अधिकारी वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए अस्थाई रूप से नकद प्राप्तियों का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है परन्तु उसे माह की समाप्ति के पूर्व इस प्रकार उपयोग में लाई गई धनराशि हेतु एक चेक सरकारी खाते में जमा करने के लिए कोषागार को अवश्य भेज देना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किया गया (जनवरी 1991) कि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा में सितम्बर 1990 तथा दिसम्बर 1990 के मध्य प्रखण्डीय अधिकारी द्वारा वसूल की गई 62,754 रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ कोषागार में जमा नहीं की गईं। ये

प्राप्तियाँ समय-समय पर विभागीय व्यय पूरा करने के लिए उपयोग में लाई गई थीं।इस प्रकार के उपयोग में लाई गई धनराशि हेतु कोई चेक, जैसा कि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है, सरकार के खाते में जमा करने के लिए कोषागार को नहीं भेजा गया। इससे निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने का संकेत मिलता है। राजस्व की प्राप्ति पर उसे विभागीय खर्च में प्रयोग किए जाने के बजाय, जिसके लिए अलग से बजट अनुमान उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, संबंधित प्राप्ति लेखाशीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था।

धनराशि के कोषागार में प्रेषण एवं फलस्वरूप सरकारी खाते में किए जाने संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992) ।

सरकार को यह चूक अप्रैल 1991 में सूचित की गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अप्रैल 1992)।

9.10 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना

14 जनवरी 1982 को शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना (जो 20 जनवरी 1982 से प्रभावी थी) द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों के निमित्त निष्पादित अनुबंधों / ठेका बाण्डों पर स्टाम्प शुल्क की छूट को वापस कर लिया गया था। इस प्रकार 20 जनवरी 1982 से समस्त प्रकार के अनुबन्ध स्टाम्प शुल्क के अधीन हो गए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 5 (सी) के अनुसार साधारण अनुबन्ध के प्रलेख पर (बिना प्रतिभूति के) स्टाम्प शुल्क 5 रुपए और 14 जून 1982 के पश्चात 6 रुपए (जिसे बाद में 24 जून 1988 से बढ़ा कर 19 रुपए कर दिया गया) प्रभार्य है।

4 लोक निर्माण प्रखण्डों (खीरी (2) कानपुर एवं आगरा) में जनवरी 1982 से अक्टूबर 1990 के मध्य निष्पादित 1250 अनुबन्धों पर स्टाम्प शुल्क 5 रुपए की दर से, 5,400 अनुबन्धों पर 6 रुपए की दर से एवं 1,050 अनुबन्धों पर 10 रुपए की दर से वसूल नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 49,150 रुपए राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 1990 और अप्रैल 1990 के मध्य) प्रखण्डीय अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार का कोई आदेश उनके प्रखण्ड में प्राप्त नहीं हुआ था।

मामलों को विभाग एवं सरकार को जून 1990 और फरवरी 1991 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992)।

ग - कृषि विभाग

9.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए कृषि विभाग के लेखा और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 31 मामलों में 70.54 लाख रुपए के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के उत्पादन में कमी	6	20.92
2.	उर्वरक लाइसेंस धारकों से शुल्क की वसूली न होने से हानि	7	16.66
3.	पूरे कृषि योग्य भूमि का उपयोग न करने के कारण हानि	3	7.61
4.	उर्वरकों के पुनरीक्षित दर से विक्रय न करने से हानि	1	0.41
5.	अन्य अनियमिततायें	14	24.94
	योग	**31**	**70.54**

घ -सहकारिता विभाग

9.12 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए 10 सहायक निबन्धक कार्यालयों के लेखा और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 12 मामलों में 1.74 लाख रुपए के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जिसमें से 10 मामले केवल संग्रह प्रभारों के राजकीय लेखों में जमा न किए जाने से सम्बन्धित थे।

वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए संग्रह प्रभरों के राजकीय लेखा में जमा न किए जाने वाले मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तर में किया गया है।

9.13 सरकारी खाते में संग्रह प्रभारों का जमा न किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 (अधिनियम) की धारा 130 के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली बना सकती है । सरकार द्वारा बनाई गई उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के नियम 363 के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क अथवा अन्य किसी भांति प्राप्त अथवा वसूल की गई धनराशि राज्य सरकार अथवा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय से निर्दिष्ट लेखा शीर्षक के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जानी चाहिए । संग्रह प्रभार के लिए विधि के अधीन एक सहकारी संग्रह कोष स्थापित करने हेतु अधिनियम में एक संशोधन वर्ष 1981 में प्रस्तावित किया गया था । अधिनियम में संशोधन के पूर्व (सितम्बर 1991) निबन्धक द्वारा बनाई गई उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह कोष विनियमावली, 1982, जो 19 जनवरी 1983 को प्रसारित की गई के अनुसार ऋण के लाभग्राहियों से विभाग द्वारा पिछले वर्ष वसूल किए गए संग्रह प्रभार्य का 1 प्रतिशत (सहकारी समितियों की ओर से वसूल की गई बकाया धनराशि के 10 प्रतिशत में से) सरकारी कोष में तथा शेष 9 प्रतिशत संग्रह कोष लेखा में, जिसका सृजन संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित था, जमा किया जाना था । जब तक अधिनियम में संशोधन न हो जाए, यह विनियमावली सरकार द्वारा गठित नियमों के संगत नहीं है ।

31 मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 9.14 में 'सरकारी खाते में संग्रह प्रभार का जमा न किया जाना' के विषय में 23 सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों से संबंधित 3.40 लाख रुपए की धनराशि (जो मात्र एक प्रतिशत के समतुल्य थी) का उल्लेख किया गया था। उसी प्रकार की अनियमितता 10 और सहायक निबंधक, सहकारी समितियों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई (जून 1989 तथा सितम्बर 1990 के मध्य), जिसमें 1.68 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जो 1982-83 से 1990-91 की अवधि के दौरान विभिन्न सहकारी समितियों की ओर से वसूल किए गए देयों के कारण संग्रह प्रभार का 10 प्रतिशत थी, बैंक के एक अलग खाते में रखी गई थी। यहाँ तक कि इस धनराशि का एक प्रतिशत भी 1.68 लाख रुपए सरकारी खाते में, जैसा कि निबन्धक द्वारा गठित नियमों में अपेक्षित था, जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1991) कि प्रस्तावित संशोधन अभी होना बाकी है तथा मार्च 1988 में सरकार द्वारा सूचित, शीर्ष के अन्तर्गत संग्रह प्रभार एक प्रतिशत की दर से कोषागार में जमा किया जा रहा है एवं इस प्रकार जमा की गई कुल धनराशि संबंधी सूचना जिलों से माँगी जा रही है।

मामला सरकार को फरवरी 1990 में प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 1992)।

ड. - खाद्य एवं रसद विभाग

9.14 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1990-91 के दौरान लेखापरीक्षा में किए गए 12 जिलापूर्ति कार्यालयों के लेखा और सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 24 मामलों में 6.52 लाख रुपए के राजस्व की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	कोयला व्यापारियों की व्यपगत (लैप्सड)प्रतिभूतियों को सरकार के खाते में जमा न किया जाना	11	4.73
2.	राशन कार्ड के मूल्य का वसूल न किया जाना	8	1.48
3.	अन्य अनियमितताएं	5	0.31
	योग	**24**	**6.52**

वर्ष 1990-91 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

9.15 राशन कार्डों का मूल्य वसूल न किया जाना

जनता को बिक्री किए जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिलापूर्ति अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों तथा तहसीलदारों को राशन कार्डों की आपूर्ति की जाती है। निर्गमन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राशन कार्डों का मूल्य (15 पैसे से लेकर 35 पैसे तक) जो कि समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, जनता से वसूल करके कोषागार में जमा कर दें।

9 जनपदों में विभिन्न अधिकारियों को अप्रैल 1981 से मार्च 1989 के दौरान उपलब्ध कराए गए राशन कार्डों, जिन्हें जनता में वितरित किया जाना था, का मूल्य उन अधिकारियों द्वारा या तो कोषागार में बिलकुल जमा नहीं किया गया या अंशतः जमा किया गया। कोषागार में जमा न किए जाने वाली धनराशि 4.21 लाख रुपए थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 1986 से अप्रैल 1989 के बीच इसे अवगत कराए जाने पर विभाग ने (नवम्बर 1988 और दिसम्बर 1989 के बीच) 64,846 रुपए की वसूली कर ली। अवशेष धनराशि 3.56 लाख रुपए की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 1992) ।

मामलों को विभाग तथा शासन को नवम्बर 1986 और जुलाई 1989 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

9.16 प्रतिभूति धनराशि को जब्त न करना

दिनांक 28 दिसम्बर 1977 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कोयला के थोक एवं फुटकर बिक्री तथा ईंट भट्ठों के चलाने के लिए लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदक को लाइसेंस निर्गमन के पूर्व कोयला एजेण्ट के मामले में 1,000 रुपए, कोयला डिपो धारक के मामले में 200 रुपए और कोयला से चलने वाले ईंट भट्ठा के मालिक के मामले में 300 रुपए की प्रतिभूति अनुसूचित बैंक की स्थाई जमा प्राप्ति के रुप में जो संबंधित जिलाधिकारी के नाम बंधक हो, प्रस्तुत करना चाहिए । प्रतिभूति की सम्पूर्ण अथवा कोई आंशिक धनराशि जिसे जब्त नहीं किया गया है, उस आशय से किए गए आवेदन पर लाइसेंस धारक को लाइसेंस के निरस्त होने पर, प्रत्यर्पित कर देनी चाहिए । लाइसेंस के निरस्त होने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्रत्यर्पण (रिफण्ड) के निमित्त किए गए कोइ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें और प्रतिभूति जैसा प्रकरण हो, सम्पूर्ण अथवा आंशिक रुप से सरकार के नाम जब्त हो जाएगी ।

13 जिलापूर्ति कार्यालयों में यह देखा गया कि 1,097 मामलों के सम्बन्ध में जिनमें अप्रैल 1979 एवं अप्रैल 1989 के मध्य लाइसेंस निरस्त किए जा चुके थे, 4.08 लाख रुपए की प्रतिभूति की धनराशि जब्त करके सरकार के नाम जमा नहीं की गई थी, यद्यपि निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर कोई आवेदन वापसी के लिए नहीं दिया गया था ।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 1989) कि 4,100 रुपए की धनराशि जब्त करके सरकारी मद में जमा करा दी गई थी । अवशेष धनराशि के विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अप्रैल 1992) ।

मामले विभाग को जून 1988 तथा दिसम्बर 1990 के मध्य तथा सरकार को मार्च 1991 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 1992) ।

जय नारायण

(जय नारायण गुप्ता)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 25 सितम्बर 1992

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

(सि0जि0सोमैया)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 5 अक्तूबर 1992

परिशिष्ट

(सन्दर्भ : प्रस्तर 4.2.9; पृष्ठ सं0 112)

सरकारी अधिसूचना के प्रसारण में विलम्ब के कारण शमन शुल्क की हानि का विवरण

क्रम सं0	सम्भाग/उपसम्भाग	अवधि	वाहनों की संख्या	शमन शुल्क देय	वसूल किया गया	अवशेष
1.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी आगरा	9.11.90 to 6.12.90	70	50,660	15,410	35,250
2.	" इलाहाबाद	28.11.90 to 12.12.90	45	57,500	13,290	44,210
3.	" देहरादून	12.11.90 to 22.11.90	17	2,400	1,890	510
4.	" गोरखपुर	15.11.90 to 12.12.90	14	10,500	3,580	6,920
5.	कानपुर	6.11.90 to 15.12.90	163	1,49,200	39,140	1,10,060
6.	" लखनऊ	12.11.90 to 12.12.90	21	12,900	3,800	9,100
7.	" वाराणसी	16.11.90 to 17.12.90	135	1,20,850	30,180	90,670
8.	उप-स.प.अ. अलीगढ़	13.11.90 to 21.12.90	12	6,950	3,130	3,820
9.	" बस्ती	8.11.90 to 13.12.90	33	26,500	7,560	18,940
10.	" बिजनौर	27.11.90 to 6.12.90	15	11,950	3,010	8,940
11.	" देवरिया	13.11.90 to 28.12.90	43	64,500	12,850	51,650
12.	" एटा	8.11.90 to 27.11.90	32	10,400	5,240	5,160
13.	" गाजियाबाद	11.11.90 to 11.12.90	42	20,850	6,990	13,860
14.	" मथुरा	8.11.90 to 14.11.90	69	66,500	21.480	45,020
15.	" मिर्जापुर	8.11.90 to 3.01.91	102	1,18,710	30,890	87,820
16.	" मुजफ्फरनगर	8.11.90 to 3.12.90	111	93,600	25,510	68,090
17.	" उरई	9.11.90 to 3.12.90	21	27,850	6,010	21,840
18.	" राय बरेली	9.11.90 to 1.12.90	28	29,500	6,810	22,690
19.	" सहारनपुर	8.11.90 to 16.12.90	35	36,250	8,520	27,730
			1,008	9,17,570	2,45,290	6,72,280

पी० एस० यू० पी०—18 महालेखाकार—8-9-92—1,800. (आफसेट)।